खण्ड-210, अंक-10
मंगलवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(8 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धूलाल, श्री
बुद्धूसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मदसुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव श्री

रामप्रधार तिवारी, श्री
रामप्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर

संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—सार्वजनिक-निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में कोयले के अभाव में भट्ठों का बन्द होना

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें आजमगढ़ जिले के ६० से ऊपर ईंट के भट्ठों के कोयला के अभाव में बन्द हो जाने के फलस्वरूप हजारों मजदूरों के बेकार हो जाने का समाचार अभी हाल ही में जिला अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कौन सी कार्यवाही स्थिति के सुधार के लिये की गयी ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां, इस प्रकार का एक समाचार अवश्य प्राप्त हुआ है । स्थिति सुधारने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को यथासम्भव उपाय करने के लिये तुरन्त आदेश भेज दिये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनको यह सूचना कब मिली थी और किसके द्वारा मिली थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह सूचना माननीय सदस्य के देने से भी पहले हमें अपने ही सूत्रों से मिल गयी थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कोयले का अभाव क्यों हुआ और कितना हुआ ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--केवल आजमगढ़ में नहीं बल्कि इस वक्त प्रदेश के हर जिले में यह सूरत पैदा हो रही है कि भट्ठियां बन्द हो रही हैं और हमारी सूचना यह है कि १०० के करीब भट्ठियां बन्द हो चुकीं । किन्हीं कारणों से जितना कोयला आना चाहिये था वह नहीं आ रहा है और मिलों को दिक्कत हो रही है । ३, ४ रोज हुए मैंने स्वयं निजी खत सरदार स्वर्णसिंह को भेजा है, जो केन्द्र में सप्लाई के चार्ज में हैं और जगजीवन राम जी को भी भेजा है, जो रेलवे के चार्ज में हैं और उनको लिखा है कि हमारा कोटा अगर बहुत जल्दी नहीं मिलता है तो सरकारी और गैर-सरकारी सभी भट्ठियां बन्द हो जायंगी जिनसे लोगों को दिक्कत होगी । मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी सुधार हो सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि २०, २१ जनवरी, १९६० को सप्लाई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हमने उन्हें आगाह किया था कि आजमगढ़ में ही नहीं, बल्कि समस्त पूर्वी जिलों में कोयले का अभाव है और उसके लिये समुचित व्यवस्था की जाय और माननीय मंत्री ने आशा दिलाई थी कि कोयले का अभाव नहीं है और न होगा और उसके लिये व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी व्यवस्था न करने का क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी उस वक्त दिसम्बर के महीने तक २७५ वैगन्स पहुंच गये थे और नार्मल कोटा ३६९ वैगन्स का था । तो उससे यह प्रतीत नहीं होता था कि इतनी कमी होगी । लेकिन इस बीच में मैंने पत्र स्वयं भेजा और माननीय मुख्य मंत्री ने भी भेजा सरदार साहब व जगजीवनराम जी को और हमारा आदमी डिप्टी कोल कंट्रोलर के पास गया । लेकिन भिलाई तथा राउरकेला के जो प्लांट्स चल रहे हैं और दुर्गापुर में फर्स्ट ब्लास्ट फरनेस के कारण वहां इतने वैगन्स चले गये जिससे इतनी कमी हो गई और यह आकस्मिक बात हुई ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र निजी हों या सरकारी हों केन्द्रीय सरकार उन पर बहुत कम ध्यान देती है ?

श्री उपाध्यक्ष--यह तो साफ जाहिर है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि जिस काल में कोयला प्राप्त नहीं हुआ वैगन्स के अभाव में, उस समय सीमेंट के वैगन्स प्राप्त हुए हैं, तो कारण क्या है कोयला न मिलने का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सीमेंट की पोजीशन अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें गलतफहमी हो रही है । वैगन्स के अभाव की बात नहीं है, कोयला उपलब्ध नहीं है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ये जो दो नई भट्ठियां खुली हैं उनमें कोयला ज्यादा चला गया ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कुछ अनुमान लगाया है कि कितना लेबर इससे बेकार हुआ है और रुपये के मूल्यों में प्रदेश को कितनी हानि हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जितने भट्ठे चल रहे हैं उनको नुकसान हुआ है और हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में करीब-करीब इस तरह की हालत है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या केन्द्रीय सरकार से माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना आई है कि दुर्गापुर और भिलाई की नयी भट्ठियां चालू हो गयी हैं इसलिये कोयला कम हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--यह तो बता ही रहे हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयले का यह संकट कब तक दूर हो जायगा और कब तक ये भट्ठे फिर चालू हो जायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--डिप्टी कोल कंट्रोलर के साथ हमारे जिलाधीश भी डायरेक्ट कंटेक्ट में हैं और यहां के प्रांविशल कोल कंट्रोलर को भी हिदायत कर दी गयी है । इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी और मैंने भी लिखी और उनका जवाब भी आया कि हम जल्दी ही इसका इन्तजाम कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि अगर ३०-४० वैगन हमको मिल जायं तो हमारा काम चल जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रदेश में यह कोयले का अभाव चल रहा है उसके बारे में उनको क्या आशा है कि कितने दिनों में वह दूर हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--इसका तो उत्तर दे दिया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--उन्होंने तो केवल आजमगढ़ के बारे में कहा है और मेरा प्रश्न पूरे प्रदेश के लिये है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर नहीं मिलने वाला होगा तो प्रदेश तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरी चिट्ठी अभी तीन दिन हुए गयी ह । मुझ पूरी आशा ह कि व इसका पूरा प्रबन्ध करेंगे और बहुत मुमकिन है कि ७-८ दिन के अन्दर कुछ न कुछ सुधार हो जाय ।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर पर बिजली का बकाया

२--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के ऊपर सन् ५८ तक कितना रुपया बिजली के बकाये का था ? दिसम्बर, सन् ५९ तक बकाये की रकम कितनी हो गयी और उसको वसूलने के लिये सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)--सन् १९५८ तक २२,६८,६०१.१६ रुपया बकाया था और दिसम्बर, सन् १९५९ तक १०,६८,६०१.१६ रुपये रह गया था । इस मिल से चालू देय (current dues) के साथ-साथ बकाया रकम एक लाख रुपया प्रति मास के हिसाब से वसूल की जा रही ह ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--इसी सदन में १६ फरवरी को माननीय भीखालाल द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि स्वदेशी काटन मिल पर ३०--११--५९ तक १,७८,०८८ रुपये १९ नये पैसे बकाया थे और आज बता रह हैं कि ३० दिसम्बर, १९५९ तक १०,६८,६०१ रुपये १६ नये पैसे बकाया थे, तो इन दोनों में कौन उत्तर सही है ?

श्री धर्मसिंह--जो आज उत्तर दिया जा रहा है वह सही है और वह तो देखना पड़ेगा जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कहां की फीगर्स हैं, किस प्रकार हैं तब किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--अभी उत्तर में बताया गया कि १०,६८,६०१ रुपये १६ नये पैसे करेन्ट ड्यूज के साथ-साथ १ लाख रुपया प्रति मास के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। तो यह वसूली किस माह से शुरू हुई है और क्या तब से वह मिल बराबर दे रही है ?

श्री धर्मसिंह--यह आदेश १७ नवम्बर, १९५८ को जारी किया गया था और तब से वह मिल बराबर देती चली आयी है ।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो यह बकाया मिलों से वसूल किया जा रहा है, उस पर कुछ सूद भी लिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---यह रकम इतने दिन तक पड़ी रही और वसूल नहीं हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो उन्होंने दी नहीं, उसके लिये कोशिश बराबर जारी रही कि वह दें और फिर बाद में वसूली भी हुई है, जब से खासतौर से देखभाल की गयी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर में जो बताया गया है कि एक लाख प्रति मास देने का तय हुआ है तो यह आपसी समझौता है या किसी कानूनी कार्यवाही द्वारा किया जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---यह तो समझौता है लेकिन कानूनी कार्यवाही के दबाव में किया गया है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतने दिनों तक बकाया रहने की उन्होंने वजह क्या बताई है ?

श्री गिरधारीलाल---उन्होंने अपने सामने बहुत सी दिक्कतें बताई थीं । पैसे की कमी थी और उनका बहुत सा पैसा दूसरे कामों में लगा हुआ था ।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के बिक्री-कर का मामला

**३---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर के ऊपर सन्, १९५७ तक का सरकार का बिक्री-कर का कितना रुपया बाकी है ? यदि हां, तो दिसम्बर, सन् १९५९ तक बढ़ कर वह कितना हो गया और सरकार ने उपरोक्त धनराशि को वसूलने के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री महमूद अली खां)--- सर्वश्री स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर, के ऊपर ३१ मार्च, १९५६ तक का कोई भी बिक्री-कर का रुपया बकाया नहीं है । जहां तक १९५६-५७ और १९५७-५८ वर्षों का सम्बन्ध है, मिल द्वारा दायर की गयी रिट (writ) पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कुछ आदेशों के कारण, इस काल के लिये मिल के ऊपर अभी तक कर-निर्धारण नहीं हो सका है । अतः सरकार यह बतलाने में असमर्थ है कि इन वर्षों के लिये मिल का कर-दायित्व क्या होगा । १३ दिसम्बर, १९५७ के पश्चात् कपड़े पर से बिक्री-कर हट जाने के कारण, मिल के ऊपर इस तारीख के बाद बिक्री-कर के बकाया का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आखिर में जो जवाब दिया था कि कोई समझौता हुआ है उसके मातहत वसूल हुआ है..

श्री उपाध्यक्ष---देखिये, वह बात तो खत्म हो गई ।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, मैं प्रिविलेज मोशन का नोटिस दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छी बात है, लिख कर दे दीजिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५६-५७, १९५७-५८ का असेसमेंट रोक दिया गया है तो हाई कोर्ट के आर्डर में क्या विशेष आर्डर थे कि असेसमेंट तक न किया जाय ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---बात यह है कि बहस उनके और हमारे दरमियान में यह थी कि आया उनको एक पैसा रुपया देना है या एक आना रुपया देना है। हाईकोर्ट ने तय किया एक पैसा रुपया देना है और जहां तक एक पैसा रुपया देने का ताल्लुक है उतना टैक्स वह दे चुके हैं। इसकी अपील हमने कर रखी है। कुछ तो हाईकोर्ट में पैंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी यह सवाल दरपेश है। हमारा पुराना आर्डर जो था वह बदल गया था, उसकी वजह से यह फर्क पड़ गया और उसी को उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इसलिये असेसमेंट का कोई सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---एक पैसा रुपया के हिसाब से कितना हुआ था?

श्री सैयद अली जहीर---असेसमेंट एक आना रुपया के हिसाब से किया था उसी को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक आने के हिसाब से कितनी रकम होती है?

श्री सैयद अली जहीर---प्रावीजनल असेसमेंट १०,६२,५०० रुपये का था। इसमें से ६,९६,०३१ रुपया अदा कर दिया है।

श्री राजनारायण---एक आने के हिसाब से वह दस लाख के करीब था और एक पैसे के हिसाब से उन्होंने अदा किया जो ६ लाख होता है तो इसमें इतना फर्क कैसे हुआ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा है कि एक पैसे रुपये के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाय तो उससे ज्यादा रुपया अदा हो गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी हाईकोर्ट का वह आर्डर जिसके मुताबिक असेसमेंट रोक दिया है उसकी कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---हाईकोर्ट का आर्डर पब्लिक डाकूमेंट है। उसको आप खुद ले सकते हैं। यह माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि हाई कोर्ट ने किस तारीख को किस सन् में फैसला दिया?

श्री सैयद अली जहीर---फैसले की तारीख इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या हाईकोर्ट ने सरकार को अपने ड्यूज को रियलाइज करने के लिए कोई स्टे आर्डर किया था?

श्री सैयद अली जहीर---अगर हाईकोर्ट का फैसला सही है तो ड्यूज का कोई सवाल नहीं उठता है। वह अगर उठेगा तो हाईकोर्ट के फैसले को, जो हमने चैलेंज किया है वह गलत हो जायगा।

श्री राजनारायण---मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर नहीं किया तो सरकार ने कानून के मुताबिक रियलाइज क्यों नहीं किया?

श्री उपाध्यक्ष---समझने में थोड़ा-सा फर्क है। हाईकोर्ट का फैसला यह है कि एक पैसा ही लगना चाहिए। इसलिए स्टे आर्डर का क्या सवाल है?

श्री राजनारायण---सरकार ने जो १० लाख का असेसमेंट किया था.....

श्री उपाध्यक्ष---सरकार का असेसमेंट हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।

श्री राजनारायण---उसने रद्द नहीं किया। सरकार ने १० लाख का असेसमेंट किया। उन्होंने ६ लाख दिया और अगर हाईकोर्ट के आर्डर के मुताबिक दिया होता तो केवल ढाई लाख देते।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो पहले ही दे दिया था।

श्री राजनारायण---तो पहले क्यों नहीं वसूल किया कानून के मुताबिक ?

श्री उपाध्यक्ष---इसी से तो कार्यवाही करनी पड़ी सरकार को। आप बैठिए।

निर्धारित मूल्य से अधिक पर गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलें

**४---श्री गेंदासिंह---क्या मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि प्रदेश की कई चीनी मिलों ने सरकारी निर्धारित मूल्य से बढ़ा कर गन्ना खरीदना शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो वे कौन से मिल हैं तथा कब से और कितना मूल्य प्रतिमन अधिक देकर वे गन्ना खरीद रही हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---जी हां, वर्तमान सीजन में इस प्रदेश की वे चीनी मिलें जब से और जितना मूल्य प्रतिमन निर्धारित दर से अधिक देकर गन्ना खरीद रही हैं उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३४ पर)

**५---श्री गेंदासिंह---जो मिलें किसानों को सरकारी रेट से अधिक मूल्य नहीं दे रही हैं उनसे दिलवाने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वर्तमान सीजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है उससे अधिक गन्ने का मूल्य देना चीनी मिलों की स्वेच्छा पर निर्भर है और सरकार द्वारा उनसे इससे अधिक मूल्य दिलवाने का प्रश्न नहीं उठता। अलबत्ता मिलों के अतिरिक्त लाभ में किसानों को सीजन बाद जो देय होगा वह भाग मिलेगा।

**६---श्री गेंदासिंह---क्या उन मिल क्षेत्रों को सरकार स्वतंत्र घोषित करने जा रही है जो गन्ने की बढ़ी हुई कीमत नहीं दे रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं। इस साल केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का मूल्य ३ आना प्रतिमन बढ़ा दिया है और सब चीनी मिलें बढ़ी हुई कीमत दे रही हैं। न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य सरकार द्वारा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह---अगर सरकार का इरादा जैसा कि हाउस में सरकार ने कहा था १ रु० १२ आ० पर गन्ना बिकवाने का है तो क्यों नहीं सरकार इस बात की स्वेच्छा किसानों को देती है कि वह कलेक्टिव बारगेनिंग करके कीमत बढ़वा लें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार की इच्छा कोई इच्छा नहीं है। गन्ने का दाम तय होने के लिए जो ऐपेरेटस है उसके सामने हमारी इच्छा जाहिर हो गयी। उसने जो फैसला किया हम बराबर उस फैसले को मानते हैं। उन्होंने जो फैसला कर दिया वह हमें स्वीकार करना चाहिए और किसानों को भी स्वीकार करना चाहिए।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि १५ मिलें ऐसी हैं जो किसानों को १ रु० १२ आ० दे रही हैं, और क्या सरकार जब कि इस हाउस ने १ रु० १२ आ० का प्रस्ताव पास किया है, इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में, शेष मिलों से अपील करेगी कि १ रु० १२ आ० में गन्ना लें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१५ ने तो नहीं दिया है। १४ मिलों की सूचना है जिसमें १४ की चौदहों ने १ रु० १२ आ० नहीं दिया है। एक-आध मिलें १ रु० ६८ नये पैसे दे रही हैं। लेकिन जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमें बड़ी खुशी होगी, कोई शिकायत नहीं होगी अगर कोई मिल इससे ज्यादा देना चाहे। लेकिन हम दबाव किसी बात का उन पर नहीं डाल सकते।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि पश्चिमी रेंज की मिलें, मेरठ और सहारनपुर में कांटे पर जो भाव देती हैं वही सेंटर पर देती हैं, उसी प्रकार पूर्वी रेंज में, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में, यही व्यवस्था करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी असमर्थ हैं। वे यह कह चुके हैं।

श्री राजनारायण—जब सरकार की जानकारी में यह बात आ गयी कि मिलों की क्षमता सरकार द्वारा निश्चित की गयी दर से अधिक देने की है तो क्या सरकार इस समय इस बात को उचित समझेगी कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि दाम कम से कम १ रु० १२ आ० कर दिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस वक्त मान्यवर, उस बात की आवश्यकता इसलिए प्रतीत नहीं होती कि केन्द्रीय सरकार और हमारे बीच में यह बात तय है कि जो अतिरिक्त मुनाफा होगा उसमें एक हिस्सा किसानों को देना होगा। उसके ऊपर एक कमेटी बैठकर विचार भी कर रही है। तो वह उस तरह से भी किसानों को मिल जाने वाला है। इसलिए हम कोई जल्दी में नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार अपना इरादा बताने के लिए तैयार है कि उसका अपना इरादा १ रुपया १२ आना दिलवाने का है या नहीं ? मैं बहुत पर्टिक्यूलरली इस सवाल को करना चाहता हूं कि सरकार का इरादा मालूम उस वक्त हुआ था, इस वक्त इसका इरादा ज्यादा दिलवाने का है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए केन्द्रीय सरकार के सामने जाने के पहले जो शुगर कंट्रोल बोर्ड है यू० पी० और बिहार का, उसके सामने सारी बातों पर विचार-विमर्श होगा और उस समय सरकार के सामने यह स्थिति भी रहेगी, उस स्थिति को नजर में रखते हुए हम अपने विचार बनायेंगे। हमारा जहां तक सम्बन्ध है हम किसानों की सुविधा और लाभ चाहते हैं लेकिन हम अपने ही मत को सब से अच्छा नहीं मानते हैं, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी कह रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—इस वक्त सरकार शुगर कंट्रोल बोर्ड या किसी के सामने १ रुपया १२ आना मन का प्रस्ताव रखने को तैयार है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस समय के लिए, मान्यवर, प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[सहकारिता मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ७-३-६० के प्रश्न]

\+ \+ \+ \+

जिला सहकारी संघ, आजमगढ़ के अन्तर्गत भट्ठे

*५८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—जिला सहकारी संघ, आजमगढ़ द्वारा खोले गये ईंट के भट्ठों के सम्बन्ध में क्या सहकारिता मंत्री २१-१२-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ और १४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि दस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये अठारह नये पैसे की आय में क्या कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है तथा अलग-अलग भटठों की आय क्या है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---जी नहीं। कर्मचारियों का वेतन शामिल नहीं है। बजट वर्ष १९५८-५९ में चलाए गए तीन भट्ठों की अलग-अलग आय (लाभ) सहकारी वर्ष १९५८-५९ में निम्न प्रकार थी:---

१---सादी की सरया---४,१९२ रु० १८ नये पैसे।
२---पटबध---३,१५२ रु० ५० नये पैसे।
३--- सिधारी---३,५८० रु० ५० नये पैसे।

*५९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० एफ०, आजमगढ़ द्वारा चलाये जाने वाले भट्ठों से बनी ईंटों की दर व्यक्तिगत भट्ठों की ईंटों से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*६०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० एफ०, आजमगढ़ द्वारा कोयले का व्यापार भी किया जाता है ? यदि हां, तो किस भाव पर प्रति टन खरीदा एवं बेंचा जाता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां।

कोयले का क्रय मूल्य (एक्स-कोलिअरी रेट) १९ रु० ६३ नये पैसे प्रति टन है। कोयले की बिक्री कोल कन्ट्रोल आर्डर के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए फ्लैट रेट ४० रुपये प्रति टन के हिसाब से की जाती है। जिन लोगों को आर० आर० दी जाती हैं उनसे कोयले की कीमत और १ रु० प्रति टन डी० सी० एफ० का कमीशन लिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सहकारिता मंत्री फिर से इसकी जांच करायेंगे कि क्या यह सही है कि जो सहकारी भट्ठे हैं वहां की पकी हुई ईंटों की कीमत ज्यादा है औरों के मुकाबिले में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सहकारिता के भट्ठों से पकी हुई फर्स्ट क्लास ईंटों का भाव २६ रुपया हजार, सेकेंड क्लास का २३ रुपया हजार और थर्ड क्लास का १६ रु० हजार निश्चित है। अगर इसके अगेंस्ट आपको कोई शिकायत है तो लिखित शिकायत दें उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि कोयले के रेट्स और जिलों के मुकाबिले में यहां पर आजमगढ़ में ३ रुपये प्रति टन अधिक हैं ? उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---दूसरे जिलों में कोयले का क्या रेट है उसके लिए सचना की आवश्यकता ।

[८ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित प्रश्न]

गंगा नदी के हरी बांध को क्षति

*१---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि गंगा नदी पर बंधा हुआ १७ मील लम्बा हरी बांध मुरादाबाद-बदायूं सीमा पर नदी के कटाव से क्षति-ग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांध के क्षति-ग्रस्त होने से कितनी क्षति हुई है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। इसका केवल एक भाग सन् १९५९ की बाढ़ में कट गया था जिससे लगभग १७५ एकड़ कृषि योग्य भूमि मिर्जापुर व मलिकपुर ग्रामों (जिला बदायूं) की बस्तियां कट गयी हैं।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस नुकसान की जिम्मेदारी किस पर है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक इस नुकसान का सम्बन्ध है यह तो प्रकृति के द्वारा होता है और सरकार उसके लिए पूरे तरीके से प्रयत्न कर रही है और जहां जहां जो कायदे कानून के अन्दर आता है उसको कम्पेन्सेट भी करती है ।

श्री मदन पांडेय--क्या इस बांध के टूटने के कारण जो क्षति हुई है इसमें क्षति-ग्रस्त लोगों को कुछ धनराशि दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री धर्मसिंह--मुआविजे के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

गोरखपुर बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में शिकायतें

*२--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर शहर के नागरिकों की तरफ से झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गोरखपुर द्वारा असन्तोषपूर्ण तरीके से बिजली सप्लाई किये जाने की शिकायत, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में, अब तक कितनी बार प्राप्त हुई है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मसिंह--१९५८-५९ तथा १९५९-६० में इस प्रकार की १४ शिकायतें प्राप्त हुईं । उन शिकायतों की जांच कराई गई और जो शिकायतें सच पाई गयीं उन पर कम्पनी के खिलाफ तीन मुकदमे चलाये गये जिनमें से दो में अदालत ने कम्पनी पर जुर्माना किया और एक अदालत के विचाराधीन है ।

*३--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गोरखपुर द्वारा बिजली सप्लाई कम्पनी का प्रबन्ध समाप्त कर गोरखपुर शहर के लिये निकटवर्ती कूड़ाघाट पावर हाउस से बिजली सप्लाई का प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह-- जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि इतनी शिकायत होने पर जो तीन मुकदमे चलाये गये उसके बाद भी कम्पनी के प्रबन्ध से और जो उसकी बिजली सप्लाई की क्षमता है उस से वहां की जनता सन्तुष्ट नहीं है, फिर भी इसकी मांग हो रही है कि उसको कूड़ाघाट से जोड़ दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--और कोई शिकायत नहीं आई तो फिर अनुमान से वह कैसे बता सकते हैं ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किन-किन कारणों से सरकार को ऐसा फैसला करना पड़ा है कि इतना असन्तोष होने पर भी झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी से ही शहर को बिजली दी जाय ?

श्री धर्मसिंह--मेरे विचार से अब असन्तोष नहीं होगा क्योंकि पावर डिपार्टमेंट ने अब उनके डिस्पोजल पर कुछ बिजली दे दी है ३०० कि० वा० । उसके प्राप्त होने के बाद उसमें दिक्कत नहीं रहेगी और जो शिकायत है वह दूर हो जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जो लोगों के ऊपर मुकदमे चलाये गये उन मुकदमों का फैसला हुआ या नहीं ? अगर हो गया, तो क्या फैसला हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने बताया कि दो मुकदमों में जुर्माना और एक विचाराधीन हैं ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी कुछ दिन पहले गवर्नर साहब जब गोरखपुर गये थे तो उस समय नागरिकों ने पुनः मांग की थी कि इसको कूड़ाघाट से सम्बन्धित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--गवर्नर साहब से माननीय मंत्री जी का क्या मतलब है ।

जल निकास योजनान्तर्गत सीतापुर जिले में ड्रेनों का निर्माण

*४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--जल निकासी योजना के सम्बन्ध में ८-९-५९ के तारांकित प्रश्न सं० ४८-४९ के उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उन सभी जिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें पश्चिमी जिलों में शुमार किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह--वांछित जिलों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३५ पर)

*५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चार ड्रेन सीतापुर जिले में कहां से कहां तक बनाई जायेंगी और कार्य शुरू करने के आदेश किन तारीखों में दिये गये हैं तथा नवम्बर सन् १९५९ तक कितना कार्य समाप्त हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह--चार ड्रेनों के बारे में वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३५ पर)

। श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५७ में कार्य शुरू किये जाने का आदेश दिये जाने के बावजूद जिन्धौरा ड्रेन के पूरा होने की बात जाने दीजिये, उस पर कार्य ही शुरू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--उसमें कुछ टैक्नीकल दिक्कत आ पड़ी थी जैसे कि कल्याणी नदी की सुधार योजना का जहां तक सम्बन्ध है उसमें भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । इसके अलावा जो ड्रेन्स थे उनमें कुछ मैकेनाइज्ड फार्म आ गये थे । जब तक उन पर कार्यवाही ठीक नहीं होती तब तक ऐसा थोड़ा बहुत काम रुका पड़ा है ।

*६--श्री उग्रसेन--[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा जिले में यमुना और चम्बल पर पुलों की आवश्यकता

*७--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में जमुना नदी का राजघाट का पुल और चम्बल नदी के पुल क बनवाने का सरकार की ओर से सन् १९५८-५९ में सर्वे करवाया गया ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)--जी नहीं ।

*८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों पुलों के निर्माण कराने में कितना रुपया व्यय होने की सम्भावना है ?

श्री महावीरसिंह--प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतलायेगी कि १९५८-५९ में नहीं तो १९५७-५८ में सरकार न इसका सर्वे कराया था ?

श्री महावीरसिंह--सर्वे कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ ।

नौतनवां बाजार को बिजली देने की मांग

*९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के आनन्दनगर, लक्ष्मीपुर एवं नौतनवां बाजारों को वह कब तक बिजली देने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल आनन्द नगर को बिजली देने की योजना है ।

*१०--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार के पास उपर्युक्त स्थानों के निवासियों के प्रार्थना-पत्र बिजली देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह-नौतनवां बाजार के विषय में एक पत्र १९५९ में आया था । राज्य विद्युत परिषद् से पूछ कर नौतनवां टाउन एरिया के चेयरमैन को सूचित कर दिया गया कि इस टाउन का विद्युतीकरण नहीं हो सकेगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री जी नौतनवां के महत्व को देखते हुये इस पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार हैं कि यह नेपाल के बार्डर पर है और यहां पर बराबर लोग बाहर से आया करते हैं तो वहां पर बिजली जल्द से जल्द दी जाय ?

श्री धर्मसिंह--इस समय यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है । पैसे की कमी है । इस समय उसका विद्युतीकरण नहीं हो सकता ।

*११-१२--श्री रामसुन्दर पांडेय--[१२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

मधुबन-बिल्थरा सड़क पर फरही नाले का पुल

*१३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मधुबन-बिल्थरा रोड पर पड़ने वाला फरही नाले का बड़ा पुल खराब दशा में है तथा शीघ्र ही गिरने वाला है ?

श्री महावीरसिंह--पुल की वर्तमान दशा में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यातायात अथवा पुल को कोई खतरा हो ।

श्री रामसुन्दरपांडेय--निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वह पुल बहुत पुराना है और उसके बीच में एक बहुत लम्बी दरार पड़ गयी है ?

श्री महावीरसिंह--सन् १९३४-३५ में यह पुल जिला बोर्ड द्वारा बनाया गया था । उसके नीचे कुछ दरारें पड़ गयी थीं जिनकी मरम्मत कर दी गयी है ।

महाराजगंज तहसील में असिंचित भूमि पर नहरी कर लगाना तथा बाढ़ सुरक्षा योजना

*१४--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में बनी नारायणी नहर द्वारा जो खेत सन् १३६५ फसली खरीफ में सींचे नहीं गये उन पर भी नहर रेट किसानों पर लगाया गया जिसके सम्बन्ध में जिला अधिकारी को किसानों द्वारा शिकायती दरख्वास्तें दी गई ? यदि हां, तो अब तक उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह--सरकार के पास जिला अधिकारी (D. M.) द्वारा कोई शिकायती दरख्वास्त नहीं आई ।

। *१५--श्री अमरनाथ---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त शिकायतें कितने रुपये के बारे में हैं ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

*१६--श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ रोकने की कौन-कौन सी योजना रक्खी जा रही हैं और उस पर कितना धन व्यय करने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह---तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसी विशेष बाढ़ सुरक्षा योजना या योजनाओं को रखना और उन पर धन व्यय करना प्लानिंग कमीशन द्वारा ऐसे कार्यों के लिए धन प्रदान करने पर निर्भर होगा और यह उस समय ज्ञात होगा जब प्लानिंग कमीशन ड्राफ्ट प्लान को अन्तिम रूप दे देवे और उसकी स्वीकृति नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल से हो जाय।

श्री अमरनाथ---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं मिला, उत्तर दूसरी तरह का है। मैंने पूछा था कि जो खेत सन् १३६५ फसली खरीफ में सींचे नहीं गये उन पर भी नहर रेट किसानों पर लगाया गया जिसके सम्बन्ध में जिला अधिकारी को किसानों द्वारा शिकायती दरख्वास्तें दी गई ? उत्तर दिया गया कि सरकार के पास जिला अधिकारी द्वारा दरख्वास्त नहीं आई ।

श्री उपाध्यक्ष---आप दूसरा प्रश्न पूछ लें।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री जी हमारी इस बात को सूचना मानकर और हमारे प्रश्न को देखते हुये फिर से यह जांच करायेंगे कि जिला अधिकारियों के पास कोई शिकायतें आई हैं और यदि हां उनकी जांच कराकर फिर से इस सदन क सामने उसका जवाब देंगे ?

श्री धर्मसिंह---जिला अधिकारियों के पास कोई शिकायतें नहीं आईं, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास आई थीं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन-कौन सी शिकायतें थीं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह आप प्रश्न पढ़ लें, उसमें लिखा है।

बस्ती जिले में बिक्री कर संबंधी मुकदमे तथा सहायक बिक्री कर अधिकारी

*१७---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री-कर के बारे में बस्ती जिले में कितने मुकदमे १, २, ३ साल से अधिक दिनों से अदालत में विचाराधीन हैं ?

श्री महमूद अली खां---बस्ती जिले से सम्बन्धित बिक्री-कर के मुकदमों की संख्या जो मुख्तलिफ अदालतों में पिछले १, २ और ३ साल से अधिक अर्से से विचाराधीन हैं, इस प्रकार है:—

(क) जज (रिवीजन्स) बिक्री-कर की अदालत में पिछले एक, दो तथा तीन साल से अधिक अर्से से विचाराधीन मुकदमों की संख्या क्रमशः ८६, ४१ और १ है।

(ख) जज (अपील्स) बिक्री-कर की अदालत में पिछले, एक, दो तथा तीन साल से अधिक अर्से से विचाराधीन मुकदमों की संख्या २७५, १११ और ३ हैं।

(ग) बिक्री-कर अधिनियम की धारा १४ के अधीन जो मुकदमे जिलाधीश बस्ती तथा सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, नौगढ़, बस्ती की अदालत में एक और दो साल से अधिक अर्से से विचाराधीन हैं उनकी संख्या क्रमशः ३ और १० है।

*१८--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१-१२-५९ को राज्य में (अ) किन-किन जिलों में कितने सहायक बिक्री-कर अधिकारी कार्य कर रहे थे और (ब) कुल कितने बिक्री-कर अधिकारी कार्य कर रहे थे ?

श्री महमूदअली खां--दिसम्बर ३१, १९५९ को विभिन्न जिलों में काम करने वाले सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की संख्या ११३ थी जैसा कि सम्बद्ध †सूची में इंगित है। उसी तारीख को राज्य में बिक्रीकर अधिकारियों की कुल संख्या ७८ थी।

*१९--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१-१२-५९ को अलग-अलग कितने सहायक बिक्री-कर अधिकारी लोक सेवा आयोग, यू० पी० द्वारा व कितने बिक्री-कर अधिकारी लोक सेवा आयोग, यू० पी० द्वारा approved न होने के बावजूद काम कर रहे थे ?

श्री महमूदअली खां--६५ सहायक बिक्रीकर अधिकारियों तथा १५ बिक्री-कर अधिकारियों के अतिरिक्त, जिनके बारे में लोक सेवा आयोग को पहले ही लिखा जा चुका है, ३१ दिसम्बर, १९५९ को काम करने वाले समस्त सहायक बिक्री-कर अधिकारी तथा बिक्रीकर अधिकारी लोक सेवा आयोग द्वारा approved थे।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने सालों से मुकदमों के जो फैसले अभी तक नहीं हुये, जिनसे जनता को बहुत कष्ट हो रहा है, उनके फैसले होने की कब तक आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से इस किस्म के इंस्ट्रक्शन्स जा चुके हैं कि इन मुकदमों के फैसले जल्द से जल्द किये जायं।

मैनपुरी वाष्प विद्युत् गृह के निकट क्वार्टरों के लिये भूमि सम्बन्धी कार्यवाही

*२०--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि विद्युत् विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वाटर्स बनाने हेतु मैनपुरी वाष्प विद्युत् गृह के समीप है उसको लेने के लिये जो कागजात एल० ए० ओ० आगरा ने पत्र संख्या ७५५/एस० पी०, आई० एल० ए० ओ० दिनांक २५-२-५९ को नोटिफिकेशन हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उसमें क्या हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह--कागजात राज्य विद्युत् परिषद् को आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेज दिये गये हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कागजात आये करीब एक साल से अधिक हो चुका है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका है, इसके कौन-कौन से कारण हैं और किस तारीख तक नोटिफिकेशन हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह--इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि लैंड एक्वीजीशन आफिसर, आगरा ने इन कागजात को सिंचाई विभाग में भेज दिया था और फिर सिंचाई विभाग वालों ने स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफिसर के पास भेज दिया, इसलिये थोड़ी सी देर हो गई। अब शीघ्रातिशीघ्र कोशिश की जा रही है कि नोटिफिकेशन निकल जाय।

---

†सूची छापी नहीं गयी।

सरयू पर पुल बनाने के संबंध में बागेश्वर कांग्रेस कमेटी तथा अल्मोड़ा जिला परिषद् के प्रस्ताव

*२१--श्री प्रतापसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में सरयू नदी पर जो पुल जहां पर बन रहा है उसको वहां पर न बनने के लिये जिला कांग्रेस कमेटी, बागेश्वर, अन्तरिम परिषद्, जिला अल्मोड़ा के प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचे हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया है?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--बागेश्वर के निकट सरयू नदी पर पुल निर्माण का कोई अन्य उपयुक्त स्थान न होने के कारण कांग्रेस कमेटी, बागेश्वर तथा अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा के प्रस्ताव को मानना सरकार के लिये सम्भव नहीं हो सका है और उनको तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह सूचना है कि आज से ठीक एक साल पहले, इस पुल को कहां पर बनना चाहिये, इसके लिये सेन्टर से एक एक्सपर्ट आये थे, उन्होंने बागेश्वर में जाकर देखा था और इस समय जहां पर पुल बन रहा है जिसके बनने से ४० दूकानें पहले से बनी हुई डिसमैंटिल की जा रही हैं वहां से ४० फुट हटकर उन्होंने इस पुल को बनाने की सिफारिश की थी? यदि हां, तो उस पर सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री महावीरसिंह--कई साल से देखा जा रहा है कि कहां पर इसके लिये स्थान हो सकता है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा वैसी सूचना नहीं है।

ललितपुर सब-डिवीजन की सिंचाई योजनायें

*२२--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में कितनी लघु एवं बड़ी सिंचाई की योजनायें किन-किन स्थानों पर सरकार बना रही है? इनमें कितना-कितना व्यय हो रहा है?

श्री धर्मसिंह--केन्द्रीय सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के ज्ञात होने पर ही राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजनायें तथा उन योजनाओं पर व्यय किया जाने वाला धन निश्चित किया जावेगा। अभी व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की व्यवस्था करते समय ललितपुर सब-डिवीजन को पिछड़ा हुआ मानकर वहां पर कृषि का उत्थान करने के लिये विशेष ध्यान देने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल--जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं सबका खयाल किया जायगा।

ललितपुर-टीकमगढ़ रेलवे लाइन बनाने की प्रार्थना

*२३--श्री गज्जूराम--क्या यह सही है कि सरकार ने ललितपुर सब-डिवीजन, झांसी से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, बिजावर से सतना, महरौनी से सागर नई रेलवे लाइन बनाने का सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजा है? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है?

श्री महावीर सिंह--जी हां, केवल ललितपुर से टीकमगढ़ तक। केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता दिखायी है।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले से नयी रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसने केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव भेजे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--केन्द्रीय सरकार ने सुझाव को अमान्य कर दिया है। अब दूसरा सुझाव फिर दिया जा सकता है।

छोटी सरयू पर महाराजगंज पुल के निर्माणार्थ कार्यवाही

*२४--**श्री मुक्तिनाथराय**--छोटी सरयू नदी पर आजमगढ़ जिले में महाराजगंज पुल के निर्माण के विषय में २६-१२-५७ के प्रश्न संख्या २५ व २६ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुल के निर्माणार्थ अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (Executive Engineer, P. W. D.), आजमगढ़ से, जिस पुल के निमित्त अनुमान एवं पुल की डिजाइन के सम्बन्ध में सरकार ने लिखा था, उस पर क्या रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है और कब ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--ऐसे कोई आदेश सरकार की ओर से निर्गमित नहीं किये गये। केवल अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), जिला नियोजन समिति तथा अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के बीच पत्र-व्यवहार हुआ था।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

*२५--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री महावीरसिंह--इस योजना को कार्यान्वित करना इस समय सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय--उपाध्यक्ष महोदय, २६-१२-५७ को जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यह मिला था कि उक्त पुल के निर्माणार्थ अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को लिखा गया है, रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी। आज उत्तर दिया गया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। यह विरोधाभास क्यों है ?

श्री महावीरसिंह--जवाब देखें, इसमें यह सब बातें आ जाती हैं।

श्री मुक्तिनाथराय--पहले उत्तर में दिया गया है कि डिजाइन बनाने के लिए लिखा गया है, रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी ; किन्तु आज यह कहा गया है कि कोई आदेश नहीं दिया गया है।

श्री महावीरसिंह--सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन और अधिशासी अभियन्ता से पत्र-व्यवहार हुआ।

*२६-२८--**श्री ऊदल**--[२२ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

*२९-३०--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--[२२ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

*३१-३२--**श्री प्रतापसिंह**--[२२ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

नई रेलवे लाइनें खोलनें की प्रार्थना

*३३--**श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ रेल लाइनें खोलने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां तो क्या सरकार उन लाइनों का नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव--सन् १९५७ में माननीय मुक्तिनाथ जी के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार ने तीन रेल लाइनों की सिफारिश दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार से की। चूंकि वे नहीं बनीं, तो क्या सरकार ने तीसरी योजना में उनको दोहराया है ?

श्री महावीरसिंह--विचार किया जायगा।

*३४--**श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--[१० मार्च, १९६० के लिए प्रश्न ११० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बालूसासन पुल सम्बन्धी आय-व्यय

*३५--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बालूसासन के पुल (जिला बस्ती) पर जो टोल टैक्स, बस यात्रियों पर रोडवेज के जरिये और अन्य वाहनों पर सीधे-सीधे सरकारी तौर से लिया जाता है, उस से सरकार को प्रति मास कितनी आमदनी होती है और कितना खर्च होता है ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--सरकार को इस पुल से लगभग २,९४५ रु० प्रति मास की आय होती है।

द्वितीय भाग--लगभग ६०० रु० तिमास खर्च होता है।

*३६--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या सरकार उक्त पुल को ठेके पर देकर टोल टैक्स वसूल करने का विचार कर रही है ?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं।

श्री राजाराम शर्मा--क्या २,९४५ रुपये में खर्चा भी शामिल है ?

श्री महावीरसिंह--आय और खर्चा दोनों दिये हैं, देख लें।

*३७--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--[२२ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

*३८-३९--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[स्थगित किये गये।]

हरदोई जिले के ठेकेदारों का जमानत का रुपया वापस न मिलना

*४०--**श्री राजेन्द्रसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के ठेकेदारों की प्रतिभूति (जमानत) का कितना रुपया ६ महीने की अवधि समाप्ति पर भी जमा है और रुपया रोके रहने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह--३९,५५० रुपया। इसका कारण ठेकेदारों द्वारा जमानत वापसी की दरख्वास्त न देना अथवा देर से देना, खाता साफ न होना तथा कुछ ठेकेदारों के पते न होना है।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मन्त्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि जब उन के पास ठेकेदारों के पते नहीं थे तो जमानत क्यों दाखिल कर ली गयी और काम कैसे दे दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--जिस वक्त जमानत जमा की थी और काम दिया था उस वक्त के उनके पते थे। बाद में वे दूसरे स्थानों पर चले गये।

श्री राजेन्द्रसिंह--कितने ठेकेदारों के पते कार्यालय में मौजूद हैं और कितनों की दरख्वास्तें कार्यालय में प्राप्त हुयीं ?

श्री गिरधारीलाल--मुमकिन है कि बहुत से लोगों की दरख्वास्तें कार्यालय में आयी हों, लेकिन उनके खिलाफ कुछ हिसाब थे जिनकी वजह से जमानत अभी तक वापस नहीं हुई।

खीरी जिले में ओवरसियरों की मुअत्तली व बर्खास्तगी

*४१--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में १ जनवरी, १९५३ से अब तक कुल कितने ओवरसियर मुअत्तल हुये और उन में कितने बहाल हुये और कितने बरख्वास्त हुये ?

श्री महावीरसिंह--जिला खीरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में १ जनवरी, १९५३ से फरवरी, १९६० तक केवल ३ ओवरसियर मुअत्तल हुये। इन में से दो बहाल हुये, तीसरे ओवरसियर को विभाग से हटा दिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर--जो दो ओवरसियर मुअत्तल किये गये वे कितने दिन बाद बहाल हुये और कितना रुपया बैठकी का देना पड़ा ?

श्री महावीरसिंह--सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर--उन पर अभियोग क्या थे ?

श्री महावीरसिंह--एक श्री मंगलराय हैं, जिनके खिलाफ यह था कि उन्होंने बैंड कलेक्शन और बैंड वर्क किया है। दूसरे सज्जन पर सीमेंट की बोरियों की गड़बड़ी का अभियोग था।

*४२-४३--श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)--[२२ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

*४४-४५--श्री उग्रसेन--[२२ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर-जेवर सड़क पक्की करने का विचार

*४६--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत बुलन्दशहर से जेवर जाने वाली सड़क के लिए जो अभी अधूरी है, चीफ इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० ने कोई सिफारिश भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

श्री छत्तर सिंह--क्या सरकार जनता की सुविधा को देखते हुये उस क्षेत्र में यातायात के साधन न होने के कारण इसे तृतीय योजना में लेने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह--इसे पक्की करने पर विचार करने के लिए इस सड़क का नाम नोट कर लिया गया है।

मितव्ययिता उपसमिति के सुझावों का कार्यान्वयन

*४७--श्री गेंदासिंह--क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को परामर्श देने के लिए पिछले वर्षों में व्यय को नियन्त्रित करने के लिए जो समिति श्री पारिपूर्णानन्द वर्मा की अध्यक्षता में बनायी गयी थी उसने किन मदों में खर्च घटाने की सिफारिश कितनी रकम के लिए की थी और उनपर क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री महमूद अली खां---यदि माननीय सदस्य का मतलब बचत समिति (Economy Committee) से है जो कि सरकार द्वारा सन् १९५४ में नियुक्त की गयी, तो उस के अध्यक्ष वित्त मन्त्री थे, न कि श्री परिपूर्णानन्द वर्मा। अपनी विभिन्न उप-समितियों के सुझावों के आधार पर बचत समिति ने जो सिफारिशें की हैं वे उसकी रिपोर्ट के प्रथम खंड में दी गयी हैं। उक्त समिति की कुछ सिफारिशों पर सरकार ने अब तक जो कार्यवाही की है उसका एक † विवरण-पत्र मेज पर रख दिया गया है।

श्री गेंदासिंह---मैं पहले माफी चाहूंगा कि नाम में मुझसे गलती हो गयी। इकानामी कमेटी ने कितनी बचत का सुझाव दिया था और जिस पर सरकार ने कार्यवाही की है उस पर कितनी बचत होगी ?

श्री सैयद अली जहीर---जो कार्यवाही की गयी है उसका तो बहुत तफसीली चार्ट दे दिया गया है। टोटल बचत जोड़ने से मालूम होगी। कितनी बचत की सिफारिश की थी, वह भी रिपोर्ट में है जो माननीय सदस्य को अवेलेबिल है। मैंने उसे जोड़ा नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार ने कभी इस पर गौर किया कि हमारी टोटल इकानामी कितनी होगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका एमाउन्ट तो बताना मुश्किल है। लेकिन हर डिपार्टमेंट में छोटी-छोटी कमेटीज बना दी गयी हैं। उन में हमारे मुख्य सचिव हैं, फारेस्ट सेक्रेटरी हैं। ये सब लोग मिलकर जांच कर रहे हैं और जहां बचत की गुन्जाश है वह कर रहे हैं। रिपोर्ट में जो सिफारिश की गयी थी उसकी एक स्पेशल कमेटी बनी हुई है, कैबिनेट की। वह हर कमेटी की सिफारिशों पर गौर करके फैसला दे रही है कि इसमें इतनी बचत हो सकती है, इतनी नहीं। उसमें विभागों की आपत्ति देखकर फैसले दिये जाते हैं। यह काम बराबर चल रहा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इसे स्पष्ट करेगी कि उस कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक तमाम विभागों से जायें या अन्य गाड़ियां वापस ले ली गयी थीं ?

श्री सैयद अली जहीर---मिनजुमला बहुत सी सिफारिशों के यह भी था और बहुत से विभागों की गाड़ियां ले भी ली गयी थीं लेकिन विभागों के रिप्रेजेन्टेशन्स आये कि काम ढीला पड़ जायगा। बाज-बाज डिपार्टमेंट्स को वापिस की गयीं।

श्री चन्द्रजीत यादव---बचत कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक सरकार ने विभिन्न विभागों से इस बात की राय मांगी थी कि कहां तक कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना सम्भव है। तो ऐसे कौन से विभाग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी राय उन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार को नहीं दी है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह इस वक्त तफसील से बताना तो मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिन-जिन विभागों से रिपोर्टें आ गयी हैं, उनकी एक सब कमेटी बैठी और उनके मन्त्री और फाइनेंस मिनिस्टर सब लोग तै कर तय करते थे।

देवप्रयाग-टिहरी, कीर्तिनगर-बडियार मोटर मार्ग तथा भागीरथी पर कोटेश्वर का पुल बनवाने की प्रार्थना

*४८---**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार से टेहरी-गढ़वाल जिले में देवप्रयाग-टिहरी यात्रा-पथ को मोटर-पथ में परिवर्तित करने का अवरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने अब तक क्या किया है ?

---

†विवरण-पत्र छापा नहीं गया।

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--इस मार्ग के निर्माण का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न होने के कारण इस का निर्माण करना सम्भव नहीं हो सका है।

*४९--**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को मालूम है कि जिला टिहरी-गढ़वाल के कोटेश्वर नामक स्थान में भागीरथी नदी पर जो पुल बनना था उसके पिलपाये बना कर छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य कब पुनः प्रारम्भ होगा?

श्री महावीरसिंह--जिला टिहरी-गढ़वाल में कोटेश्वर नामक स्थान पर भागीरथी नदी पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य का आगणन स्वीकृत होने के पश्चात् पुल का निर्माण आरम्भ किया जायगा।

*५०--**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जिले में कीर्तिनगर-बड़ियार मोटर मार्ग अब तक कितने मील बनकर तैयार हो गयी है और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी?

श्री महावीरसिंह--कीर्तिनगर-बड़ियार मोटर सड़क के निर्माण का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है। अतः अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि यह मार्ग कब तक बन कर तैयार हो जायगा।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--सार्वजनिक मार्गों को पिछड़े हुये इलाकों के विकास के लिये बनाना अत्यावश्यक है, इसको देखते हुये क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन सड़कों का जल्दी ही निर्माण किया जायगा?

श्री महावीरसिंह--जितने पिछड़े इलाके हैं उनकी उन्नति हो सके, इसका प्रयत्न किया जा रहा है।

भांडेर कैनाल के निर्माण पर व्यय

*५१--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि भांडेर कैनाल, जो बेतवा एम० सी० से सम्बन्धित है, के निर्माण में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है और कितनी भूमि इसके द्वारा सींची जा रही है?

श्री धर्मसिंह--इसके निर्माण में जनवरी, १९६० तक १,२६,६०,९३५ रुपया व्यय हुआ है तथा अभी निर्माण अवस्था में होने के कारण कोई सिंचाई नहीं की जा रही है।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा और कितना रुपया इस पर व्यय होगा?

श्री धर्मसिंह--इस समय तो बताना कठिन है पर जहां तक इसका एस्टीमेट था वह १,३३,२८,८२४ रुपया है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--जब यह नहर बन कर तैयार हो जायगी तो कितने एकड़ भूमि की सिंचाई योजना उससे है?

श्री धर्मसिंह--जहां तक इस नहर का सम्बन्ध है इससे सिंचाई नहीं होगी, लेकिन इसके द्वारा जो माइनर्स छोटी-छोटी और निकलेंगी उनके द्वारा सिंचाई होगी। उनके द्वारा रबी में ८२ हजार ५ सौ एकड़ होगी और खरीफ में धान सहित २२ हजार एकड़ होगी।

बेतवा नदी के नौटघाट पुल पर व्यय तथा ललितपुर सब-डिवीजन की सड़क योजना

*५२—**श्री गज्जूराम**—क्या यह सही है कि बेतवा नदी के नौटघाट पर पुल निर्माण हेतु सरकार ने २४ लाख रुपया स्वीकार करने की घोषणा की है? इस कार्य में मध्य प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकार से कितने रुपये की सहायता मिल रही है और यह कार्य कब प्रारम्भ हो रहा है?

श्री महावीरसिंह—ऐसी कोई घोषणा सरकार ने नहीं की है। पुल के निर्माण की लागत २४ लाख रुपये है। मध्य प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार से ८, ८ लाख रुपये की सहायता मिल रही है। प्रयत्न किया जा रहा है कि १९६०-६१ में पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जाय।

*५३—**श्री गज्जूराम**—क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में किन-किन सड़कों के निर्माण की योजना सरकार ने बनाई है?

श्री महावीरसिंह—तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या पुल क निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार की देख रेख में होगा?

श्री महावीरसिंह—जी हां।

*५४-५५—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

श्री धर्मनारायण भटनागर, एकाउंट्स आफिसर सिंचाई कार्यशाला कानपुर, के विरुद्ध जांच

*५६—**श्री रामस्वरूपवर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बातयेंगे कि श्री धर्मनारायण भटनागर, एकाउन्ट्स आफिसर, सिंचाई कार्यशाला, वृत मध्य क्षेत्र, कानपुर के विरुद्ध सी० आई० डी० की जांच सरकार ने १९५८ में बैठाई थी? यदि हां, तो किन आरोपों के आधार पर सरकार ने जांच बैठाई थी और दौराने जांच उन्हे मुअत्तल क्यों नहीं किया गया?

श्री धर्मसिंह—जी हां। श्री धर्म नारायण भटनागर, एकाउन्ट्स आफिसर के विरुद्ध सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी गयी थी और रिपोर्ट आने पर उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है। क्योंकि जांच अभी समाप्त नहीं हुई है आरोपों का विवरण करना उचित न होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को सूचना है कि सी० आई० डी० ने जून १९५९ के अन्तिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट में इस बात की स्वीकृति चाही थी कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध ४०९, ४२०, ४६७ और ४७१ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाय और उन्हें अविलम्ब मुअत्तल किया जाय?

श्री धर्मसिंह—मुअत्तली के लिये भी कहा था। जहां तक माननीय सदस्य ने दफाओं का जिक्र किया उसके लिये सूचना की आवश्यकता है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिये कहा था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सी० आई० डी० ने जून में रिपोर्ट दी तो मेरा प्रश्न है कि सरकार ने सस्पेंड कब किया और मुकदमा चलाने की इजाजत क्यों नहीं दी?

श्री गिरधारीलाल—उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और मुकदमा चलाने की इजाजत भी दे दी गई है।

श्री राजनारायण---उनको सस्पेंड कब किया गया और मुकदमा चलाने की इजाजत कब दी गयी ?

श्री गिरधारीलाल---बीच में बहुत सी कार्यवाही की गई। इंक्वायरी वगैरह की गई और सी० आई० डी० के कागजात आने में भी समय लगा। अभी इसी महीने में यह हुक्म दिया गया है।

*५७---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५८-५९---**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)---[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गया।]

*६०-६१---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)---[१० मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ८७-८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रामनगर व बहराम घाट कस्बों को बिजली देने की प्रार्थना

*६२---**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** (जिला गोंडा)---क्या सरकार जिला बाराबंकी के रामनगर एवं बहरामघाट कस्बों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय किये जाने वाला धन केन्द्रीय सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के ज्ञात होने पर निश्चित किया जायगा। योजना पर धन निर्धारित होने पर प्राथमिकता का निर्णय हो सकेगा।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल---क्या विद्युत मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि अगर केन्द्र द्वारा धन दिया गया तो रामनगर में विद्युतीकरण करने के लिये सहायता दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह---यह तो धन प्राप्त होने के बाद ही निश्चय किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---यदि सरकार यह उत्तर दे कि विचार किया जायगा तो काफी समस्या हल हो सकती है, क्योंकि उसमें यह जरूरी नहीं होता कि उनकी वह मांग स्वीकृत ही हो, लेकिन सदस्यों का सुझाव सरकार के पास विचाराधीन रह जाता है।

श्री आर० के० शर्मा, ड्राफ्टसमैन, मैनपुरी डिवीजन की कुछ इंजीनियरों के विरुद्ध शिकायतें

*६३---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि रामपुर, मुरादाबाद, चन्दौसी, गोरखपुर के विद्युत अभियन्ताओं के विरुद्ध किन्हीं आर० के० शर्मा नामक ड्राफ्टसमैन, मैनपुरी डिवीजन ने २१-७-५५, २३-११-५५, ९-११-५८ तथा १४-११-५८ को कोई भ्रष्टाचार की दरख्वास्त जिसमें १३ अभियोग लगाये गये हैं, सरकार को दी है ? यदि हां, तो यह अभियोग क्या हैं तथा उस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मसिंह---इनमें से कोई भी दरख्वास्त सरकार के पास नहीं आई।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास नहीं तो क्या चीफ इंजीनियर के पास कोई दरख्वास्तें आयी थीं ?

श्री धर्मसिंह---कुछ दरख्वास्तें आयी थीं, लेकिन जिन तारीखों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उन तिथियों में नहीं आयीं।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो दरख्वास्तें आयी थीं उनमें लगभग २२ करोड़ रुपये के लगभग गबन की शिकायत आयी थी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

बेलरायां में पावर हाउस स्थापित करने की प्रार्थना

*६४---**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि सरकार बेलरायां, जिला खीरी में बिजली के लिये एक पावर हाउस की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

*६५---**श्री जगन्नाथप्रसाद**---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन स्थानों में होकर यह बिजली लाईन कहां तक जायगी ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या यह ठीक है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बेलरायां पावर हाउस के निर्माण के लिये कोई जगह निश्चित की थी कि इस जगह पर पावर हाउस निर्माण होगा ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*६६-६७---**श्री मोती लाल अवस्थी**---[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

सीतापुर हाइडिल डिवीजन में टेक्निकल आदमी

*६८---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर हाइडिल डिवीजन के अन्तर्गत कितने टेक्निकल आदमी नान-टेक्निकल कामों पर लगे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---कोई नहीं ।

*६९---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में टेक्निकल आदमियों की बहुत कमी है जिसके कारण विद्युत विभाग का प्लानिंग का काम नहीं चल रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--- जी नहीं ।

*७०-७१---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

बाह क्षेत्र में बिजली के लिये मार्टिन कम्पनी, आगरा से समझौता

*७२---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली विभाग ने जिला आगरे के बाह क्षेत्र में बिजली से ट्यूबवेल चलाने के लिये कितने किलोवाट बिजली लेने का मार्टिन कंम्पनी, आगरे से समझौता किया ?

श्री धर्मसिंह---२३५ के० वी० ए० "पीक लोड" के समय प्रतिदिन चार घंटे के लिये तथा १५०० के० वी० ए० से २००० किलोवाट "आफ पीक लोड" के समय प्रतिदिन २० घंटे के लिये ।

*७३---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष सन् ५८ में मार्टिन कम्पनी, आगरा की बिजली से कितने ट्यूबवेल बाह क्षेत्र जिला आगरा में चालू किये गये और अधिकतम मांग बिजली की कितनी रही ?

श्री धर्मसिंह--मार्टिन कम्पनी से बिजली २ अप्रैल, १९५९ से ली जा रही है। अतः सन् १९५८ में बिजली द्वारा नलकूप चलने का तथा बिजली की अधिकतम मांग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि १५,०० किलोवाट और २,००० किलोवाट के बीच में जो वह बिजली ले रही है उसमें से कितनी वह खर्च कर रही है या बेच रही है?

श्री धर्मसिंह--अब तक खर्च होने की सीमा १,९०० किलोवाट पहुंची है।

आजमगढ़ जिले में टोंस पर नये पुलों के निर्माण की जानकारी

*७४--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में टोंस नदी पर शहर आजमगढ़ के पास नये पुल का निर्माण क्यों रोक दिया गया है?

श्री महावीरसिंह--पुल का निर्माण करने के समय कुछ कुएं टेढ़े पड़ गये थे, अतः कार्य को बन्द कर देना पड़ा।

*७५--**श्री विश्रामराय**--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, कृपया बतायेंगे कि निजामाबाद (जिला आजमगढ़) में टोंस नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में टाउन एरिया निजामाबाद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--पुल के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

द्वितीय भाग--सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रस्तावित पुल के निर्माण के प्रश्न पर तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय प्राथमिकतानुसार विचार किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कुएं टेढ़े पड़ गये हैं उनमें कुल कितना रुपया व्यय हुआ था?

श्री महावीरसिंह--पुल पर कुल ४,७६,८०० रुपये तब तक व्यय हुए थे।

*७६--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न २०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७७-७८--**श्री खुशीराम**--[२२ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कोलतार ड्रम

*७९--**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)-- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८ और १९५९ में कितने कोलतार के ड्रम पूरे प्रदेश में मंगाये गये और उन पर कितना पैसा खर्च हुआ और खाली कोलतार के ड्रम कितने किस भाव बेचे गये?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्र की जा रही है।

नोटः--तारांकित प्रश्न ७५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

माताटीला बांध प्रभावित भूमि के मुआवजा संबंधी कागजात में गड़बड़ी

*८०--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध की डूब में आने वाले ग्रामों के मुआवजे के कागजात तैयार करने में नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। छानबीन की गई और अभियुक्तों को सजा देने की कार्यवाही की जा रही है।

माताटीला बांध प्रभावित भूमि का मुआवजा

*८१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के भराव में आई भूमि में जो मकान, फलदार वृक्ष व अन्य वृक्ष थे उसका किस हिसाब से कितना मुआवजा किस गांव को दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--मकान, फलदार वृक्ष व अन्य वृक्ष के मुआवजे की दर तथा धनराशि का ब्योरा† संलग्न है।

*८२--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुआवजा बांटने के पहले प्रत्येक मालिक को उसकी प्रत्येक सम्पत्ति का किस हिसाब से कितना मुआवजा दिया जायगा, यह लिख कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। लैन्ड ऐक्विजीशन ऐक्ट की धारा ९ के अन्तर्गत मुआवजे की नोटिसें रेवेन्यू मैनुअल के पैरा ४२६ में उल्लिखित फार्म भर कर प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को बांटी गई थीं, जिसमें उनकी जमीन इत्यादि का ब्योरा था।

गोरखपुर जिले में सड़कों व कुओं की निर्माण योजना तथा गांवों को ऊंचा करने का काम

*८३--श्री अमरनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू से अब तक कौन कौन सी कच्ची व पक्की सड़कें बनाई गयीं ?

*८४--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू से अब तक कौन-कौन पुल बनाये गये ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३७ पर)

*८५--श्री अमरनाथ--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में किन-किन तहसीलों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांव ऊंचे किये गये हैं और कितनी धनराशि इस मद में व्यय हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना सलंग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३८ पर)

---

†ब्योरा छापा नहीं गया।

रिहन्द बांध में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*८६--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध के निर्माणार्थ उस क्षेत्र के कितने किसानों की कितनी भूमि हस्तगत (acquire) की गई और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--अब तक १८७३ किसानों की १०,३०९ एकड़ भूमि ली गई है और उनको ९,२७,६६६ रुपया मुआवजा दिया गया ।

*८७--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त हस्तगत (acquire)की गई भूमि में कितनी जमीन में नियमित कृषि (जोत में) की जाती थी, कितनी जमीन से केवल साल में एक फसल होती थी और कितनी जमीन बंजर या चरागाह थी ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८८--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन किसानों से खेती की जाने वाली जमीन ली गई थी उन्हें कहीं जमीन देकर बसाया गया ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी खेतिहर जमीन उन्हें दी गई ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, विस्तृत सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३९-९४० पर।)

कोटरा ग्राम को बेतवा के कटाव से बचाने की प्रार्थना

*८९--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--क्या सरकार को पता है कि बेतवा नदी के पानी से ग्राम कोटरा, परगना उरई, जिला जालौन की आबादी का बहुत सा हिस्सा कट रहा है ? यदि हां, तो इस कटाव को रोकने का अब तक सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, यह सही है कि कथित ग्राम का बहुत कुछ भाग कट रहा है । इस कटाव को रोकने के लिये शासन और ग्रामवासियों ने मिल कर २००० रुपया की लागत से एक बांध बनवाया जो कि तेज बारिश में कट गया । अब जिले के उच्च अधिकारी एक नया बांध बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं ।

चिरकिहिट ग्राम के हरचन्द बांध के स्थान पर रेगुलेटर बनवाने की प्रार्थना

*९०--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे ग्राम कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत लालगंज तहसील के मैसकुर ग्राम में बेसों नदी के पास चिरकिहिट ग्राम की सीमा में एक बहुत पुराना लम्बा, चौड़ा, ऊंचा मिट्टी का बांध मैंसकुर, चिरकिहिट, हरईराम ग्राम की जनता ने बनवाया था जो 'हरचन्द' बांध के नाम से मशहूर है और इसे सरकार द्वारा बाढ़ के पानी के निकास के निमित्त काफी गहराई में काट दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, चिरकिहिट ग्राम के पास एक बांध बना हुआ था जिस को काट कर नवें ताल नाले का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है ।

*९१--श्री मुक्तिनाथराय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बांध के स्थान पर एक रेगुलेटर बनाने के लिये काफी मात्रा में ईंटा, बालू आदि रख दिया गया था किन्तु आज तक रेगुलेटर का निर्माण नहीं हुआ ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, रेगुलेटर के निर्माण के दौरान में अधिक विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक समझा गया जिससे कार्य को बीच में रोकना पड़ा ।

आजमगढ़ जिले के कुछ गांवों को ऊंचा न किया जाना

*९२--श्री रामसुन्दर पांडेय--आजमगढ़ जिले के कुछ गांवों के बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचा किये जाने के सम्बन्ध में ११ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न सं० ६१ के उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिले के देवारा, मूसाडोही, वरोहा तथा सिसवा गांवों को कब तक ऊंचा करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल--ग्राम वरोहा पूर्णतया ऊँचा किया जा चुका है तथा ग्राम सिसवा और ग्राम देवारा मूसाडोही में धनाभाव के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। भारत सरकार से बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिये कुछ अधिक धन प्राप्त होने के फलस्वरूप इन ग्रामों में शेष कार्य को अब पूरा करने पर विचार किया जा रहा है।

धीरजलाल शाह ऐण्ड कम्पनी, बम्बई को ठेके

*९३--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सार्वजनिक निर्माण भी कृपया बतायेंगे कि धीरजलाल शाह ऐण्ड कम्पनी, बम्बई को सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक ३ मार्च, १९५७ से ३ मार्च, १९५९ तक कितने ठेके किन-किन तिथियों में कितनी कीमत के दिये गये ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी।

बिक्रमजोत-शाहगंज सड़क की जमीन का मुआवजा

*९४--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्रम जोत से, जो हरैया तहसील जिला बस्ती में है, एक नई सड़क शाहगंज तक बनायी गई है ? क्या उस जमीन का मुआवजा किसानों को मिल गया है ? क्या यह सही है कि किसान सात साल से उस भूमि का लगान देता आ रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

---

*उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६०

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या ए-डब्ल्यू-एम-४६/२९-ए-५१०-५८, दिनांक ९ फरवरी, १९६० ई० के अधीन प्रकाशित उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास ३ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक श्री बंशीधर शुक्ल का है जो उनके यहां जिला खीरी में नहरों की गड़बड़ी के बारे में है। तो नहर के अनुदान के ऊपर जब आगे को बहस होगी तो उस समय उनको चेयर की तरफ से अवसर दिया जायगा। बाकी जो दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं, माननीय सदस्यों ने उनके लिये दफा ५२ के अन्तर्गत भी नोटिस दी हैं और अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की भी सूचना दी है। इस तरह से स्वयं माननीय सदस्य भी निश्चित नहीं हैं कि ये कितने महत्व के प्रश्न हैं। वे कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं बनते हैं, अतः मैं इनकी भी इजाजात नहीं देता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मुझे भी थोड़ा-सा समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप मेरी बिना इजाजत के ही बोलने लगे, यह प्रथा बन्द हो गई है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरे यहां बारिश हुई है तथा ओले पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपने तो दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दिये हैं?

श्री उग्रसेन---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---अभी तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ही बात हो रही है। दफा ५२ तो अभी आगे है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक नोटिस घुमवा दें कि कौन-कौन सी प्रथा आपने बन्द कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रथा हमेशा एक ही होनी चाहिये कि बिना इजाजत कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े न हों।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास दफा ५२ के अन्तर्गत ८ प्रश्न आये हैं। उनमें से ५ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको अभी पिछले दिन माननीय अधिष्ठाता महोदय अस्वीकृत कर चुके हैं, उन्हीं को फिर दुहरा दिया गया है। इसलिये उन पर विचार करने का तो प्रश्न नहीं उठता। बाकी जो दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न हैं उनमें एक श्री देवनारायण भारतीय का है, एक श्री कल्याणराय जी का है और एक श्री भजनलाल जी का है। इनके बारे में माननीय सदस्यों से मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ये प्रश्न दफा ५२ के अन्तर्गत मेरी राय में नहीं आते। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्रियों से निवेदन किया है और माननीय राजस्व मंत्री ने यह स्वीकार भी कर लिया है और वे श्री रामसुन्दर पांडेय के प्रश्न पर स्वयं ओले वगैरह के बारे में जांच करने उन जिलों में गये हैं इसलिये मैं श्री उग्रसेन का प्रश्न भी नहीं ले रहा हूं। श्री रामसुन्दर पांडेय जी का जो तारांकित प्रश्न है उसका भी उसमें समावेश हो जाता है और माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह स्वीकार कर कर लिया है, वे १० तारीख को इसकी सूचना देंगे। अभी उनको कोई इत्तला नहीं है इसलिये वह स्वयं स्थिति का अध्ययन करने के लिये गये हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---गोरखपुर में जो कत्ल हो गया है, उस सम्बन्ध में मैंने दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी ओले से हुई क्षति का अध्ययन करने के लिये स्वयं गये हैं? मैंने तो सुना कि वह बीमार हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप को गलत सूचना है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, क्या राजस्व मंत्री जी गोरखपुर, देवरिया यह देखने के लिये गये हैं कि ओले कहां पड़े हैं और उसका वे अध्ययन करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं क्या बतलाऊं कि वे कहां-कहां गये हैं, आप अखबार देख लिया करें।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---श्रीमन् धारा ५२ में....

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें, बिना इजाजत आप खड़े हो गये.....

श्री भजनलाल---श्रीमन् बैठ तो जायेंगे ही, लेकिन डाकुओं ने ....

श्री उपाध्यक्ष---आप उस सम्बन्ध में शार्ट नोटिस क्वेश्चन दें, मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री जी से कह दिया है।

श्री राजनारायण---प्रश्नों के सम्बन्ध में आप ने कहा कि माननीय राज्यपाल से और मंत्री लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो यदि राज्यपाल जी को कोई पेटीशन दिया जाय तो मंत्रीगण से उसकी जानकारी के लिये कहा जा सकता है ....

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी से उसका क्या सम्बन्ध है, राज्यपाल हर सूचना तो मंत्री जी को नहीं देते। उनको हजारों मान पत्र दिये जाते हैं लेकिन नियमानुकूल उनको मंत्रियों को उसकी इत्तला देना आवश्यक नहीं है और न मंत्रियों के लिये यह पूछना उनसे शोभनीय है कि आप को कितने मान पत्र मिले और उनमें क्या-क्या शिकायतें हुईं।

श्री राजनारायण---वह आसानी से कह सकते थे कि नहीं मिले, लेकिन आप ने उनकी तरफ से खुद ही कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष---उसका सुगम उपाय यह है---यदि यह प्रश्न किया जाय कि क्या माननीय राज्यपाल ने उस शिकायती पत्र को जो उन्हें दिया गया था माननीय मंत्री जी को भेजा है, तो मैं ऐसे प्रश्नों की इजाजत दे दूंगा।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष---रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये ११ उम्मीदवारों के नाम आये थे जिन में से अब ७ माननीय सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। इसलिये अब इन ४ सदस्यों को रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट का सदस्य घोषित किया जाता है: (१) श्री यशपाल सिंह, (२) श्री लोकनाथ सिंह, (३) श्री कैलाशकुमार सिंह, (४) आचार्य जुगलकिशोर।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक: ४७---श्रम

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०---श्रम-लेखा शीर्षक: ४७---प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १,३९,२४,००० रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत अनुदान में पेश कर रहा हूं।

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।
कमी करने का उद्देश्य-नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

सरकार की श्रमनीति में निम्न विषयक नीतियों का अननुमोदन :

प्रदेश के सभी उद्योगों में सरकारी नीति के कारण मजदूरों की संख्या में कमी तथा कार्यभार में वृद्धि, श्रमिक वर्ग के वेतन में वास्तविक कमी, आई० एन० टी० यू० सी० के प्रति सरकारी पक्षपात के कारण श्रमिक आन्दोलन को अपूर्णीय क्षति, श्रमिक विवादों को पंच निर्णय के सुपुर्द करने में पक्षपातपूर्ण नीति तथा श्रमनीति निर्धारण कमेटियों के चयन में अवान्छनीय तत्वों का समावेश, श्रमिक हड़तालों में सरकार द्वारा मिल मालिकों का समर्थन, सूती ऊनी, जूट

तथा चीनी मिलों के मजदूरों की छटनी, बरखास्तगी के समय मिल प्रबन्धकों के साथ पक्षपात आदि नीतियों का अननुमोदन प्रकट करने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमिक वर्ग के लिये उनकी भलाई के लिये सुझाव प्रस्तुत करना।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रदेश की आबादी सन् १९५१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार ६ करोड़ ३२ लाख थी, लेकिन हमारी सरकार की वर्तमान जनगणना के अनुसार अब वह ७ करोड़ के ऊपर है । कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की केवल ८.४ प्रतिशत जन शक्ति किन्हीं उद्योगों में श्रमिकों के रूप में लगी हुई है। जो यह ८.४ प्रतिशत जनशक्ति है इसमें से नियोजित मजदूरों की संख्या १५,०२,३५१ है और जो स्वतन्त्र श्रमिक या अनआर्गेनाइज्ड मजदूर हैं उनकी संख्या है ३५,३५०,११, और जो नियोजक मजदूरों को जो नियोजित करते हैं उनकी संख्या है १,४९,५९८। इन की कुल संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार होती है ५१,८९,९६०। जैसा मैंने कल कहा था कि हमारे प्रदेश के मजदूरों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिये थी। हमारे इस कृषि प्रधान देश में कृषि पर भार कम नहीं हो सकता जबतक कि औद्योगीकरण के साथ-साथ अधिक से अधिक जनसंख्या को मजदूरों के रूप में डाइवर्ट न किया जाय । लेकिन जहां तक इस कसौटी पर कसने का सवाल है, हमारी मौजूदा सरकार की श्रम नीति इस बात के लिये उत्तरदायी है कि जो जन-संख्या पहले भी केवल भूमि पर आश्रित थी, रोजी के लिये उसमें कोई कमी नहीं हो पाई है। मैंने कल आंकड़ों का जिक्र करते हुये कहा था कि सन् ४८–४९ में जो अनुमान लगाया श्री नलिनीरंजन सरकार ने, उसमें डेढ़ करोड़ ऐसे हैं जो बेकारों की श्रेणी में आते हैं। तो उसमें का एक बहुत अच्छा खासा भाग हमारे प्रदेश में भी है। आज भी उन आंकड़ों में हमको कोई कमी नहीं प्रतीत होती है। आज हम देखते हैं कि सरकार की जो गलत श्रमनीति है उसके कारण मजदूरों की संख्या में जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी, जन-संख्या के अनुपात से वह नहीं हो रही है। इसलिये सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये कटौती के प्रस्ताव पेश करने पड़ रहे हैं।

नियोजित मजदूरों की संख्या १५ लाख है। वह कुछ खास-खास उद्योगों में बंटे हैं। थोड़ा सा वक्त मेरे पास है, सभी उद्योग के मजदूरों की दशा की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता। कुछ बड़े-बड़े उद्योगों के मजदूरों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां का सब से बड़ा उद्योग चीनी का है। उसमें लगभग साढ़े ६९ हजार मजदूर लगे हैं। सन् १९५० में सेन्सस हुआ था चीनी मिल मजदूरों का इस बात का निर्णय करने के लिये कि कौन सा चीनी मिल मजदूरों का महा संघ अधिक प्रतिनिधि मूलक है। इस समय जो वोटर लिस्ट थी उसमें ८३ हजार कई सौ मजदूर थे। इस प्रकार चीनी उद्योग में मिलों की संख्या भले ही बढ़ी हो लेकिन मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ी। जिस समय ६६ मिल थे उस समय मजदूरों की संख्या ८३ हजार कई सौ थी और जब आज मिलों की संख्या ६९ है तो मजदूरों की संख्या कुल साढ़े ६९ हजार रह गई है। यह सरकार की श्रम नीति है। मजदूर के ऊपर कार्य भार बढ़ा कर, पूंजी पतियों ने पैसा बचाने के लिये मजदूरों की संख्या कम की है। यह सरकार की श्रम नीति का नमूना है।

दूसरा उद्योग सूती वस्त्र का है। इसमें मजदूरों की संख्या कितनी घटी है और कितनी छटनी हुई है इसके आंकड़ों में इस थोड़े से समय में मैं नहीं जाऊंगा। माननीय बहुगुणा जी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राशनेलाइजेशन के नाम पर सन् १९५५ में जो हड़ताल हुई थी और जो उसमें छंटनी हुई थी उसके बाद भी जो छंटनी हुई है उसमें कितने मजदूर निकाले गये हैं कानपुर की मिलों से, और कितने लोगों के घर फाके हो रहे हैं, यह सरकार से छिपा नहीं है ।

हमारे प्रदेश के मजदूर की आमदनी कितनी है ? पर कैपिटा इन्कम हमारे इस प्रदेश की सन् १९४८–४९ में जो कि बेस ईयर है प्रदेश में हर प्रकार के labour रिफार्मस का, २७६.४ थी। १९५८–५९ में रह गई २५९। इसका असर हमारे मजदूरों पर क्या पड़ता है, इसको देखेंगे।

[श्री मदन पांडेय]

जो आंकड़ों की पुस्तिका माननीय मंत्री जी ने दी है उसमें कानपुर के सूती मिल मजदूरों की जो आमदनी है वह, या जो हमारे प्रदेश की आमदनी है तथा जो आमदनी दूसरे प्रदेशों की है उसमें हम परकैपिटा श्रमिकों की आय का मिलान करें तो बड़ा भारी अन्तर मालूम पड़ता है। मजदूरों की परकैपिटा इन्कम आसाम में १८३३.७, दिल्ली में १४९३.४०, बम्बई में १४५२.६०, बिहार में १२९९.२० और उत्तर प्रदेश में १०७७.५०। मजदूरवर्ग के साथ जो सरकार की श्रम नीति है उसमें मजदूरों को पूंजीपतियों के मुकाबले में जिस प्रकार पिछड़ाया जा रहा है इससे यह स्पष्ट है। एक ही तरह के रोजगार से रोजी पाने वाले लोगों की आमदनी में इतनी असमानता है। यह हालत नियोजित मजदूरों की है। स्वतन्त्र मजदूरों की हालत देखिये कि कितना कांट्रेक्ट लेबर के रूप में चूसे जा रहे हैं। इस तरफ़ सरकार का ध्यान दिलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ़ मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाकर बोस्ट किया जाता है कि हमने डिसआर्गेनाइज्ड लेबर के लिये न्यनतम मजदूरी निर्धारित की है। लेकिन २६ रुपया मजदूरी निर्धारित करके क्या सरकार कह सकती है कि स्वतन्त्र मजदूर का पेट भर सकता है? मजदूरी के प्वाइंट पर देखें। चूंकि मजदूरी का जिक्र यहां चल चुका है इसलिये मजदूरी के सम्बन्ध में हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक अनुच्छेद ४३ है उसको पढ़ देना चाहता हूं। मंत्री जी उस पर गौर कर लें कि उसके अनुसार मजदूरों को उचित वेतन मिलता है या नहीं।

"43. The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas".

मैं जानना चाहता हूं कि १९४९–५० से, जब कि विधान पास हुआ, सरकार की लिविंग वेज की तरफ बढ़ने की जो नीति होनी चाहिये थी वह ठीक है या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि चीनी मजदूरों की तनख्वाह जो १९४८–४९ में थी उससे अब की बार जो ५ परसेंट बढ़ी है, इसके अलावा पिछले सालों में एक भी पैसा बढ़ाया गया? निम्बकर कमेटी के अनुसार सूती मिलों के मजदूरों की जो तनख्वाह रखी गई थी उसमें क्या एक पैसे का भी इजाफ़ा किया गया है? कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के मजदूरों की जो तनख्वाहें हैं, १९४८–४९ में जो उनको वेतन दिया गया था उसमें क्या एक पैसा भी बढ़ा है? यदि पिछले सालों में इजाफ़ा नहीं हुआ है तो कैसे कहा जा सकता कि जो संविधान में नीति निर्देशक अनुच्छेद में लिविंग वेज के बारे में जो 'endeavoure' शब्द कहा गया वह कहाँ तक पूरा हुआ है? मैं कहता हूं वहनहीं पूरा हुआ है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया जो कि उसको करना चाहिये था।

अब मैं मौलिक प्रश्नों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मौलिक अधिकारों में एक अधिकार यह भी है :

"All citizens shall have right to form associations or unions".

इस सम्बन्ध में भी सरकार की नीति देखी जाय। सारे देश के पैमाने पर जो मजदूर संगठनों की हालत है उसके सम्बन्ध में हम संतुष्ट तो नहीं हैं बिलकुल, लेकिन और स्टेट्स की तुलना करके देखा जाय कि संगठन की स्वाधीनता में हमारा प्रदेश कितना पीछे है। ३१ मार्च, १९५८ तक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स की संख्या बंगाल में २,३४८ बम्बई में १,६९९ और उत्तरप्रदेश में ९१० थी। जिस प्रदेश में मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद है, जहां डिसआर्गेनाइज्ड लेबर इतने अधिक संख्या में हैं उस जगह रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स की यह संख्या कम है। इसीसे स्पष्ट है कि मजदूरों को संगठन बनाने की स्वाधीनता दी गई है या नहीं दी गई है?

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार इंडिविजुअल यूनियन के केसेज साइट किये गये। प्रतापपुर शुगर फैक्टरी तथा रामकोला की यूनियनों की रजिस्ट्री का हवाला दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से मैं यह कहना चाहता हूं कि एक आध को छोड़ कर बाकी में कोई ध्यान नहीं दिया गया न रजिस्ट्रेशन ही हुआ है। मैं इस तरह सरकारी श्रमनीति का जो खोखलापन है उसकी तरफ माननीय मंत्री तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

अब मैं अन्य विभागों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। विभागीय तौर पर मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो अन्याय किया जा रहा है उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे जो मजदूर हैं, जो मेहनत करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं उनको २, ३ केटेगरीज में बांटा जा सकता है।

सब से पहले तो उत्तर प्रदेश के सरकार के स्वयं सेक्रेटेरियट के नीचे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारी हैं। मैं उनकी तरफ सरकार का तथा सदन का इन शब्दों के साथ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक ही बगल में दो बंगले हैं। एक चपरासी यू० पी० सरकार का है जो ५० रुपये पाता है और दूसरा चपरासी केन्द्रीय सरकार का है जो ८५ रुपये पाता है। एक ही तरह के काम करने वालों में इतना पंक्ति भेद होने से वे काम ठीक से कैसे करेंगे? जो क्लर्क उत्तर प्रदेश सरकार में है वह ८५ रुपया पाता है और जो केन्द्रीय सरकार का है वह १३५ रुपये पाता है, तो इस तरह की पंक्ति भेद वाली नीति अपना कर सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसकी श्रमनीति को देखते हुए हमारा प्रदेश समाजवाद की तरफ जा रहा है और न इसका दावा माननीय सम्पूर्णानन्द जी ही कर सकते हैं, जो समाजवाद की बातें किया करते हैं। तीसरे, एक अर्द्ध सरकारी तबका है मजदूरों का, जैसे रोडवेज, म्युनिसिपल एम्पलाईज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एजूकेशनल स्टीटचूशंस ।

जहां तक आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज के मजदूर हैं उनके लिये एक मशीनरी थोड़ी बहुत सुनने के लिये बनाई गयी है जो उनके झगड़ों को हल कर सकेगी। लेकिन मैंने जिन केटेगरीज के नाम गिनाये हैं उनके लिये सरकार के किस कानून में व्यवस्था है? अगर उनका किसी से झगड़ा हो तो उनके लिये मंत्रियों, एम० एल० एज० तक जूतियां चटकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यह सरकार दावा नहीं कर सकती कि मजदूरों के साथ इन्साफ किया जा रहा है और वह समाजवाद की तरफ बढ़ रही है ।

नान-गवर्नमेंट एम्पलाईज में आज भी मजदूरी मुकर्रर नहीं है। आयल इंडस्ट्री में एक मजदूर को २० आने रोज दिये जाते हैं। लेदर इंडस्ट्री में कूपर एलेन को छोड़ कर २० आने या डेढ़ रुपया मिलता है मजदूरों को। तो इस तरह का बर्ताव जब मजदूरों के साथ बरता जा रहा है तो कैसे यह सरकार कह सकती है कि वह समाजवाद की तरफ बढ़ रही है?

मैं बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। उनके सम्बन्ध में मैंने दर्जनों बार प्रश्न किये थे और उत्तर दिया गया कि मुश्किल से ३७ हजार मजदूर काम करते हैं और ५० लाख की पूंजी इसमें लगी हुई है। यह ३७ हजार मजदूरों की संख्या पंजीकृत कारखानों की दी हुई है। उन मजदूरों को लिया जाय जो घर-घर बीड़ी बनाते हैं तो १० हजार मजदूर तो बनारस में हैं, १०, १५ हजार इलाहाबाद में और इसी तरह से गोरखपुर में हैं और इस तरह से बीड़ी मजदूरों की संख्या लाखों तक पहुंच जायगी जो इस काटेज इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। उन मजदूरों को गिनती कराने तक केलिये यह सरकार तैयार नहीं है। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से निवेदन करूंगा कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। वे ऐसी दशाओं में काम करते हैं कि दस मिनट के लिये मदन पांडेय जी या मंत्री जी को वहां बैठा दिया जाय तो खांसते खांसते दम आने लगेगा। इस तरह की वर्किंग कंडीशन्स में जहां मजदूर काम करते हों वहां के लिये यह सरकार क्या समाजवाद की तरफ बढ़ने का दावा कर सकती है?

[श्री मदन पांडेय]

मैं सूती मिलों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। यह इतनी मोटी रिपोर्ट सूती मिलों के सम्बन्ध में है जिस पर कि हजारों रुपया खर्च हुआ। रेशनलाइजेशन की रिपोर्ट भी इसमें है। जब इसके बनाने में लाखों रुपया खर्च हुआ है तो हमें यह देखना चाहिये कि वह कहां तक लागू की गयी ?

मैं जानना चाहता हूं श्रम मंत्री जी से कि क्या एक भी उसकी रेकमेन्डेशन अब तक लागू की गयी है और अगर नहीं लागू की गयी है तो यह पब्लिक का हजारों रुपया क्यों स्क्वेन्डर किया जाता है और इस तरह रुपया बर्बाद करके खामखाह रिपोर्टों को वेस्ट पेपर बास्केट में क्यों डाल दिया जाता है ?

सूती मिलों के सम्बन्ध में और अधिक न कह कर, क्योंकि संक्षेप में ही कहना है, मैं चीनी उद्योग पर आ रहा हूं। मैंने मजदूरों की संख्या के बारे में बताया कि जहां पहले ६६ चीनी मिलों में ८३ हजार मजदूर काम करते थे वहां अब केवल साढ़े ६९ हजार ही रह गये हैं। इससे यह साफ जाहिर है कि मजदूरों की संख्या में कमी हुई है। इस फैक्ट को डिनाई करने के लिये क्या कोई आंकड़े सरकार के पास हैं ? मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि माननीय सम्पूर्णानन्द जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने कहा था, "लाइज, डैम लाइज स्टैटिस्टिक्स"। जो मौजूदा रिपोर्ट है इस वक्त इसमें बताया गया है कि सन् १९४५-४६ में जो साढ़े २२ रुपये मजदूरी थी उसे बढ़ा कर ५५ रुपये कर दी गयी, यानी साढ़े ३२ रुपये की वृद्धि की गयी। यह १९५९-६० की रिपोर्ट है जो हमारे सामने पेश की गयी है और जो सन् १९४८-४९ की रिपोर्ट है इसमें भी हूबहू जो आंकड़े उसमें रखे गये हैं वहीं आंकड़े इसमें रख दिये गये हैं। ये रिपोर्ट दूसरे प्रदेशों में जाती हैं, विदेशियों को दी जाती हैं। वे यह समझेंगे कि सन् १९४५-४६ में जो साढ़े २२ रुपये मजदूरी थी वह १२ वर्ष में बढ़ा कर के ५५ पये की गयी है और इसका सारा श्रेय इस सरकार को है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के पहले ५५ रुपये तनख्वाह हो चुकी थी। उसके लिये हड़तालें हुईं, अनशन हुये, हजारों आदमी निकाले गये, दो हजार निकाले हुए लोगों की लिस्ट अब तक है, इतनी कुरबानी के बाद ५५ रुपये हुये थे और आज यह आंकड़ों की जगलरी करके लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को भ्रम में डालने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—आप 'ठगना' शब्द वापस लें।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, अगर 'ठगना' शब्द अनपार्लियामेंटरी है तो उसे वापस लेने के लिये तैयार हूं।

अब सवाल यह है कि वेज क्या होना चाहिये। जो अन्तरिम रिलीफ आपने दी है वह क्या है चीनी के उद्योग में, मैं उसकी तरफ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और इस सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सन् १९५० में प्रो० शिब्बन लाल सक्सना ने भूख हड़ताल की और उसके बाद कई बार हड़तालें हुईं। उस हड़ताल के बाद अन्तरिम रिलीफ जो इस वक्त दी गयी वह २५ फीसदी आपके हिसाब से होनी चाहिये क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह दावा किया गया था कि लगभग १८ प्रतिशत हमारी मंद पर कैपिटा इन्कम में वृद्धि हुई है और दूसरी पंच-वर्षीय योजना का चौथा वर्ष चल रहा है अगर ७-८ प्रतिशत भी इसमें वृद्धि हुई है तो १८ और ७, २५ फीसदी हो जाता है और १९४८-४९ से जो मजदूरों को ५५ रुपये मजदूरी मिल रही है तो यूनाइटेड बिहार ऐंड उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ ने, जिसके प्रेसीडेंट श्री शिब्बनलाल सक्सेना हैं, बार-बार यह मांग की कि अंतरिम रिलीफ २५ प्रतिशत दी जाय। उसको इगनोर किया गया और दिया कितना गया ? ५ परसेन्ट। इसके साफ माने हैं कि पूंजीपतियों से मिल कर आई० एन० टी० यू० सी० के द्वारा यह सरकार पक्षपातपूर्ण नीति बरत रही है। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब इस सरकार के पास या माननीय मंत्री जी के पास है ? मैं मांग करता हूं कि जब तक वेज बोर्ड का फैसला न हो तब तक उन्हें यह चाहिय कि कम से कम २५ प्रतिशत अन्तरिम रिलीफ दें।

लिविंग वेज के सम्बन्ध में डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में जो निर्देश राज्यों को दिया गया है वह तो है ही । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निम्बकर कमेटी की यह रिपोर्ट भी है जिसके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया गया था। इतनी मोटी रिपोर्ट यह छापी गयी है । इसमें उन्होंने श्रीमान, मिनिमम लिविंग वेजेज निर्धारित करने की सिफारिश १९४८-४९ में की थीं कि बेसिक मजदूरी ३० रुपये माहवार होनी चाहिये और महंगाई के आंकड़े के हिसाब से प्रति आंकड़ा ढाई आने की वृद्धि होनी चाहिये । इस निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट को सूती मिलों में कूपर एण्ड ऐलनबरी जैसे कारखानों में ही लागू किया गया । लेकिन चीनी उद्योगों के मजदूरों के लिये इसको लागू नहीं किया गया । पता नहीं सरकार को इन पूंजीपतियों से इतना मोह क्यों है ? माननीय मुख्य मंत्री जी शुरू से ही श्रम विभाग के भार को संभालते रहे हैं । मैं कह देना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को ताक में रख दिया गया है । हमारी यह माँग है कि इस रिपोर्ट में जो मिनिमम लिविंग वेजेज हैं उन्हीं को चीनी मजदूरों के लिये भी रखा जाय । यह एक उचित रास्ता है । मिनिमम लिविंग वेजेज के औचित्य के ऊपर जाने का न तो इस समय वक्त ही है और न कोई बात ही है .....

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में मुख्यत: दो प्रकार के श्रमिक हैं । एक तो मिलों में शहरों में काम करने वाले श्रमिक हैं और दूसरे देहातों में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं । आज उनकी दशा बहुत ही खराब है । हमारे देहातों में यह लोग बहुत परिश्रम करके अन्न का अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं लेकिन इनकी दशा बड़ी दयनीय है । मैं पश्चिमी जिलों की बात तो नहीं कह सकता हूं लेकिन पूर्वी जिलों में यह लोग सुबह से खेतों पर काम करने जाते हैं और दो बजे तक की मजदूरी में इनको केवल ढाई पाव अनाज दिया जाता है और वह भी इतने निम्नकोटि का होता है जिसको दूसरे लोग खाना तक पसन्द नहीं करेंगे ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इनकी दशा की जांच करने के लिये माननीय मंत्री जी एक समिति नियुक्त करें जिससे इनका सुधार हो सके । मान्यवर, विचित्र प्रकार से परम्परागत वह मजदूरी करते चले आ रहे हैं । किसी से उन्होंने दस, पन्द्रह रुपया उधार ले लिया तो उसका सूद बराबर बढ़ता चला जाता है । पिता के मरने के बाद लड़का और लड़का के मरने के बाद उसका लड़का उनकी मजदूरी करता है और अपना कर्जा पाटता रहता है और यह लोग बराबर उनका हल चलाते रहे हैं । इनको खेत दिया जाता है और हलवाहे के रूप में थोड़ी सी मजदूरी दी जाती है । यह अपने बच्चों का भरण-पोषण तक नहीं कर पाते हैं । शिक्षा की बात तो बहुत दूर है । इस तरह से वह अपनी दशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं ।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी जाय और इनके लिये उचित दवादारू की भी व्यवस्था की जाय । मकान बनाने के लिये जैसे कि गवर्नमेंट की योजना कम वेतन पाने वालों के लिये है उसी तरह से इनको भी कर्जा कम सूद पर और ज्यादा दिनों के लिये दिया जाय जिससे वह भी अपना मकान बना सकें ।

मान्यवर, हमारे जौनपुर वगैरह जिलों में ऐसे महाजन होते हैं जो खेतिहर मजदूरों को कर्जा देते हैं और इसका तरीका कुछ ऐसा होता है कि २५ फीसदी सूद लेते हैं और कुछ लिखा-पढ़ी का अलग से लेते हैं । इस तरह से साल भर में वह ४०,५० फीसदी सूद पड़ जाता है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि सरकार ऐसे महाजनों पर प्रतिबन्ध लगाये जो इस तरह से मनमाना सूद लेकर गरीबों का शोषण करते हैं । मान्यवर, सरकार की ओर से यह नियम बना है कि न्यूनतम मजदूरी उन्हें १ रुपया रोज या २६ रुपये महीने दी जाय लेकिन इसका कहीं भी पालन नहीं होता है । जांच के लिये श्रम इंस्पेक्टर्स भी नियुक्त हैं लेकिन वह भी उनकी जांच नहीं करते हैं । मान्यवर, सरकार कोई ऐसा कदम जरूर उठाये जिससे खेतिहर मजदूरों की हालत में सुधार हो ।

[श्री माताप्रसाद]

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि शहरों में और खासकर कानपुर की मिलों में काम करने वाले, जैसे, एलगिन मिल, म्योर मिल, लक्ष्मीरतन मिल, अथर्टन वेस्ट मिल के मजदूर हैं, उन्होंने मुझसे यह बताया कि १५ अगस्त और २६ जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों तक में हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है। वह उस दिन भी हमसे काम लेते हैं, लेकिन अपने हिसाब में दिखलाते नहीं हैं। तो मैं मांग करूंगा कि हमारे देश के जो ये महान् पर्व हैं इनमें उनको जरूर छुट्टी दी जाय।

उनके रहने के लिये कई अहाते हैं। कुछ मजदूरों के लिये क्वार्टर की व्यवस्था हो गयी है, लेकिन ज्यादातर मजदूर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर वास्तव में कोई भी मनुष्य रहना पसन्द न करेगा। एक छोटी-सी कोठरी में आठ-आठ, दस-दस आदमी रहते हैं। वहीं पर भोजन बनाते हैं। उनकी हालत पशु से भी गयी गुजरी है। इसलिये सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिये जिससे वह मिल मालिकों को मजबूर करे कि वह अधिक से अधिक मजदूरों के लिये रहने की व्यवस्था करें। उनके स्वास्थ्य के लिये और दूसरी सुविधायें भी सरकार को देनी चाहिये।

दूसरी बात मुझे वृद्धावस्था पेंशन के विषय में कहनी है। उसके लिये ७० वर्ष की अवस्था रखी गयी है। मैं चाहता हूं कि इसकी उम्र कुछ और कम कर दी जाय क्योंकि इससे बहुत कम लोगों को पेंशन मिल पाती है। दूसरी चीज यह होती है कि जब अवस्था की जांच करने के लिये अधिकारी वहां पर जाते हैं तो वहां पर पुराने कागजात मिलते नहीं। गांव सभाओं के कागजात उतने प्रमाणित नहीं माने जाते। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था हो कि वहां के प्रधान या और लोग अगर कोई ऐसा वृद्ध हो जो देखने में ७० वर्ष या उससे बड़ा मालूम होता हो, उसको प्रमाणित कर दें तो उसको पेंशन दी जाय। इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था रखी गयी है कि बहुत लम्बा परिवार रखा गया कि अगर कोई भी संबंधी हो तो पेंशन नहीं दी जायगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत से निकट संबंधी जैसे भाई, भतीजे अथवा लड़के, भी अपने माता-पिता या चचा का भरण-पोषण नहीं करते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। सरकार कोई ऐसा सुधार करे जिससे ऐसे लोगों को भी पेंशन मिल सके।

मान्यवर, दूसरी बात मैं एमप्लायमेंट एक्सचेंज के विषय में कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे जिले में भी इस तरह का एक आफिस खोल दिया गया है लेकिन वहां पर बहुत ही थोड़े लोगों, २० आदमियों का दो एक दिन में रजिस्ट्रेशन हो पाता है और सैकड़ों आदमी वहां पर जाते हैं और परेशान होते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था हो कि जो लोग वहां जायं उन सबको रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिले। रजिस्ट्रेशन में एक चीज का और भी खयाल होना चाहिये। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में ऐसी सुविधा माननीय मंत्री जी को देनी चाहिये कि ऐसे लोग जो बहुत ही गरीबवर्ग के हैं, मजदूर हैं या हरिजन हैं, ऐसे लोग जब रजिस्ट्रेशन के लिये जायं तो उनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय क्योंकि बहुत से जो रिजर्व स्थान होते हैं वहां पर जब मांग की जाती है, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे जाते हैं, तो जिसका नम्बर होता है उसी का नाम भेजा जाता है, तो हरिजनों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था हो कि अगर कहीं पर जगह खाली हो तो उन्हें वहां फौरन भेजा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हमेशा सरकारी पक्ष से यह बात करती है कि मजदूरों को या कर्मचारियों को एक माडेल एम्प्लायी बनना चाहिये। लेकिन मैं आपके जरिये माननीय श्रम मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी यह कोशिश की कि वह और उनके जो मिल मालिकान हैं वह भी माडेल एम्प्लायर बनें? जहां तक मैं समझता हूं दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में हमारे यहां के एम्प्लायर्स का ऐटीट्यूड उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

आज मजदूर आन्दोलन हमेशा ट्रेड यूनियन्स के जरिये चलते हैं। लेकिन यह मैं कहूं कि आज ट्रेड यूनियन्स की संख्या जरूर बढ़ी है पर १ हजार से ज्यादा तादाद वाली यूनियनों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है जो कि भविष्य में एक स्वस्थ परम्परा कायम करने में बाधक होगी। दूसरे, हमेशा जब यूनियनों को रेकग्नाइज करने का सवाल आता है तो उसमें जहां हम बहुगुणा जी से उम्मीद करते हैं कि निष्पक्षता से व्यवहार हो, उनकी तरफ से हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन जहां तक विभागीय स्तर का प्रश्न है यह मैं आपसे कहता हूं कि बिलकुल निष्पक्ष जजमेंट नहीं किया जा रहा है।

रेशनलाइजेशन की ओर अब मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। खास तौर से कानपुर टेक्सटाइल मिलों में जब रैशनलाइजेशन हो रहा था तो उस समय एक समझौता हुआ था कि अब इसको रोक दिया जाय। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर समझौता होने के बाद भी मजदूरों को निकाला नहीं जा रहा है? उनका एक प्रतिनिधि-मंडल भी माननीय मुख्य मंत्री जी से मिल चुका है जिसमें माननीय गेंदा सिंह जी भी उपस्थित थे। मैं चाहता हूं कि इसकी भी जांच होनी चाहिये।

दूसरे मान्यवर, आज सरकार इस बात को मानती है कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं और समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं, तो ऐसे राज्य में मजदूरों को और मिल मालिकों को कलेक्टिव बारगेनिंग की छूट मिलनी चाहिये जो कि नहीं मिल रही है। बहुगुणा जी ने पिछली दफा हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया था कि पुरानी किताबों को पढ़कर हम यह बातें कहा करते हैं। यह पुस्तक है "लेबर प्राबलम्स इन इंडियन इंडस्ट्री" बाई वी० वी० गिरि, रिवाइज्ड एडीशन, इसमें उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है जो हम कहते हैं। उन्होंने लिखा है—

"However, it must be distinctly understood that collective bargaining and mutual negotiations should be given full scope at every stage of the dispute or a threatened dispute".

"डिस्प्यूट" के बाद उन्होंने "थ्रेटेंड डिस्प्यूट" भी कहा है। माननीय गिरि जी हमारे बहुत बड़े मजदूर नेता रहे हैं, मजदूर आन्दोलन में उनका बहुत हाथ रहा है। सौभाग्य से आज वह हमारे राज्यपाल भी हैं। उनका कहना है कि मजदूरों को पूरी पूरी अपार्चुनिटी इसके लिये दी जाय। लेकिन, मान्यवर, ऐसे ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं, मैं आपके जरिये बतलाना चाहता हूं उस मंत्रालय का नाम मैं नहीं लूंगा, धौला रिजर्वायर बन रहा है, वहां पर १५ साल से जो मजदूर काम कर रहा था उसको निकाल दिया गया और जब माननीय मंत्री जी ने इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बड़ी हिम्मत से कहा कि यह हमारे हाथ में है कि हम जब चाहें रखें, जब चाहें निकालें। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह मनोवृत्ति खत्म होनी चाहिये। यह सही है कि ठीक से सर्विस रूल्स इनके अभी नहीं बने हैं। सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये। पांच पांच सालों से जो हमारी योजनायें चल रही हैं, उनमें जो लगे हुए मजदूर हैं, जैसे नानकसागर डैम है और तुमडिया डैम वगैरह है, इनमें जितने भी मजदूर लगे हुये हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस रेग्युलेट होनी चाहिये ताकि इन अफसरों की अफसरशाही में वह निकाले न जा सकें। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि जिन्होंने मजदूरों की शिकायत को सुनने का मौका दिया और मैं चाहता हूं कि अगर मजदूरों की शिकायतें आवें तो दोनों पक्षों को सुनने का मौका दिया जाय।

आज खेतिहर मजदूरों की बहुत दुर्दशा है और उनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं इसके संबंध में आज यह जानना चाहता हूं कि मिल मालिकों की यहां पर बहुत चीजें कही जाती हैं लेकिन गवर्नमेंट फार्मों में क्या आज मजदूर १ रुपये, और १२ आने रोज पर नहीं रखे जा रहे हैं? गवर्नमेंट को पहले आगे आना चाहिये और आगे आकर कहना चाहिये कि

[श्री प्रतापसिंह]

इतनी मजदूरी २ रुपया या ढाई रुपया हम सरकारी फार्मों में देते हैं। सरकार को इस तरफ अपना ध्यान देना चाहिये। आज खेतिहर मजदूरों की बहुत खराब हालत है। मैं बम्बई का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर दूसरे प्रदेश के खेतिहर मजदूरों को मिनिमम वेज ६७ रुपया मिलता है। मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश में भी उसी का अनुकरण किया जाय।

जहां तक इंडस्ट्रियल लेबर का सवाल है, हमारी सरकार कहती है कि हम स्लम का उनके लिये सुधार करना चाहते हैं। आज स्लम को हटाने के बाद १ और २ कमरे के मकान उनके लिये बनाये गये हैं, लेकिन उनके जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं या मिल मालिक हैं या जो भी इंतजाम करने वाले हैं उनकी कोठी में और मजदूरों के कमरे में, उनकी तनख्वाहों में और मजदूरों की तनख्वाहों में जमीन आसमान का अन्तर है। इसके संबंध में "फुल एम्पलायमेंट फार इंडिया" नामक पुस्तक में जो प्रोफेसेर हेराल्ड लास्की ने विचार प्रकट किये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

No nation can hope to survive, no civilization has ever survived in which there is a permanent division of its people into rich and poor".

उन्होंने यह कहा कि कोई सभ्यता, कोई देश जिन्दा नहीं रह सकता जहां पर गरीब और अमीर का स्थायी रूप से वर्गीकरण कर दिया गया हो। इसलिये मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक नौजवान आदमी हैं, उनको अपना दृष्टिकोण बदलते हुए और इस विभाग के दृष्टिकोण को बदलते हुए आगे बढ़ना चाहिये। यह ठीक है कि आज मजदूरों को स्लम से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो कि जो मैनेजर हैं वह महलों में न रहें। वह ऐसी हालत में रहें जिससे मजदूर यह कह सके कि हम समानता की ओर जा रहे हैं। हमारी सरकार को याद रखना चाहिये कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कांग्रेस का नारा ह और मजदूरों को भी यह मालूम होना चाहिये कि वह उस ओर जा रहे हैं। किन्तु मैं यह समझता हूं कि शब्द जाल में फंसाने की यह सरकार अधिक कोशिश करती है।

मान्यवर, यहां पर लिविंग वेज पर बड़ी बहस हुई कि क्या हो। इसका ज्ञान हमको संविधान की धारा ४३ से होता है जिसमें यह कहा गया है कि लिविंग वेज इतना मिलना चाहिये। इस विषय की और भी जितनी रिपोर्ट्स हैं, गिरि साहब ने लिखा है कि हर इंडस्ट्री में लिविंग वेज होती है जैसे जैसे इंडस्ट्री प्रास्पर करेगी वैसे वेज बढ़ेंगी। नैनीताल में एक मीटिंग इस विषय में हुई थी जिसमें बहुगुणा जी ने भी हिस्सा लिया था। उसमें एक मत से यह पास किया गया कि मिनिमम वेज फैक्ट्री के अन्दर मजदूर को ११५ रुपया मिलना चाहिये। तो फिर यह सवाल नहीं उठना चाहिये कि लिविंग वेज क्या होनी चाहिये। जो कमेटी बिठाई उसकी सिफारिश आने के बाद यह नहीं कहा जाना चाहिये कि इकोनामी कमेटी बैठी है उस पर विचार हो रहा है। कमेटी तो बैठती ही रहती है लेकिन जो उस कमेटी की सिफारिश है उसको मानना चाहिये। अगर और मिनिमम वेजेज कमेटी बैठेगी और इस पर विचार करेगी तो उसके विषय में भी बहुगुणा जी यही कहेंगे कि वह कमेटी विचार कर रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो पहले से ही सिफारिश मौजूद हैं उनको माना जाय। मैं समझता हूं इस संबंध में संविधान की धारा का विरोध किया जा रहा है। श्रीमन्, जब बहुगुणा जी डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी सहानुभूति पी० डब्लू० डी० के लेबर के साथ है और पी०डब्लू०डी० को बहुत बोगस डिपार्टमेंट उन्होंने कहा था। यह उनकी विधान सभा की १९५६-५७ की कार्यवाही में मौजूद है वे उसको पढ़ सकते हैं। यह बहुगुणा जी के शब्द हैं "जिस देश को आजाद हुए १२ साल हो गये उस देश के मजदूर को ११ रुपया बेसिक मजदूरी और २२।। रुपये महंगाई मिलती है तो यह विचार करने की बात है। और यह भी तनख्वाह उनको ३,४ महीने में मिलती है"। मैं इस ओर बहुगुणा जी का ध्यान

दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से रोडवेज में १ रुपया रोज पर मजदूर रखे जाते हैं और शुगर फैक्टरीज में जो सीजनल लेबर रखा जाता है उन मजदूरों की कोई कीमत नहीं है। जब चाहे तब उनको मिलमालिक दो आना भी दे सकते हैं, चार आना भी दे सकते हैं। वहां पर मजदूर की कोई कीमत नहीं है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मान्यवर, एक चीज और है। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी और जो उसकी सब कमेटी बनी थी उसमें और सेकिंड फाइव इयर प्लान में भी एक करोड़ बीस लाख लोगों को नौकरी देने का सवाल आया था। इस ओर हमारे प्रदेश की सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, मैं यह जानना चाहूंगा। इम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात, जो मेरे एक मित्र ने कही, मैं माननीय बहुगुणा जी से यह जानना चाहूंगा कि वे यह बतायें कि उन्होंने एक मिडिल इम्पलायर की हैसियत से कितना उसका प्रयोग किया है? कितनी नौकरियां कारखानों में आज इम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये से दी गयी हैं? कितने मजदूर जो आज काम में लगे हुये हैं, इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा रखे गये? इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूं कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज की आज आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से माननीय बहुगुणा जी पहले श्रम विभाग को बोगस विभाग मानते थे उसी प्रकार मैं भी इस इम्प्लायमेंट एक्सचेंज को बोगस मानता हूं। आज जो सरकार के सामने यह सवाल आते रहते हैं कि फलां विभाग में सिफारिश से लोग रख लिये गये वह सिफारिश हमेशा के लिये खत्म हो जायेगी।

मान्यवर, दूसरी चीज मैं बोनस के बारे में कहना चाहता हूं। आज काफी मजदूर मिलों में काम करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूर आज मिलों में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज बम्बई वगैरह में मिलों में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं वे काफी संख्या में स्थायी हैं, किन्तु हमारे यहां ज्यादातर मजदूर अस्थायी हैं। चार पांच महीने काम करने के बाद जो उनका समय बाकी बच जाता है क्या सरकार उसके लिये उनको कोई एलाउन्स देती है? सरकार कहती है कि हम पूरा बोनस दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको पूरा बोनस नहीं मिलता है। आज जितना उसको मिलना चाहिये उतना उसको नहीं मिल रहा है। दूसरी जगह मजदूरों को रिटेनरी एलाउन्स मिलता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उनको पूरा-पूरा बोनस मिलना चाहिये।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे यहां जो कर्मचारी हों उनका वेतन कम से कम ८० रुपये होना चाहिये। बिहार के मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि हमारे यहां कम से कम वेतन ६० रुपये मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी इस तरह की कोई चीज होनी चाहिये। हमारे संविधान की धाराओं में भी यह स्पष्ट है कि "equal pay for equal work."

एक चीज की ओर मैं और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि अभी पायनियर प्रेस से २२ आदमियों को निकाल दिया गया है। जो आदमी ४०-४० वर्ष से काम कर रहे थे उनको अलग कर दिया है। उन लोगों का, एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मंत्री जी से मिला भी होगा। मैं पूछता हूं माननीय बहुगुणा जी से कि उन्होंने क्या किया? मैंने उनको इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है। वह बतायें कि उन्होंने इन लोगों के संबंध में क्या किया है।

आज जो सबसे बड़ी चीज है, मिल मालिकों और मजदूरों के संबंध में, वह यह है कि मिल मालिकों के आउटलुक में फर्क होना चाहिये। आज जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं वे मजदूरों को एक कौम समझते हैं। जब तक उनके इस आउटलुक में परिवर्तन नहीं होगा तब तक मजदूरों और मिल मालिकों के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। आज जो मजदूर काम करते हैं उनको

[श्री प्रतापसिंह]

यह गारण्टी होनी चाहिये कि वे जो कार्य करें उसका उनको उचित पैसा मिलेगा और उसमें उनका हिस्सा भी होगा। हमारे गिरी साहब ने भी कहा है कि कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों का उसमें हिस्सा होना चाहिये।

अन्त में मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि आज कई जगह पक्षपात पूर्ण रवैया बरता जा रहा है। मोदी नगर, सरदार नगर और खेतान फैक्ट्री के लोगों को आज नोटिस दे दिया गया है। वे लोग हड़ताल करेंगे। आज सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि जनतंत्र में मजदूरों को अपना हिस्सा मिल सके। जनमत में मजदूर अपना पार्ट सब से अधिक अदा करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं फिर बहुगुणा जी से प्रार्थना करूंगा कि जब कभी मजदूरों की शिकायत आवे, तो मजदूरों की बात को प्रधानता दें और मिल मालिकों की बात को द्वितीय श्रेणी में रखें तभी वे मजदूरों के साथ न्याय कर सकेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं; क्योंकि, मैं समझता हूं कि इस अनुदान से ऐसे छोटे गरीब तबके का भला होना है जिसके लिय, मैं समझता हूं कि इस विधान सभा में बैठे हुए अधिकांश सदस्य कहा करते हैं। मैं इस निश्चित मत का हूं कि इस वर्तमान सरकार के द्वारा प्रदेश के मजदूरों का काफी हितसाधन किया गया है। अभी हमारे मदन पांडेय जी ने एक तालिका रखी और यह उसके द्वारा साबित करने की कोशिश की कि प्रदेश में हमारे मजदूरों की वार्षिक ढंग पर दैनिक आय घटी है और बराबर घटती जा रही है दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में। तो मैं जरा इस बात को ढूंढ़ने लगा कि आखिर यह बात कहां तक सही है। पांडेय जी एक श्रमिक नेता हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश के करीब-करीब ६ प्रांतों को छोड़कर ११ प्रांतों से हमारे प्रदेश के मजदूरों की आय अधिक है और अगर वे उन फिगर्स को स्टडी करने की कृपा करें तो मैं समझता हूं कि वह खुद ही इस फैसले पर पहुंच जायेंगे।

साथ ही साथ पांडेय जी ने एक मौलिक प्रश्न उठाया। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि मजदूरों की ट्रेड यूनियन्स को काफी बढ़ावा मिलना चाहिये क्योंकि उनके जरिये मजदूरों के हितों का चिन्तन होता है। उन्होंने यह आक्षेप किया था कि प्रदेश के अन्दर ट्रेड यूनियन्स की संख्या घटी है। मैं साधिकार रूप से कह सकता हूं कि पता नहीं कि उन्होंने इस नतीजे को कहां से निकाला। अगर वे सन् ३७ से अब तक की फिगर्स को देखें तो इस प्रदेश में जिस रफ्तार से ट्रेड यूनियन्स की संख्या बढ़ी है वह पूरे भारत में सब से ज्यादा है।

(इस समय १२ बजकर ५६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुए।)

इस वक्त हमारे यहां लगभग १,०२५ मजदूरों की ट्रेड यूनियन्स हैं जो एक बहुत अच्छी संख्या है। वे उन मजदूरों को काफी सहारा दे रही है। तो पता नहीं उन्होंने यह बात कैसे कह दी, यह मैं नहीं समझ सका वे हर स्पीच में माननीय शिब्बनलाल जी सक्सेना को विधान सभा में ले आते हैं, मैं तो अपनी ही बात उनसे कह सकता हूं।

इसके साथ ही साथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि अगर सरकार यह चाहती है कि हमारे मजदूर शक्तिशाली बनें, उनमें काम करने की शक्ति बढे, एफीशियेंसी बढ़े तो सरकार को यह चाहिये कि वह भी एक आदर्शवादी एटीट्यूड मिल मालिकों से अख्तियार करावें और स्वयं भी अख्तियार करें। इसमें संदेह नहीं है कि सरकार का आदर्श समाजवादी है और अगर हमारे भाई ने श्रमिकवर्ग के बीच में किये गये सरकार के कार्य-कलापों पर थोड़ी-सी दृष्टिपात करने की कृपा की होती तो शायद ऐसी बात कहने की कम से कम वे तो हिम्मत नहीं करते। क्योंकि वह देखेंगे कि हमारे यहां मजदूरों के बीच में करीब-करीब ५६ श्रम हितकारी केन्द्र खोले गये हैं तथा ६ और खुलने का प्रस्ताव है। आखिर इन केन्द्रों का कार्य

क्या है ? उनका कार्य यही है कि मजदूरों के बीच में वह विभिन्न योजनाओं के द्वारा, अस्पतालों के द्वारा, पुस्तकालयों के द्वारा तथा अन्य सांस्कृतिक प्रोग्रामों के द्वारा उनका हित चिन्तन करें और उनको आगे बढ़ाने में सहारा दें । यह कार्यवाहियां इसीलिये हो रही हैं कि श्रमिकों का उत्थान हो . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आपने कभी जाकर देखा भी है या सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है ?

श्री रामेश्वरप्रसाद—जी हां, मैंने स्वयं जाकर देखा है, किताबों में ही नहीं पढ़ा है । इन्हीं मजदूरों के बीच में ४७ औषधालय चलाये जा रहे हैं जिन से इसी समूह को लाभ हो रहा है । इसके साथ ही साथ ५,९७,०६० नये तथा १२,२९,४५६ पुराने रोगियों को इन चिकित्सालयों के द्वारा लाभ पहुंचा है । इसके अलावा टी० बी० के लिये भी मजदूरों की बस्तियों में या केन्द्रों में सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है कि टी० बी० के इलाज में विभिन्न प्रकार से ७ केन्द्रों पर उन मजदूरों को सहायता दी जाय ।

यही नहीं, जैसा कि अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि मजदूरों के रहने की व्यवस्था बड़ी खराब है, वे सैल्स में रहते हैं, ८-१० आदमी एक कोठरी में रहते हैं, उधर भी सरकार का ध्यान गया है । इस सम्बन्ध में एक नोटवर्दी बात यह है कि जहां स्कीम बनाने का सवाल आता! है रुपये पैसे का सवाल पहले आ जाता है लेकिन फिर भी इस सरकार ने, भारत सरकार से सहायता लेकर और अपना भी योगदान देकर, स्कीमें बनायी हैं और आज करीब-करीब २०,६९० मकान मजदूर बस्तियों में बनाकर सरकार ने खड़े किये हैं । यह मकान दो कमरे वाले और एक कमरे वाले नयी पद्धति से बनाये गये हैं, इनमें पलश सिस्टम है, नल लगा हुआ है, बिजली का प्रबन्ध है, हवादार मकान हैं; तो आखिर यह मकान उन्हीं मजदूरों के स्वास्थ्य लाभ और उनके रहन-सहन को ऊंचा करने के लिये बनाये गये हैं, इन मकानों से उन मजदूरों का नुकसान तो नहीं हो रहा है, उनका भला ही हो रहा है ।

यह मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में जो यह काम मजदूरों के लिये हो रहे हैं, जो उनके लिये मकान बनाये गये हैं, वे उनके लिये कम हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । मैं महसूस करता हू कि हमारे प्रदेश की सरकार को इसमें संतोष नहीं है कि इन हैंडफुल मकानों से मजदूर वर्ग की समस्या का हल हो जायगा ।

हमें देखना चाहिये कि सरकार की नीति, सिद्धान्त, मंशा, ध्येय क्या है । साफ जाहिर है कि यह सरकार बराबर रात दिन मजदूरों के हित चिन्तन में लगी रहती है कि किस प्रकार से मजदूरों को आदर्श मजदूर बनाया जाय । इसके बाद भी अगर सरकार की आलोचना की जाय तो यह हमारे दुर्भाग्य की बात होगी । इसके साथ ही साथ मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रदेश के जो मजदूर हैं वे आज के युग में काफी अपना संरक्षण भी महसूस करते हैं । आज बीमा योजना लागू की गयी है । कोई मजदूर अगर घायल हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तो सरकार उसे कम्पेन्सेशन दिलाने का प्रयत्न करती है । क्या ये सब बातें समाजवादी नीति की परिचायक नहीं हैं ? आज इन्हीं मजदूरों के लिये १९ प्रकार के अधिनियम, केन्द्र और इस प्रदेश के द्वारा, लागू किये गये हैं । इन अधिनियमों का केवल एक ही मतलब है और वह यह कि मजदूरों को सतोष मिले, सहारा मिले और जहां भी उनके झगड़े हों, उनको समाजवादी तरीके से संचालित किया जाय ।

हमारे मुख्य मंत्री जी इसी प्रदेश के नहीं बल्कि सारे देश के श्रम विशेषज्ञ माने जाते हैं । उनके संरक्षण में मजदूरों का काफी हितचिंतन हुआ है, यह अकाट्य बात है । हमारा यह भी सौभाग्य है कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर बहुगुणा जी भी इस

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

विभाग में आ गये हैं जिन्होंने श्रम दुनियां में अपना काफी समय बिताया है । ऐसे ऐक्सपर्ट्स के हाथों में श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित है ।

मैं यह बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि इस विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन की योजना चालू की । सोचने की बात है कि अमेरिका जैसा देश, जिसका धन में सारा संसार लोहा मानता है, उसने भी अपने यहां वृद्धावस्था पेंशन के लिये कोशिश की लेकिन वह आजादी के पचासों साल के बाद सन् १९३५ में ही इस योजना को अडाप्ट कर पाया । उसके मुकाबले में क्या यह प्रसन्नता की बात नहीं है कि प्रदेशीय सरकार ने इतनी जल्दी इस ओर अपना कदम बढ़ाया है ?

आज प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की हालत काफी खराब है । इनकी दशा खराब करने की जिम्मेदारी भूतपूर्व जमींदारों पर है । सरकार इस ओर ध्यान दे और कम से कम अपने फार्मों पर, जो मजदूरी की दरें उसने निर्धारित की हैं, दरों को सब जगह के लिये लागू कर दिया जाय । इससे मजदूरों को बहुत सहारा मिल जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--मैं एक बात जानना चाहता हू कि सरकारी फार्मों पर मजदूरों को एक रुपया मजदूरी मिलती है तो क्या आप सब जगह उनको एक रुपया ही दिलवाना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वरप्रसाद--मेरी ऐसी जानकारी है कि आमतौर से ६ आना या ८ आना मजदूरी उनको दी जाती है । इसलिये अगर उनकी मजदूरी १ रुपया कर दी जायगी तो उनका बहुत संरक्षण हो जायगा । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--अधिष्ठाता जी, मैं मदन पांडेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू । १५ अगस्त, १९४७ के बाद जब से इस प्रदेश और देश में कांग्रेस की हुकूमत आयी है, कम से कम मजदूरों के क्षेत्र में देखने से यह साफ पता चलता है कि इस कांग्रेस सरकार की नीति मजदूरों के हित वाली नीति नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों की चेरी है और जहां तक मजदूरों के हित की बात करने को सरकार ने सोचा है, हमेशा उसने प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाया है ।

श्रीमन्, आदरणीय सदन के माननीय सदस्य और प्रदेश की जनता और खासकर राजनीतिक पार्टीज के लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रदेश में दो प्रमुख उद्योग हैं--एक तो वस्त्र उद्योग और दूसरा चीनी उद्योग । श्रीमन्, वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में विन्ध्यवासिनी कमेटी की जो मोटी रिपोर्ट निकली है उसको माननीय सदस्यों ने देखा होगा और मैंने भी उसे देखा है । उस कमेटी में हिन्द मजदूर सभा के कामरेड बाजपेयी ने एक पूरा मसविदा रखा था और उसके डेलिबरेशंस भी बहुत अच्छे हुए । लेकिन माननीय मंत्री जी इस सदन के सामने बतलाने की कृपा करें कि उस रिपोर्ट में जो सिफारिशें बतलायी गयी हैं मजदूरों के हित की वे लागू हैं ? उनको लागू किया गया है ? उन्हें लागू नहीं किया गया है । लागू क्या किया गया है ? रेशनलाइजेशन को लागू किया गया है । बहुत-सी कपड़ा मिलों को आर्डर दे दिया गया है कि आप अपने यहां रेशनलाइजेशन लागू कर दें । इसका मतलब यह है कि अभिनवीकरण लागू किया जायगा लेकिन कार्य भार नहीं बढ़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पहले दो-दो सांचे चल रहे थे वहां चार-चार, छः छः सांचे नहीं चल रहे हैं ? इसका साफ मतलब यह है कि मजदूर जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसको मजदूरी कम मिलेगी और फिर कहा जाता है कि मजदूरों पर कार्यभार नहीं बढ़ेगा ।

श्रीमन्, म्योर मिल के ऊपर मजदूरों का बहुत-सा वेतन और मजदूरी का पैसा बाकी है जो अभी तक नहीं मिल सका है । माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने इसमें बीच बचाव किय.

था, म्योर मिल का मैनेजमेंट बदल गया है लेकिन मजदूरों का पैसा अभी उसके जिम्मे बाकी है ।

श्रीमन्, इन मिल मालिकों द्वारा प्ले आफ का फ्राड किस तरह से किया जाता है, इस सम्बन्ध में भी कुछ बतला देना चाहता हूं । नैनीताल में कमेटी हुई थी तो उसमें उमाशकर जी ने इस सवाल को उठाया था। श्रीमन्, मैं भी उस कमेटी का मेम्बर हूं इसलिये इस बात को जानता हू। एक दिन काम कराते हैं और ५ दिन प्ले आफ और फिर ६ठे दिन काम कराते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हफ्ते में ५ दिन तक मिल को बन्द रखा जाता है ताकि मजदूरों को पैसा न देना पड़े। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया और कहा कि इंडियन लेबर ऐक्ट में केन्द्रीय स्तर पर कोई संशोधन कर दिया जाय जिससे गलत तरीके पर प्ले आफ न हुआ करे, जिससे मजदूरों की रोजी मारी जाती है। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि बहुगुणा जी बतलाये कि नैनीताल में जो मजदूरों के हित की बात करने का निर्णय किया गया उन्हें यहां पर लागू किया गया है ? उनकी पूर्ति आज तक नहीं की गयी। मेरा कहना है कि आज वस्त्र उद्योग में क्या हो रहा है। आज कानपुर में हजारों मजदूर खाली हैं, उनकी भारी संख्या में छटनी हो गयी है जिससे वे तबाह हैं।

माननीय रामेश्वर जी वेलफेयर सेंटर की बात कर रहे हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर में टी० बी० के मरीजों के लिये कितने वेलफेयर सेंटर पर प्रबन्ध किया गया है। आपके कुल ६६ वेलफेयर सेंटर हैं जिनमें १८ कानपुर में ही हैं लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सेंटर ऐसे हैं जहां कोई डाक्टर ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—अगर आप यह बतला सकें कि टेक्सटाइल मजदूरों में टी० बी० की बीमारी पहले से बढ़ी है या घटी है तो उससे सदन का बहुत हित होगा ।

श्री उग्रसेन—पहले से बहुत बढ़ी है और कई जगह तो टी० बी० क्लीनिक की मशीन ही टूटी रहती है और फिर कहा जाता है कि डाक्टर ही नहीं मिलते हैं। जो डाक्टर हैं वे अपनी पूरी प्रैक्टिस करने के बाद जब फुर्सत होती है तब उन अस्पतालों में जाते हैं। अगर पिछले १० वर्ष से मुकाबला किया जाय और सेंसस लिया जाय तो मालूम हो जायगा कि पहले कानपुर में टी० बी० मजदूरों की संख्या क्या थी और अब क्या है। यही कारण है कि आज इतनी अधिक संख्या में मजदूरों की छटनी हो गयी है। श्रीमन्, टैक्सटाइल का मजदूर दुनिया में सबसे क्रान्तिकारी समझा जाता है और इस बात को कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड लोग भी मानते हैं। आज वे मजदूर टी० बी० की वजह से मरे जा रहे हैं और उनके घर की सारी चीजें गिरवी रखनी पड़ गयी हैं तथा वे सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं।

माननीय पांडेय जी ने अभी चीनी मिल मजदूरों के बारे में बहुत सी बातें बतायीं। बोनस के बारे में, मैं सदन को बताऊ कि निम्बकर इन्कवायरी कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि प्रोडेक्शन के बेसिस पर बोनस दिया जाय और सन् ५१ में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी निर्णय हुआ कि इसी तरह से मजदूरों को बोनस दिया जाय; लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और मजदूरों को प्रोडेक्शन के बेसिस पर बोनस नहीं दिया गया। सन् ५७-५८ में एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ उसमें भी निर्णय हुआ, एक कमेटी बनाई गई और श्री काशीनाथ पांडेय इस के प्रेसीडेंट थे। उस जमाने में सन् ५६ का बोनस जो आंका गया, वह पहले था १ करोड़ ३२ लाख; लेकिन उस के बाद फिर मिल मालिकों से कहा गया कि जो छट चाहते हैं वह दरख्वास्त दें । इस पर १६-१७ मिलमालिकों ने दरख्वास्तें दीं और उन में से एक को छूट भी दी गई और वह बोनस घट कर ५४, ३०, ८५० रह गया। तो ५८-५९ में ६० प्रतिशत पर ही बोनस दिया गया। मेरा स्पष्ट चार्ज है सरकार पर कि वह मिलमालिकों के हाथ में खेलती है और आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों की ही वह

[श्री उग्रसेन

कमेटी बनाती है। मैं चाहता हू कि बोनस के सम्बन्ध में हमारे जो आरोप हैं उन का मंत्री जी जवाब दें । यह भी जरूरी नहीं है कि जो ५८-५९ का बोनस दिसम्बर में तय हुआ है, वह मिलेगा ही। इस में लिखा हुआ है कि मिल मालिकों से कहा गया है कि चूंकि घाटा हुआ है इसलिये जिन मिल मालिकों को घाटा हुआ है वह दरख्वास्त दें। मेरा खयाल है कि मजीठिया ने भी, जो एक गरीब आदमी है जरूर दरख्वास्त दी होगी उस को भी यह सरकार छूट दिलवायेगी ।

यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने भी अपनी ४ मांगें रखी थीं। उन की पहली मांग थी कि उनके वेतन में २५ प्रतिशत वृद्धि की जाय और ५० प्रतिशत रिटेनिंग अलाउन्स मजदूरों को दिया जाय । बिहार सरकार अपने यहां अनस्किल्ड लेबर को बराबर यह दिला रही है । मंत्री जी से कितनी ही बार इस बात को कहा गया, लेकिन बराबर वह यही कहते रहे कि अभी इस पर विचार हो रहा है । तीसरी मांग उन की यह थी कि एक स्वतन्त्र वातावरण में हमें ट्रेड यूनियन फार्म करने के सारे अधिकार दिये जांय । दस साल के अन्दर अबतक २,००० मजदूरों के नेता निकाले जा चुके हैं लेकिन आजतक उन को कोई सुनवाई नहीं हुई । मोदीनगर, रामकोला, भटनी आदि चीनी मिलों में किस प्रकार मजदूर नेताओं को फंसाया गया है, इस तरह की मिल मालिकों की हरकतों को मंत्री जी और यह सरकार जानती है लेकिन कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध वह करने को तैयार नहीं है। मेरा चार्ज है कि वर्क्स कमेटी बनी और बाद में वह खारिज हुई। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी मिल मजदूरों के हित में मंत्री जी ने अभी तक क्या किया है।

नैनीताल की लेबर कांफ्रेंस में यह बात आई थी, हम ने सवाल उठाया था कि कन्ट्रेक्टर्स के लेबर का यह कौन-सा तरीका है । हमारे यहां भटनी चीनी मिल में माननीय बहुगुणा जी गये। वहां पर ४५० के करीब मजदूर, जो कन्ट्रेक्टर्स के कहे जाते हैं, काम करते हैं और ६०० आदमी वैसे वहां काम करते हैं। इस तरह से मिल मालिकों काकन्ट्रेक्टर्स के द्वारा मजदूरों को रखना श्रम संविदा के खिलाफ है। इस तरह से मिल मालिकों का ठेकेदारों के जरिये से मजदूर नहीं रखे जाने चाहिये। इसलिये मिल मालिक ऐसा करते हैं ताकि उन पर मजदूर कानून लागू न हो। इस तरह से वहां पर मजदूरों के साथ तरह-तरह की चालें चली जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों सरकार कोई कदम नहीं उठाती ?

आज चीनी मिल मालिकों पर साढ़े ७ करोड़ रुपए का बकाया पड़ा हुआ है ।

जरा सरकारी मजदूरों को देखिये । रोडवेज का सम्पर्क आप से भी है, श्रीमन्, उन साढ़े १२ हजार श्रमिकों के लिये कोई कानून नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को बोनस भी दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। सारे विभागों के लिये पे कमेटी बैठी, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग के लिये नहीं बैठी। जनरल मैनेजर जो डिसमिस करता है वही फैसला करता है। मांग की थी कि ज्युडीशियल ट्रिब्यूनल हो लेकिन नहीं हुआ। सेठ किरोड़ीमल के कारखाने के लिये तो टिब्युनल और इंडस्ट्रियल कोर्ट्स सब कुछ हैं, लेकिन आपके यहां कुछ नहीं ।

केसा के मजदूरों की हालत देख ली जाय। राष्ट्रीयकरण के पहले मजदूरी थी ८३ रु० ८० नये पैसे और राष्ट्रीयकरण के बाद ७४ रु० ८१ नये पैसे रह गई। वर्क्स काउन्सिल के लिये कहा गया, लेकिन नहीं बनाई गई । उनकी यूनियन को कोई मान्यता नहीं दी गई ।

पिपरी गोलीकांड हुआ । मांगी रोटी, मार दी गोली । क्यों ? हीराचन्द की कम्पनी है। महात्मा गांधी के जमाने में चेक काट दिया करते थे, उन्हें २२ करोड़ का ठेका दिया गया केवल रिहन्द बांध में ।

साहू केमीकल्स को देखिए । माननीय प्रभुनारायण सिंह, एम० पी० को भूख हड़ताल करनी पड़ी । २६ जनवरी की छुट्टी का पैसा नहीं देना चाहते हैं ? १ करोड़ ४५ लाख रुपया सरकार की ओर से उन्हें लोन दिया गया है ।

भदोही के कालीन मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज के बारे में एक कमेटी बनी । उसका निर्णय हो गया, मगर उसका फैसला दो महीने के लिये स्थगित कर दिया गया । कालीन मजदूरों के लिये हमने कहा कि एक लेबर इंस्पेक्टर आफिस खुले, लेकिन वह नहीं हुआ ।

विभूति ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद लिक्वीडेशन में है । उस पर १ लाख रुपया मजदूरों का बाकी है । क्यों नहीं सरकार दिलाती है ?

मेडिकल विभाग का गैंग (कुली) २७-२७ वर्ष से रोज सबेरे भर्ती होता है और शाम को निकाल दिया जाता है ।

प्रिसीशन फैक्टरी और चुर्क सीमेंट फैक्टरी की भी वही हालत है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की श्रम नीति पूंजीपतियों की नहीं है, सिंहानिया और डालमिया की नहीं है तो और क्या है, यह मंत्री जी बताने की कृपा करें ? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि इस विषय में बोलने का मुझे अवसर दिया । साथ ही अपने मंत्री जी का भी मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने यह अनुदान सदन के समक्ष पेश किया है ।

आज मैंने विरोधी दल के माननीय सदस्यों के कुछ भाषण सुने और यह भी देखा कि उनमें से कितने ऐसे हैं जो वाकई में मजदूरों के घर पैदा हुए, जो स्वयं मजदूर हैं और जो मजदूरों की हालत को जानते हैं । मैं यह भी जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के जो उप-मंत्री हैं वह जब से राजनीति में आये, इसी विषय में उनका जीवन बीता है; परन्तु क्या माननीय सदस्य कृपा कर बतायेंगे कि उनमें से कितने मजदूर के घरों से आये हैं और उनकी हालत को जानते हैं, चाहे इधर के हों या ऊधर के हों ? क्या कभी खाद की टोकरी उठाई है उन्होंने ? आज आप बात करते हैं मिलों की, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है खेतिहर मजदूर उसके बारे में एक शब्द कहने का भी साहस नहीं करते क्योंकि आप स्वयं उनका शोषण करते हैं । इस प्रदेश में जमींदारी खत्म हुई, परन्तु मुझे खेद है कि किसानों के सच्चे नुमाइन्दे जो यहां बैठे हुए हैं वह उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते । जब कहेंगे तो चीनी के मजदूरों की, कारखानों के मजदूरों की बातें कहेंगे । मुझे मालूम हुआ अधिष्ठाता महोदय, आपके जिले में खेतिहर मजदूरों को ५ आना मजदूरी मिलती है . . . .

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--कटाई में २५ पूरी दी जाती हैं, धान की कटाई में ९ मन में १ मन दिया जाता है ।

श्री हरीसिंह--श्रीमन्, घीया खाने के लियें दी जाती है । मैं कहता हूं कि अगर उनको उचित मजदूरी मिलने लगे तो उनको जमीन वगैरह की कोई आवश्यकता ही न रहे . . . . . .

श्री अधिष्ठाता--आप इस तरह का सुझाव दें कि कितनी मजदूरी उनको होनी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीसिंह---अभी आता हूं श्रीमन्, उस पर भी । आज जितनी भी हड़तालें होती हैं उससे देश का नुकसान ही होता है और इसकी जिम्मेदारी नेताओं पर है जो अपनी लीडरी के शौक में उनको भड़काते हैं । मैं श्रम कमेटी में रहा हूं मैंने देखा है उनके लिये अच्छे मकान हैं, अच्छे साधन हैं, अच्छी-अच्छी तनख्वाहें हैं . . . .

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---आप खेतिहर मजदूरों के बारे में कहें . . . . .

श्री हरीसिंह---आप तो न कहें क्योंकि आप तो उस पार्टी से संबंधित हैं जो देश को बेचना चाहती है। केरल में आपकी पार्टी की सरकार ने मजदूरों पर, चाय के मजदूरों पर गोली चलवाई । ये लोग मजदूरों की बात करते हैं तो जरा ताज्जुब होता है । इस पार्टी ने सन् ४२ में भी देश के साथ गद्दारी की । पिछले दिनों किसी सदस्य ने कहा कि अपनी सुविधा के लिये कम्युनिस्टों को बुला लेंगे . . .

श्री अधिष्ठाता---माननीय हरीसिंह जी, आपको ऊदल जी ने असली बात से हटा दिया । जरा उस सम्बन्ध में कहिये ।

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, सरकारी मजदूरों का जहां तक प्रश्न है, मैं सरकारी कृषि फार्मों को लेता हू जहां सरकारी पैसा खर्च होता है, इसलिये कि खेती अधिक पैदा हो जिससे दूसरे कृषकों को प्रेरणा मिल सके । सरकारी फार्मों पर हल जोतने वाले, सिंचाई करने वाले मजदूरों की सबसे कम मजदूरी है और जो कोट, पतलून पहने वाले हैं, जो हल तक पकड़ना नहीं जानते, जिनको डाइरेक्टर, इंसपेक्टर कहते हैं, किसी को ५०० रु०, किसी को १,००० रुपया तनख्वाह मिलती है। यह सरकार की नीति है ।

कम्युनिस्टों के पास ३०० बीघे जमीन है, सोशलिस्टों के पास ४०० बीघे जमीन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास जमीन है २५० बीघा, और राजामहाराजा, वे तो हमेशा से शोषक रहे ही हैं । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप लोग जमीन के बटवारे का आन्दोलन बिलकुल न चलायें और न इस नीति को अपनायें । हमें वह नीति अपनानी चाहिये कि कम से कम ५ रुपये मजदूरी हो मजदूर की और १० रुपये से अधिक किसी की न हो । अगर इतनी मजदूरी कराई जा सके तो फिर जमीन के बटवारे का सवाल ही नहीं पैदा होता ।

आप मिलों में हड़तालें कराते हैं । वहां तो किसान का लड़का काम करता नहीं । वहां तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों तथा जमींदारों के लड़के हैं और बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं । आप तो मजदूरों के खैरख्वाह हैं तो फिर अपने घरों पर हड़ताल कराइये जहां खेतों में मजदूर काम करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---कितने दें उनको ?

श्री हरीसिंह---५ रुपये से कम न हो और १० रुपये से अधिक न हो । लेकिन श्रीमन्, यहां तो आवां का आवां ही गोल हो रहा है । इधर भी सब ऐसे ही हैं । मैं तो यह चाहता हूं कि मजदूरी इतनी हो जितनी कि किसान को उत्पादन से बचत होती है । जमीन कोई रबड़ नहीं है जो खिच जायगी ।

जहां तक सरकार का सवाल है, वह तो अपना कर्त्तव्य पूरा कर रही है । अच्छे क्वार्टर्स उसने बनवाये, तनख्वाहें बढ़ाई, दवादारू का प्रबन्ध किया, लड़कों की शिक्षा के साधन जुटाये । इस तरह से जितना काम वह कर सकती थी उसने किया । लेकिन हम रोजाना हड़तालें कराते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, यही हमारा कर्म और धर्म रह गया है । आप यूनीवर्सिटियों के लड़कों को भड़काते हैं । उधर एक मास्टर साहब हैं, उनको मजदूरों का क्या ज्ञान है ? पांडेय जी हमें किताब सुना दें या कथा वार्ता सुना दें, लेकिन वे मजदूरों की बात करते हैं । एक माननीय सदस्य और हैं, वे वकालत करते हैं लेकिन वे भी मजदूरों की बात करते हैं । सच पूछा जाय तो इस सदन में ५, ६ प्रतिनिधि ऐसे होंगे जो

मजदूरों का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ही मजदूरों की समस्या को हल करवा सकते हैं। हां, कम्युनिस्टों से मजदूरों का कभी भला नहीं हो सकता। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि किसान के यहां भी जो मजदूर काम करता हो उसे ५ रुपये से कम मजदूरी न दी जाय और जो कारखानों में काम करते हों उनको १० रुपये से अधिक न दी जाय।

श्री अधिष्ठाता––लेकिन अगर कोई कारखाने वाला १० रुपये से ज्यादा देना चाहे तो उसके मुताल्लिक आपकी क्या राय है ?

श्री हरीसिंह––अगर किसी के पास फालतू रुपया है तो वह ऐसे इलाके में लगाया जाय जहां कोई कारखाना नहीं है और वहां पर बेकार मजदूरों को लगाया जाय। मैं यह नहीं चाहता कि किसी को तो हजार रुपये मिलें और किसी को २ रुपये। हजार वाला २ रुपये वाले के माइंड को खरीद लेता है और यही यहां होता आया है। इसलिये ३०० रुपये से अधिक मजदूरी किसी की न हो और ५ रुपये रोज से कम भी न हो। अधिक रुपया किसी के पास है तो जैसा कहा, जिन इलाकों में अधिक लाभ नहीं हो रहा है उसे वहां लगाया जाय और अधिक उत्पादन किया जाय तथा बेकार मजदूरों को उनमें लगाया जाय। सरकार ने एक स्कीम बनायी जिससे वह ३ आने रुपया खादी पर देती हैं। हम भी यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुःख की बात है कि ६ आने लिख कर ३ आने काटना शुरू कर दिया। जो धोती ६ रुपये में मिलती थी आज ३ आने काटने के बाद भी ९ रुपये में मिलती है। तो सरकार हर मिल पर कट्रोल करे और देखे कि कितनी आय होती है और जहां अधिक आय होती हो उस रुपये को ले कर उससे छोटे-छोटे उद्योग धंधे मजदूरों के लिये अलग से खोल दिये जांय क्योंकि हमने देखा है कि हड़ताल के दिनों में मजदूर लोग और उनके बच्चे मरते हैं और सरमायेदार ऐश उड़ाते हैं। इसलिये छोटे-छोटे उद्योग खोल कर उनकी मदद की जाय ताकि हड़ताल के दिनों में वे भूखों न मरें और मिल मालिकों से अपने श्रम का उचित मूल्य ले सकें। हमें चाहिये कि हम स्वयं इसे कार्यरूप में परिणत करें।

श्री अधिष्ठाता––समय समाप्त हो गया।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे प्रदेश में दो प्रकार के श्रमिक हैं–एक तो शारीरिक श्रम करने वाले और दूसरे मानसिक श्रम करने वाले। हमारे प्रदेश में जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं हमारी यह सरकार उन्हें पशुओं की भांति समझती है या किस भांति समझती है, इसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं। अब उधर बैठने के नाते कहें कुछ लेकिन बाकी हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देहातों में मजदूरों की क्या दशा है ? देहात में मजदरों की संख्या में दिन व दिन वृद्धि हो रही है। एक तो जो सरकार की चकबन्दी योजना है उसके कारण जो छोटी-छोटी बटाई जोतते थे वे उससे वंचित हो गये और दूसरे जो सरकार की तरफ से वन लगाये जा रहे हैं उसके कारण छोटे-छोटे कृषक बेकार हो गये हैं। इसलिये मजदूरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंत्री जी अगर कभी श्रमिकों की देख-रेख करने गये होंगे तो या तो किसी बड़े कारखाने में गये होंगे या किसी मिल-मालिक के यहां गये होंगे। बाकी मेरा तो ऐसा खयाल नहीं कि कभी वे देहात भी गये होंगे। आज देहातों में श्रमिकों को ४–६–८ आने रोज मजदूरी मिलती है और अनाज का क्या भाव है यह सभी जानते हैं। इतने का तो मंत्री जी का कुत्ता ही सवेरे नाश्ता कर जाता होगा। मतलब यह है कि आज अपने प्रदेश में श्रमिकों की दशा संतोषजनक नहीं है।

जहां तक मैंने शहर का अनुभव किया, जो हमारे मानसिक श्रम करने वाले अफसर हैं उनके साथ जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं वे भी शायद पशु की तरह ही समझे जाते हैं। वे दिन भर आफिस में काम करते हैं, सुबह शाम साहब का खाना पकाते हैं, कपड़े छांटते हैं,

[श्री खयालीराम]

पानी लाते हैं और अफसरों का यह हाल है कि अगर १ बजे के बाद उनको टेलीफोन किया जाय तो वे सोते हैं। हमारे यहां एस० एस० पी० को १ बजे दिन से साढ़े चार बजे तक जब भी टेलीफोन करिये तो यही खबर मिलेगी कि सो रहे हैं।

तो जो मानसिक काम करने वाले हैं उनके भाग्य में सरकार ने सोना लिखा है और शारीरिक श्रम करने वाले हैं उनके भाग्य में रोना लिख रक्खा है। पहले छोटे-छोटे श्रमिक १०/१५ रुपया बचाकर अपने मां बाप को भेज दिया करते थे क्योंकि उनके मां बापों ने उनको पैदा किया, दूध पिलाया और उनकी सेवा करके इतना बड़ा किया। इसलिये वे, उनके बुढ़ापे के सहारे के लिये भेज दिया करते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? छोटे-छोटे श्रमिक महीने के अंत में महाजन से उधार लेकर खाना शुरू कर देते हैं और नौबत यहां तक आती है कि जब महीने में दो, एक दिन रह जाते हैं तो महाजन भी उधार देना बंद कर देता है तो दो, एक दिन वह सपरिवार रोते हैं। हमारी इस कांग्रेसी सरकार के राज्य में, मानसिक श्रम करने वालों के भाग्य में सोना और शारीरिक श्रम करने वालों के भाग्य में रोना लिखा है।

चकबंदी में जो लेखपाल वगैरह छोटे-छोटे श्रमिक हैं उनकी दशा क्या है? सरकार कहती है कि श्रमिक ८ घंटे से ज्यादा काम न करें लेकिन ये लोग दिन रात काम करते हैं। लेकिन इनको केवल ५०-५२ रुपये मासिक वेतन मिलता है और वह घर के बाहर रहते हैं जिन्हें खाना भी अपने हाथ बनाना पड़ता है तो वह कैसे सही काम कर सकते है?

श्री अधिष्ठाता—आप लेखपाल और किन लोगों की बात कर रहे हैं?

श्री खयालीराम—यानी चकबंदी में जो काम करते हैं वह २४ घंटे काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा हुआ होता अगर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रांट के समय यह बोले होते। मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री खयालीराम—श्रमिकों के बारे में मैंने कहा.....

श्री अधिष्ठाता—अगर लेखपालों के सम्बन्ध में ही कहना है तो खत्म कीजिये।

श्री खयालीराम—जी नहीं, मैं इस विषय को समाप्त किये देता हूं। जहां तक मिलों का सम्बन्ध है जैसे शकर मिलें हैं। उनमें मजदूरों को सीजन भर ही रखा जाता है। इसके बाद वे बैठा दिये जाते हैं। सरकार उनके लिये क्या प्रबन्ध करती है? यही हाल कपड़ा मिलों में है। महीने में उन श्रमिकों को १०-१५ दिन ही काम मिलता है और १०-१५ दिन बेकार रहते हैं और घर में बैठे रहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरमायेदार ठीक से मिल चलाकर मजदूरों को काम नहीं दे सकते तो सरकार उन्हें अपने हाथ में लेकर उनको चलाये और श्रमिकों को महीने में पूरा काम दे। मैं देहात के श्रमिकों की कुदशा सरकार के सामने विशेष रूप से रखता हूं उस पर सरकार ध्यान दे। कोआपरेंटिव पर सरकार ने इतना जोर दिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि जितनी मिलें यहां हैं उन में कितनी मिलों में श्रमिकों का हिस्सा लगता है। मिल मालिक मौज कर रहें हैं और छोटे-छोटे श्रमिक मर रहें हैं। सरकार, मिल मालिकों से, इलेक्शन में चन्दा लेकर उसका भुगतान करने के लिये मजदूरों के ऊपर छुरी चला रही है। सरकार इस नीति को बदले। वह सरमायेदारों के नोटों से यहां नहीं आयेंगे, बल्कि श्रमिकों के वोटों से ही आयेंगे। मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं कि सरकार की नीति समाजवादी है। सरकार की खुली मंशा है कि पूंजीपतियों की तिजोरी भर कर वह इन कुर्सियों पर काबिज रहे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मेरे जो कुछ सुझाव श्रम के सम्बन्ध में हैं, मैं उनको हाउस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यों तो मजदूर कई किस्म के हैं, जिन पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रकाश डाला गया और हमारी सरकार की तरफ से भी उनके रहने के लिये और दवा-दारू की व्यवस्था हो रही है। एक तो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं। दूसरे कुछ लोगों का कहना न्यून वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बारे में है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान उन श्रमिकों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनकी संख्या गांवों में बहुत अधिक है, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, वे हैं भूमिहीन खेतिहर मजदूर। जो मजदूर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं, उनमें तमाम पार्टीज के लोग पहुंच कर पार्टी प्रचार के लिये या किसी भी मतलब से यूनियन बना कर, कुछ काम करते हैं। उनके लिये तमाम प्रचार होता है, उनके लिए सरकार की तरफ से डेली वेजेज के नियम और दूसरी सुविधाएं, जैसे रहने की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मुझे प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जाने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन पूर्वी जिलों में जो एक तबका खेतिहर मजदूरों का है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आज तक नहीं गया। वह आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जब कि हम आज आजाद हैं। आज वह पुरानी परम्परा के अनुसार गुलाम की तरह बिक जाता है। वह आज देहात में पाव-पाव अनाज पर बिक जाता है। वह काम अपनी स्वेच्छा से नहीं करता, उसे काम करने के लिये विवश किया जाता है। उसके समय का भी कोई निर्धारण नहीं है। सूर्योदय से ले कर सूर्यास्त तक लगा रहने पर भी, उसे रात को भी फुरसत नहीं मिलती। उसे पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा भी दो एक रुपये महीने पर पशु चराने चला जाता है।

आज वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी बंधनों से बंधा हुआ है। उसको चेतना नहीं है। अगर सरकार केवल ईंट और पत्थरों का विकास करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन अगर वह मानव समाज का हित चाहती है तो दो ही तरीके हो सकते हैं—या तो जमीन का बराबर बटवारा हो या अगर ऐसा करने में सरकार अपने को असमर्थ पाती है तो खेतिहर मजदूर जिनकी संख्या बहुत है, उन का सर्वे करवाये और उनकी दशा की जांच कराये। दस रुपये कर्ज देकर पुश्त दर पुश्त उससे हलवाही करवायी जाती है। उनके लिये डेली वेजेज ऐक्ट बना हुआ है, लेकिन उसकी पाबन्दी नहीं होती है। अगर एक आर्डरली या चपरासी भी रखा जाता है तो उसको भी ४५–५० रुपये देते हैं। इसलिये उसके लिये २ या डेढ़ रुपये जो भी उचित मजदूरी हो, वह निर्धारित की जाय और साथ ही साथ उनकी दवादारू के लिये और उनके बच्चों की शिक्षा के लिये सरकार प्रबन्ध करे और उसमें यह चेतना लाये कि इससे उनकी आर्थिक समस्या हल होगी, शारीरिक समस्या हल होगी और कम से कम जो उनकी सामाजिक समस्या है, वह हल होगी।

आज एक मनुष्य एक मनुष्य को गुलाम बनाये बैठा है। मान्यवर, आप तो पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं, आपने स्वयं देखा होगा। जमींदारी जरूर सरकार ने खत्म की लेकिन आज भी वह मजदूर, जिस काश्तकार के यहां काम करता है, जब तक काम करता रहता है, तब तक उसके खेत पर मड़ैया या झोपड़ी लगाकर रहता है और जिस दिन कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, उसी दिन उसे वह घर छोड़ देना पड़ता है। फिर वह दूसरे काश्तकार के यहां जाकर रहता है। इस तरह से एक खानाबदोशी का जीवन वह बिताता है। तो आज सरकार कम से कम उनके रहने का तो इन्तजाम करे। इस व्यवस्था को वह बदले, तब जाकर वास्तव में उनका कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

सुधार हो सकता है। यह अनुदान तो आते जाते रहेंगे, कोई भी सरकार होगी, अनुदान लाती रहेगी; लेकिन वास्तव में अगर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अगर वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि कैपिटलिज्म खत्म हो, तो निश्चित रूप से कदम इस तरफ उठाइए। और नहीं तो, इस जमात को अगर आप यह समझें कि हम दबाये रखेंगे और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से वोट लेने के लिये दबाये रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में, अगर किसी आदमी का भोजन मांगना, कपड़ा मांगना, कम्यूनिज्म और सोशलिज्म है तो इसकी चुनौती लोग देते हैं और इसके लिये वह तैयार हैं। इसके लिये केवल दो ही चारे हैं या तो जमीन का ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन करिए या श्रमिकों के लिये ऐसे कानून बनाइए, उसकी मजदूरी दो रुपया कम से कम रखिए और उसके लिये अस्पताल वगैरह की स्थापना कीजिये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा ही नहीं विश्वास है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

श्री ऊदल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय पांडेय जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय बहुगुणा जी का ध्यान चीनी मिलों की तरफ ले जाना चाहता हूं। बहुत दिनों से आई० एन० टी० यू० सी० और चीनी मिल मजदूर फेडरेशन का जिसमें कि हमारे पांडेय जी हैं तथा और लोग भी हैं, इनके अन्दर विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस विवाद को ज्यादा दिन तक ले जाना ठीक नहीं है। इसके लिये मैं सिर्फ एक ही सुझाव देना चाहता हूं। पारसाल भी इसी विषय पर बोलते हुए मैंने इस बात को कहा था और बहुत ज्यादा आलोचना के साथ कहा था; लेकिन इस साल सिर्फ एक मांग के रूप में कहना चाहता हूं कि जब आप समाजवादी समाज के सिद्धान्त को और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को मान चुके हैं, और पंचायतों में जहां हाथ उठाकर चुनाव होता था, वहां भी उसे खत्म किया जा रहा है, और सभापतियों का चुनाव बैलट के जरिये होगा; तो मैं चाहता हूं और मेरी मांग है सरकार से कि वहां भी चुनाव करा ले। जिसका बहुमत हो उसको मान्यता मिले, आई० एन० टी० यू० सी० का बहुमत हो तो उसे मान्यता मिल जाय और इनका बहुमत हो तो इन्हें मान्यता मिल जाय। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार विचार करे और ठंडे दिल से विचार करे ताकि एक कटुता जो बढ़ती जा रही है वह दूर हो सके।

इसके बाद मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आज हमारे बहुत से दोस्तों ने इस सरकार की बहुत तारीफ की है, मैं कहता हूं कि मजदूरों का जो इतिहास है यह बहुत पुराना इतिहास है और बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाइयों का इतिहास है। हड़तालें हुईं, तालाबन्दी हुई, गोलियां चलीं, लाठियां चलीं, इन सघर्षों का इतिहास है और उसी से मजबूर होकर के सरकार ने कानून बनाया सन् ४७ में, जब कि सन् ४६ में उसने देखा पूरे हिन्दुस्तान में एक बड़े पैमाने पर हड़ताल और तालाबन्दी वगैरह हुई। तो उन्होंने कानून बनाया कि हड़ताल और तालाबन्दी को रोका जाय और मजदूरों को छूट दी कि मजदूर अपने विवाद को लेकर के अदालत में जा सकते हैं। यह पूरी छूट मजदूरों को थी लेकिन जब मजदूर संगठित होने लगा और जाने लगा तो इसमें सशोधन किया गया। मजदूरों के अधिकार, जो सन् १९४७ में उनको दिये गये थे उसको क्श किया। तब प्रतिबन्ध लगाया कि एक समझौता बोर्ड बनेगा और उसके बनने के बाद वहां समझौता होगा और अगर वहां नहीं होता है तो सरकार के पास भेजा जायगा। सरकार जिस मुकदमें को चाहेगी उसको अदालत में निर्णय के लिये भेजेगी और जिसको चाहेगी उस को नहीं भेजेगी। सब से बड़ा कुठाराघात मजदूर के हक़ों पर यहीं आकर होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर सोचे। आज मजदूर काम करते-करते निकाल दिया जाता है। तनख्वाह मांगता है तो निकाल दिया जाता है, लाठी खाता है लेकिन जब अदालत के अन्दर जाने की

बात आती है कि फैसला जल्द हो जाय, तब यह मामला समझौता बोर्ड के सामने आता है, उसके पास से सरकार के पास आता है और सरकार जिसको चाहती है उसको अदालत के सामनेभेजती है। इसीलिये मैं कहता हू कि सरकार का रुख मजदूर विरोधी रुख है, मजदूरों के फायदे वाला रुख नहीं है। मजदूरों के हक पर कुठाराघात करने वाला है। मैं यह चाहता हूं कि इस मामले पर विचार किया जाय।

एक यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया है कि यहां उद्योग में एक यूनियन होगी। वह दो साल से रजिस्टर्ड होगी तब जाकर वह किसी मजदूर का मुकदमा लड़ सकती है। यह भी है कि ६ महीने का केस होगा तो उस को सरकार के पास भेजा जायगा और सरकार उस पर मंजूरी देगी तब वह चलेगा। लेबर कश्मिनर के हुक्म से वह केस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि उसके अन्दर यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। अगर यूनियन दो साल से रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसको अधिकार होना चाहिये। पहले उसमें यह भी था कि फेडरेशन लड़ सकता था लेकिन अब उसमें प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि अगर फेडरेशन दो साल का नहीं है तो नहीं लड़ सकता है और अगर वह लड़ना चाहता है तो उसके लिये सरकार से परमीशन लेनी होगी। तो मैं समझता हूं कि सरकार की ये चीजें मजदूरों के हक को कुचलने वाली हैं। सरकार को इनके ऊपर गौर करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से मांग करता हूं कि अगर सरकार मजदूरों की हितैषी है तो इन बातों पर विचार करे। सन् १९४७ के पहले जब हड़ताल होती थी तो उस समय हमारे उपमंत्री जी उसके साथ रहते थे। इधर नहीं रहते हैं जब से कांग्रेस की सरकार यहां पर आ गई है। मैं चाहता हूं कि आप का सम्बन्ध मजदूरों से है और आप भी उनकी कठिनाईयों और मुसीबतों को जानते हैं तो उनके अधिकार की बात सोचें। उनकी दिक्कतों पर विचार करें। मैं यह आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं बल्कि सरकार को विचार करने की दृष्टि से कहता हूं और यह मांग करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

दूसरी बात हमारे सामने जो आंकड़े दिये गये हैं, इनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो मजदूरों के मुकदमें समझौता बोर्ड में जाते हैं, उनके लिये मैं यह मांग करता हूं कि वह समझौता बोर्ड में न जाकर सीधे मजदूरों को अधिकार मिलना चाहिये कि वे अदालत में जायं। मजदूरों को निकाला जाता है। उसके लिये अदालत में सही है या ग़लत इस तरह से होते-होते जाने और आने में देर लग जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत दिन बीत जाते हैं। अगर मान लीजिये कि मजदूरों के हक़ में फैसला हुआ तो मालिकान को पूरी तनख्वाह जोड़कर देनी पड़ती है। जब से वह निकाला गया और जब तक फैसला हुआ तब तक की उस को पूरी तनख्वाह देनी पड़ती है। इसमें दोनों का नुकसान होता है, मालिक का भी नुकसान होता है और मजदूरों का भी नुकसान होता है। इसलिये मैं चाहता हू कि मजदूर को सीधे अदालत में जाने के लिये अधिकार मिलना चाहिये। अगर इस तरह से सरकार न देना चाहे तो दूसरा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे जल्द काम हो सके। अगर जल्दी जाकर मजदूर काम करेगा तो उस को मजदूरी ज्यादा मिलेगी और मिल मालिक का भी उसमें फायदा है। इस नीयत से मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार विचार करे।

श्रीमन्, इस किताब में जो आंकड़े छपे हैं वह ६८८ केस अगले साल में समझौते के लिये दिये गये हैं। मेरी इनके बारे में शिकायत है। जो श्रम विभाग के रास्ते हैं वे हर साल बदलते रहते हैं। हर साल दिसम्बर में जी० ओ० पहुंचता है तो उस समय जो मुकदमें दायर रहते हैं उन्हें या तो यूनियनें वापस ले लेती हैं या फिर उनको समझौता बोर्ड खारिज कर देता है। आप देखें, श्रीमन्, इस तरह के भी जो केसेज होते हैं उन्हें भी सरकार अपने समझौते में गिन लिया करती है। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे श्रीमन्, दो मिनट और दिये जायं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समझौते तथा फैसलों का क्रम है, जो पुस्तक मिली है अगर इसी को देखा जाय तो पता चलेगा, वह भी गिरता जा रहा है। फैसलों के बारे में

[श्री ऊदल]

लिखा है कि कुछ तो उनमें से मालिकों ने मान लिये और कुछ उन्होंने रिट दाखिल कर दिये और कुछ के लिये इसमें लिखा है कि मालिकों के दबाव में आकर मुकदमों के फैसलों को लागू नहीं किया गया। जब आपने यह अधिकार ले रखा है कि जब मजदूर जीतेगा तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह उनके हक को दिलाये। लेकिन ऐसा है नहीं है। जहां मजदूरों के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है वहां सरकार कड़ाई के साथ पेश आती है किन्तु जहां मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है, वहां सरकार झुक जाती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं शुगर मिल के बारे में। श्रीमन्, औद्योगिक विवाद ऐक्ट की धारा ११-बी में संशोधन होने की आवश्यकता है। श्रीमन्, भारत सरकार ने जो स्टैंडिंग आर्डर ईशू किया है उसको देखते हुए इसमें संशोधन की आवश्यकता है और उसे शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिये। इसके न होने से मजदूरों को दिक्कत होती है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं शुगर फैक्टरी के मजदूरों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज अगर शुगर फैक्टरी में कार्य करते हुए कोई मजदूर घायल हो जाय तो उसको तब तक मजदूरी नहीं मिलेगी जब तक वह स्वस्थ न हो जाय। आज अगर शुगर फैक्टरी में कार्य करते हुये कोई मजदूर अस्वस्थ हो जाय तो उसको तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक पूर्णतया स्वस्थ न हो जाय, यह बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी जरूर इस ओर ध्यान देंगे क्योंकि वे एक लेबर लीडर की हैसियत से भी कुछ दिन रहे हैं और उन्होंने उनके हितों का कार्य किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी तत्काल ही इस संबंध में कोई संशोधन लाकर वहां के मजदूरों को यह छोटी सी छूट देने की कृपा करेंगे। साथ ही श्रीमन्, जो अस्वस्थ हों और जिनका कुछ खर्चा दवादारू पर होता हो, वह भी उनको मिलना चाहिये।

इसके साथ-साथ श्रीमन्, मजदूरों के रहने की उचित व्यवस्था भी होना जरूरी है। जिस तरह से सन् १९१७ के अन्दर रूस में एक तरह का तूफान आया और मजदूरों के लिये कुछ कार्य हुए और गरीब मजदूरों को राहत मिली, उसी तरह यहां के मजदूरों को भी राहत मिलनी चाहिये। आज मजदूर छोटी-छोटी टिन की झोपड़ियों में परेशान रहते हैं और उसके साथ ही साथ वहां जो सफाई की व्यवस्था है वह नहीं के बराबर है। मिल के पानी की दुर्गन्ध से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ करता है। दवादारू का प्रबन्ध जो हर मिल के अन्दर, हर फैक्टरी के अन्दर, मजदूरों के लिये होना चाहिये, वह नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद कोई भी ऐसी फैक्टरी नहीं होगी जहां दवादारू का समुचित प्रबन्ध हो। यों तो मजदूर प्राइवेट तरीके से अस्पताल में डाक्टरों को रुपया वगैरह देकर अपनी दवादारू का प्रबन्ध कर ही लेते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि हर फैक्टरी के अन्दर ही इस तरह का इन्तजाम होना चाहिये, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वह यह व्यवस्था करने की कृपा करें और हर फैक्टरी के अन्दर कम्पलसरी कर दें कि वहां एक डाक्टर का प्रबन्ध हो और समुचित रूप से दवा दारू का इंतजाम हो और अगर कोई मजदूर ड्यूटी करते समय या वर्किंग आवर्स में बीमार हो जावे या बीमार हो कर अपने घर जावे तो उसकी दवादारू का प्रबन्ध ठीक-ठीक तरह से वहीं हर फैक्टरी के अन्दर होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई जगह खाली हो जाय किसी मजदूर के मर जाने से या बीमार होने से तो उसकी जगह पर मनमाने तरीके से मिल वाले नियुक्तियां कर लेते हैं। वैसे अपने विधान के अन्दर यह है कि किसी को नियुक्ति करने के पहले मिल मालिक यह जरूर देख लेगा कि कोई छटनी से निकाला हुआ मजदूर मिल सकता है तो उसको पहले काम करने की जगह मिलनी चाहिये और उसके

लिये ही व्यवस्था होना चाहिये। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि यह व्यवस्था नहीं हो रही है। इसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अभी मेरे एक माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र ने इशारा किया कि हमारे यहां का जो लेबर ला है वह काफी डिफेक्टिव है और इस तरह के लेबर ला से कोई फायदा नहीं हो सकता है। मैं उनका ध्यान आप के द्वारा आकर्षित करूंगा कि आजादी के पहले जो ला थे उनको वह देख लें कि मजदूरों के लिये क्या फैसिलिटीज थीं और मजदूरों की उस वक्त क्या दशा थी और आज मजदूरों की क्या दशा है और उनको क्या मिल रहा है। अगर उस वक्त के मुकाबले में आज उनकी दशा खराब है तब तो आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन आजादी से पहले के मुकाबले में आज मजदूरों की दशा बहुत अच्छी है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीजों को लेकर सरकार की शिकायत करना बहुत अच्छी बात नहीं है। हां, जो छोटी-मोटी त्रुटियां हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाते हुए हम अपना कदम बढ़ाते हैं तो वह ठीक बात कही जा सकती है।

श्रीमन्, एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि रिटेनिंग जिन मजदूरों को मिलती है अगर उन मजदूरों की मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिसों को उस रिटेनिंग का पैसा मिल जाना चाहिये लेकिन कई दशाओं में मिल वाले उसे नहीं देते हैं और पैसे को हड़प कर के बैठे हुए हैं मैं आप से कहता हूं कि तत्काल आप ऐसा आदेश कर दें कि अगर कोई मजदूर मर जाय और उसकी स्त्री हो या बच्चे हों या और कोई वारिस हो, उस को जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करा के, उसको वह पैसा दिला दें।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान शुगर फैक्टरीज के लेबरर्स की ओर दिलाऊंगा जिनके पास आज रहने तक को व्यवस्था नहीं है। शीरे के द्वारा कुछ व्यवस्था आपने करा दी है लेकिन मजदूरों की दशा जो क्वार्टरों की है वह कहां तक खराब हो रही है इसको जब हम देखते हैं तो वह बहुत ही शर्मनाक और निहायत अफसोस की बात है।

मैं आपके द्वारा कहूंगा कि जरा मजदूरों की हालत देखिये जो खेतों पर काम करते हैं। आज उसको ५ रुपया और १० रुपया देने की बात कही गई है। मुझे आश्चर्य है कि खेती की पैदावार को देखते हुए कोई ५ रुपया या १० रुपये वेतन दे सकता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि वहां की पैदावार को देखते हुए पैदावार के हिसाब से उनको हिस्सा दिलावें। खेतिहर मजदूरों की दशा बहुत खराब है। मजदूरी उचित नहीं मिलती है। पैदावार को देखते हुये मजदूरी उनको मिलने की व्यवस्था हो सके, और पैदावार में उनका हिस्सा हो जाय। इस विचार से मजदूर परिश्रम से काम करेगा और जब वह परिश्रम से काम करेगा तो खेती की पैदावार बढ़ेगी और जब वह बढ़ेगी तो अवश्य उनको ज्यादा मजदूरी मिलेगी। इस प्रकार दोनों की तरक्की होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी कुछ बोलने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन जब मैंने खेतिहर मजदूरों के बारे में यहां पर चर्चा सुनी तो मेरी भी कुछ कहने की तबियत हुई क्योंकि सन् १९२० से मैं खेतिहर मजदूरों के साथ रही हूं। हमारा सत्याग्रह आन्दोलन जब चल रहा था तब खेतिहर मजदूरों ने हमारा साथ दिया था। हमारी सरकार ने अब तक जो कुछ उन खेतिहर मजदूरों के लिये किया है वह संतोषजनक नहीं है। मिल वगैरह तो सिर्फ शहरों में होते हैं देहातों में नहीं होते। देहातों में हमारे मजदूर भाई किस तरह से रहते हैं, इसका मुझे पूरा ज्ञान है। शायद सरकार का उनकी तरफ रुझान है लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज मुझे उनकी हालत देख कर बड़ा दुःख होता है। हमारे मजदूर भाई और बहनों के रहने के लिये वहां पर मकान नहीं हैं, उनके पीने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है। हर

[श्रीमती राजेन्द्र कुमारी]

तरह की तकलीफ़ हमारे मजदूर भाइयों को है। इसलिये आप के जरिये माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि वह देहातों की तरफ ध्यान दें। देहात के खेतिहर मजदूर जो हैं उनको काम नहीं मिलता है। वह परिश्रम करना चाहते हैं, लेकिन देहातों में कोई उद्योग धंधे तो खुले नहीं हैं जहां उनको काम मिल सके। वह बेचारे सुबह से ही इसी इन्तजार में रहते हैं कि अगर कहीं मजदूरी लग जाय तो वह अपने बच्चों की परवरिश का प्रबन्ध कर सकें।

हमारे हमीरपुर जिले में जहां कि माननीय सदस्यों ने बड़े-बड़े वायदे किये थे कि हम यहां की हालत को सुधारेंगे, मुझे दुख है कि आज तक सरकार ने उधर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था तो माननीय सदस्यों ने वहां पर वायदा किया था कि उनकी तकलीफ़ दूर की जायगी लेकिन मुझे दुख है कि आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, वहां पर कोई उद्योग नहीं खोले गये जिनसे वहां के मजदूरों की तकलीफ दूर होती। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि वहां पर देहाती क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे खोले जायं जिनसे मजदूर भाई बहनों की परवरिश का जरिया निकल सके।

आज मैं यही कहने के लिये खड़ी हुई थी कि वहां की हालत क्या है---वहां पर उनके खाने के लिये भोजन नहीं है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। न केवल हमीरपुर क्षेत्र में, बल्कि सारे जिलों में यही हालत है, इसलिये मंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब तक यह सरकार उन देहाती क्षेत्रों का सुधार नहीं करेगी तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिल सकती है। सरकार करती जरूर है, योजनायें भी बनाती है लेकिन कलेक्टर वगैरह जो सरकारी अधिकारी हैं वे ध्यान नहीं देते हैं। मैं खुद हरिजन भाइयों के साथ प्रार्थना-पत्र लेकर जाती हूं और एक प्रार्थना-पत्र यहां भी लाई हूं, क्योंकि जब उनके रहने की जगह नहीं है तो वह खेती बाड़ी क्या करेंगे। वह चाहते हैं कि जंगल में जो ऊजड़ जमीन है, जहां पर कोई पेड़ वगैरह नहीं हैं वह उनको मिल जाय, वहां पर वह मकान वगैरह बना लेंगे और वहां कुछ जमीन खेती करने के लिये भी तैयार कर लेंगे, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। उनके लिये या तो जमीन का इन्तजाम करना चाहिये या कोई उद्योग धंधे खोलने चाहिये जिससे वह अपनी परवरिश कर सकें। मुझे दुख होता है जब मैं मजदूर भाइयों को देखती हूं कि किस बुरी हालत में वह अपनी गुजर कर रहे हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि हर जिले के देहाती क्षेत्रों में ऐसी योजनायें रखें ताकि मजदूर भाइयों की परवरिश का कुछ जरिया निकले। मैं उनकी हालत देखकर बहुत ही दुखी होती हूं जब कि उनके सामने काम नहीं है। मैं जानती हूं कि सरकार ने कुछ किया है और कर रही है लेकिन देहाती क्षेत्रों की ओर उसका कुछ कम ध्यान है। शहरों में बड़ी-बड़ी मिलों की योजनायें हैं, ठीक है। लेकिन देहात में भी छोटे-छोटे कारखाने होने चाहिये। हमारी बहनों के लिये स्कूल खोले जा सकते हैं, सिलाई की मशीन वहां रख दी जावें जिससे वे सिलाई कर के ही अपनी गुजर कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि यह विभाग हमारे माननीय नेता जी मुख्य मंत्री और उनके डिप्टी मिनिस्टर बहुगुणा जी के पास है जो श्रमिकों से विशेष रुचि और सम्बन्ध रखते हैं और योग्य हैं। इसमें शक नहीं कि यह अनुदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है लेकिन श्रम की महत्ता अभी हमारे देश में समझी नहीं गई है। श्रम का मूल्यांकन हमारे देश में नहीं हुआ है। श्रमिक की समाज में समान इज्जत नहीं है। हम नारे और आवाजें लगाते हैं कि श्रम सब से बड़ी चीज है और हर एक को करना चाहिये, लेकिन उसके सफल करने वालों की संख्या शायद उंगलियों पर गिनी जा सकती है।

मैं माननीय अध्यक्ष के भाषण को सुनकर, जो उन्होंने प्रान्तीय हरिजन कान्फ्रेंस में दिया था, बहुत खुश हुआ, मेरा हृदय गद्गद हो गया क्योंकि उस में बहुत तथ्य और सत्यता थी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे विचारों की आवश्यकता ही हमारे प्रदेश में है। लेकिन

आज अर्थ-युग है। बाजारों में और सरकार के यहां श्रमिक की कोई क़दर नहीं है। अगर वह अपने मकान के लिये या बच्चों की शिक्षा के लिये क़र्जा लेने पहुंचेगा तो उससे धनवान लोग उसकी जायदाद मांगते हैं, वे यह नहीं पूछते कि तुम्हारी मजदूरी की आय क्या है, सालाना आमदनी क्या है और इस पर हम क़र्ज दे सकते हैं। जिस देश में यह बात हो वहां का श्रमिक पशु के समान है। बालिग मताधिकार आ जाने से उनकी पोलिटिकल प्वाइंट आफ़ व्यू से जरूर पूछ हो गई है लेकिन उनका उत्थान नहीं हुआ है। कुछ मजदूर तो मिलों में काम करते हैं जिनके सम्बन्ध में काफ़ी चर्चा हुई। मेरा भी सहानुभूति उनके साथ है कि उनकी सुविधाओं में उन्नति हो। सरकार उनके मकान तथा दवादारू के लिये जो कुछ कर रही है उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं।

मैं सरकार का ध्यान विशेष तौर से खेतिहर मजदूरों की ओर या ऐसे मजदूरों की ओर दिलाना चाहता हूं जो आर्गेनाइज्ड (संगठित) नहीं हैं। उनकी आर्थिक दशा आप देखेंगे तो उसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि वे मनुष्यता से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं सोशलिस्ट पैटर्न आजाय लेकिन वह तभी होगा जब कि क्रियात्मक रूप में हमारा क़दम उठेगा। उनके घरों, कपड़ों और शिक्षा की ओर देखने से हम यही अन्दाजा लगावेंगे कि वे वहां नहीं पहुंच पाये हैं जहां कि पूज्य बापू जी चाहते थे।

कहा जाता है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट सरकार ने बनाया है। लेकिन उनकी दरें २६ रुपया माहवार या एक रुपया रोज है। क्या इतने में कोई परिवार या मजदूर अपने सब काम कर सकता है? इस पर विचारने की आवश्यकता है। जब यह कहा जाता है कि ऐसे मंहगे समय में १०० रु० से कम महीने की आमदनी में किसी का काम नहीं चलेगा तो फिर मिनिमम वेजेज ऐक्ट का क्या मतलब है? हमारे भाई रामकृष्ण ने मेरे कार्य को बहुत कुछ हल्का कर दिया। अभी तक खेती पर काम करने वालों के घंटे भी हम नहीं बना सके हैं। प्रोपेगेंडा के तरीके से कोई बात न कही जाय तो ज्यादा अच्छा है। मैं श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी की हृदय से कदर करता हूं कि उन्होंने देहाती मजदूरों की समस्या को टच किया। मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जो खेतिहर मजदूरों की या ऐसे मजदूरों को, जो आर्गेनाइज्ड नहीं हैं, संगठन बनावेंगे और उनके अधिकारों की आवाज उठावेंगे। आज अगर हम इस तरफ तवज्जह करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि छोटे-छोटे काम करने वाले, चाहे वे सवा पांच एकड़ से कम जमीन पर काम करने वाले हों या चपरासी हों, ये सारे श्रमिक हैं। वे दूसरों की कमाई नहीं खाते हैं और ऐसा करते हैं कि उनसे किसी को नुकसान न पहुंच जाय। वे समाज में अनादर के पात्र हैं। जो इस किस्म के लोग हैं, वे श्रमिक हैं और हमारे समाज में उनकी क़द्र होनी चाहिये। अगर इस चीज पर ध्यान न दिया गया तो इस श्रम के महत्व को समझने वाला और जानने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर आप देहात के मजदूरों के लिये और कुछ न कर सकें तो कम से कम इतना तो अवश्य करें कि उनके बच्चे की शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य हो जाय।

पहले हल चला करते थे लेकिन उनके स्थान पर ट्रेक्टर चल गये। इस कारण से बहुत से मजदूर बेकार हो गये। पी० डब्ल्यू० डी० ने रोलर चला दिया उसका नतीजा यह हुआ कि सड़कों पर जो हजारों मजदूर काम करते थे, वह भी बेकार हो गये। ये बातें तो छोटी-छोटी हैं, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक पड़ता है। इस प्रकार से बेकारी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से हमारे समाज में दिन पर दिन असमानता में वृद्धि होती जा रही है। इसमें तब तक कमी नहीं हो सकती जब तक कि पड़ोसी के मन में यह भावना पैदा न होगी कि मुझे अपने पड़ोसी को भी ऊंचा उठाना है। चाहे वह शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, अगर कोई आदमी किसी दूसरे के श्रम से लाभ उठाता है तो उसके लिये समाज में आजकल विरोध की भावना जागृत हो रही है और एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा जब समाज उस चीज को सहन न कर सकेगा। एक दिन भगवान भी इस चीज को सहन न करेगा।

[श्री रामदास आर्य]

सरकार की ओर से इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि लोग श्रम के महत्व को समझें। हमारे देश में श्रम के सही मूल्यांकन की आवश्यकता है। सरकार की ओर से उन मजदूरों को, जो कि आर्गेनाइज्ड नहीं है, सुविधा देने का प्रयत्न होना चाहिये। अभी कहा गया कि पहले साढ़े बारह एकड़ का प्रस्ताव था लेकिन अब ४० एकड़ होने जा रहा है। इस तरह से बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। कहा गया कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधे बढ़ाये जायेंगे लेकिन मालूम होता है कि उससे भी समस्या हल होने वाली नहीं है क्योंकि जिन लोगों के पास आज भी रोजगार है या जो उन्नतशील हैं, उनको ही और रोजगार दिया जा रहा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार, जिनके पास रोजगार नहीं हैं, उनको रोजगार देने की तरफ कदम बढ़ाये और श्रम के महत्व को बढ़ाये। अगर माननीय मंत्री जी ने ऐसा किया तो अवश्य ही वे सफल होंगे।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मदन पांडेय जी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, हमारी सरकार के मंत्रिगण जब भाषण देते हैं, मजदूरों के बीच में या सदन में, तो ऐसा उनके विचारों से प्रतीत होता है कि सरकार मजदूरों के लिये कुबेर लुटा रही है। इस प्रकार के कानून कागज में बनाये जाते हैं और उनकी वकालत इस प्रकार मंत्री जी करते हैं कि मालूम पड़ता है कि यह सरकार मजदूरों की ही है और उनके राज्य में मजदूर भूखे और गरीब नहीं रहेंगे। परन्तु यदि उन कानूनों का अध्ययन किया जाय तो मालूम पड़ता है कि जितने भी कानून बने हैं या तो उनके बनाने में अनुभव नहीं था, या हवा को रोकने के लिये अथवा अपने को कायम रखने के लिये और मजदूरों को अपने हाथ में रखने के लिये ही ऐसे कानून बनाये गये हैं। उनसे सही मानी में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता बल्कि मिल मालिक या बड़े-बड़े पूंजीपतियों का ही उनसे भला होता है। कानून से कहीं भी कोई मजदूर ठीक प्रकार से न्याय तो पाता नहीं है और मैं तो देखता हूं कि यह कानून मजदूरों और मालिकों के बीच में जबरदस्त खाईं पैदा करते हैं, जिनसे कुछ चालाक व्यक्तियों का ही कुछ फायदा होता है।

एक बात सरकार की ओर से यह की गयी है कि मजदूरों और मालिकों के झगड़े को फैसल करने के लिये एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। न्याय करने के लिये उसके यहां मुकदमा जाता है लेकिन श्रीमन्, गरीब मजदूर वहां ठीक प्रकार से न्याय नहीं पाता। कारण यह कि अगर कानपुर का केस होता है और न्यायाधीश दौरे में गोरखपुर जाते हैं तो मुकदमा गोरखपुर में हो रहा है और मजदूर को वहां पहुंचना होता है। इससे भी ज्यादा होता है कि मजदूर दौड़ता-दौड़ता परेशान हो जाता है पर वह न्याय नहीं पाता। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार से मांग है और सुझाव है कि जहां का मुकदमा हो वहीं पर फैसला हुआ करे और जल्दी फैसला किया जाय।

दूसरी बात यह है कि सरकार की एक स्कीम प्राविडेंट फंड की है। जो रजिस्टर्ड फैक्टरीज हैं, जिनके अन्तर्गत ५० से अधिक मजदूर काम करते हैं वहां मजदूरों को प्राविडेंट फंड कटवाना होता है। श्रीमन्, यह कानून सुनने से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल रूप में और सही रूप में देखा जाय तो मालूम होगा कि इस कानून के अंतर्गत रुपये में एक आना तो मजदूर को देना होगा और रुपये में एक आना ही फैक्टरी के मालिक को देना होगा, जो उस मजदूर के नाम जमा होगा। लेकिन साथ ही उसके अन्तर्गत यह भी नियम है कि अगर मजदूर ५ साल के पहले नौकरी छोड़ कर चला जाय तो जो पैसा उसके फंड में फैक्टरी मालिक की तरफ से जमा है, वह उसको नहीं मिलेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि उसने जो रुपया जमा किया है वह तो उसको मिल जायगा, लेकिन फैक्टरी मालिक की तरफ से जमा किया हुआ रुपया उसे नहीं मिल सकेगा। बहुत से मजदूर

इतने पढ़े लिखे नहीं होते और उनके पास इतने ज्यादा साधन नहीं होते कि वे ठीक प्रकार से लिखा पढ़ी कर लें और जो उसने रुपया जमा किया है वह उसे आसानी से मिल जाय। मैं समझता हूं कि ५ साल पहले नौकरी छोड़ कर चले जाने वाली बात तो मालिकों के हाथों को और मजबूत करती है। मालिक तो इस तरह की कोशिश करेगा ही कि मजदूर किसी न किसी तरह से ५ साल के पहले नौकरी छोड़ कर चला जाय जिससे उसका रुपया उसे न देना पड़े। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार की सहूलियत होनी चाहिये कि मजदूर जब भी नौकरी छोड़ें तो उसका जो रुपया जमा है उसके साथ ही फैक्टरी की तरफ से जमा किया हुआ रुपया भी उसे मिलना चाहिये।

यह तो प्राइवेट फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों की हालत है लेकिन सरकार के अधीन जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिये सरकार क्या करती है, उसके भी कुछ हदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। जब सरकार अपने मजदूरों के लिये कुछ नहीं कर पाती है तो वह मिल मालिकों पर कैसे जोर डाल सकती है? अभी कानपुर रीजनल रोडवेज के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न रखा था कि ३१ मार्च, १९५९ को कितने कंडक्टर और कितने ड्राइवर्स पृथक् किये गये, तो सरकार ने जवाब दिया कि २२५ कंडक्टर तथा १६६ ड्राइवर्स अलग किये गये। आखिर ये क्यों अलग किये गये? मैंने फिर पूछा कि अप्रैल में जो आदमी रखे गये वे क्या वे ही आदमी हैं जो पहले हटा दिये गये थे। तो कहा गया कि वे ही आदमी फिर से रखे गये हैं जहां साल का अन्त हुआ वहां उनको हटा दिया जाता है और फिर अप्रैल में ३, ४ तारीख तक उनका एप्वाइंटमेंट कर लिया जाता है। बीच के ४, ५ दिन की तनख्वाह भी उनको दे दी जाती है। तब माननीय मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह का आदेश दे दिया गया है कि उनको बीच के ४, ५ दिन की तनख्वाह दे दी जाय। यानी जैसे ही यह सुझाव सामने आया वैसे ही उन्होंने आदेश भेज दिया कि ३,४ अप्रैल की तनख्वाह उनको दे दी जाय।

गरीब मजदूर शिकायत भी नहीं कर सकते। शिकायत किससे करें? मजदूर जब माननीय मंत्री जी से शिकायत करते हैं तो वह मामला न्यायालय में चला जाता है, लेकिन सरकारी मजदूर जो हैं वे पिसते चले जा रहे हैं। सरकार कहती है कि गरीबी नहीं रहेगी, और मजदूरों के साथ न्याय होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर साल इसी तरह से साल के अन्त में रोडवेज के अन्दर दो-दो, सवा दो-दो सौ कंडक्टर तथा डेढ़ सौ पौने दो सौ ड्राइवरों को हटा दिया जाता है और फिर उनको रख लिया जाता है। वह इसलिये किया जाता है कि रोडवेज के बजट में दिखलाया जा सके कि बड़ा प्राफिट हो रहा है। अगर उनको स्थायी रखा जाता तो उनको तनख्वाह अधिक देनी पड़ती तथा उनको तरक्की मिलती। लेकिन इस तरह से वर्षों काम करते रहने पर भी सरकारी मजदूर पिसे चले जा रहे हैं। उनको फिर रख लिया जाता है और हटा दिया जाता है। इस सम्बन्ध में जब हमारी बात अधिकारियों से हुई तो उन्होंने कहा कि यह ड्राइवर और कंडक्टर विधान सभा सदस्यों के पास चले जाते हैं, इसलिये उनको रखना ठीक नहीं है। हम आगे से दूसरे आदमी रखेंगे, चूंकि हम उनको फिर रख लेते हैं, इसी कारण यह सारी गड़बड़ी होती है।

इसी तरह से जो चपरासी स्थायी हैं और सरकार के विभागों में काम करते हैं उनकी हालत यह है कि जब उनके अधिकारीवर्ग दौरा करते हैं तो उन्हें फर्स्ट क्लास का किराया मिलता है, मोटर सफर का भी ८-१० आना माइलेज मिलता है, उन को बड़े-बड़े रोजाना के भत्ते मिलते हैं, लेकिन बेचारे चपरासी जो उनके साथ उन्हीं नगरों में जाकर रहते हैं उनको सरकारी कायदे के अनुसार आज भी ६ आना प्रति दिन भोजन के लिये दिया जाता है। इस तरह से वह मजदूर कहे जाने वाले चपरासी भूखे रहते हैं। आज मामूली कम्पनियों तक में चपरासियों को डेढ़-दो रुपया रोज भत्ता भोजन आदि के लिये दिया जाता है, लेकिन यह मजदूरों का हित चाहने वाली सरकार उनको आज भी ६ आना देती है और कोई व्यवस्था उनके लिये उसने नहीं की है।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

यहां पर सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े पेश किये गये हैं जिसमें बताया गया है कि हमारे यहां मजदूरों की संख्या ८·४ प्रतिशत है, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार के यह आंकड़े गलत हैं और हमारे यहां मजदूरों की संख्या ३० प्रतिशत से भी अधिक है। यह तो सरकार के कागजी आंकड़े हैं जो कागज पर तैयार होते हैं और कागज पर ही खत्म हो जाते हैं। कोई प्रैक्टिकल अनुभव की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की यूनियन में मंत्री जी जा कर भाषण दे आते हैं और वहां माला पहन लेते हैं तो समझते हैं कि सब काम हो गया, लेकिन वह गरीब मजदूर जो आज गली-गली घूमते हैं, जो झल्ली वाले हैं या जो दूसरे लोग दूकानदारों के यहां काम करने वाले हैं या होटलों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या उनके कागज में आना बहुत कठिन है। माननीय देशमुख साहब बोले थे, उन्होंने कहा था कि यह प्रदेश ४–६ प्रदेशों से पीछे भले ही हो लेकिन फिर भी यह प्रदेश बहुतों से आगे भी है। सरकार इस चीज को बड़ी जल्दी देख लेती है कि कहां कौन आगे है और कौन पीछे है। जहां आगे कदम हैं वहां वह जरूर मुकाबला करेंगे, लेकिन जहां पीछे हैं वहां की बात वह नहीं करते।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो रजिस्टर्ड यूनियनें हैं वह बंगाल में २,००० से ऊपर हैं, बम्बई में भी करीब २,००० के हैं, लेकिन हमारे यहां उन की संख्या केवल ९१० है।

श्री अधिष्ठाता––यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन दो प्रदेशों में इंडस्ट्री अधिक हैं और हमारे यहां इंडस्ट्रीज की संख्या ही कम है, इस बात को आप ध्यान में रखें और ऐसा करने से सरकार को भी जवाब देने में आसानी होगी और आप को जवाब सरकार से पाने में आसानी होगी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा––मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति बहुत दोष-पूर्ण है। जो यूनियनें रजिस्ट्रेशन के लिये एप्लाई करती हैं उनकी हर तरह की इन्क्वायरी करायी जाती है, लेकिन जो सरकारी पक्ष की यूनियनें हैं उनकी कोई इन्क्वायरी नहीं होती और उनको फौरन रजिस्टर कर लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की नीति को सरकार छोड़े और जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें उन सब की जल्दी रजिस्ट्री की जाय, ऐसे आदेश दिये जायं।

रही न्याय पाने की बात। हम देखते हैं कि गरीब मजदूरों को आज न्याय नहीं मिलता। हमें मालूम है कि "विश्वमित्र" अखबार के सम्पादक ने सरकार से वेतन और भत्ते के बारे में एक मुकदमा लड़ा। उसमें कर्मचारी जीता और मालिक हारा, फिर केस सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन उसके बाद भी वह सम्पादक मालिकों से रुपया नहीं ले पाया, मालिक फिर भी अकड़ गया और कहता रहा कि रुपया नहीं देंगे, लेकिन सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। इस तरह से गरीबों का पैसा देने में बहुत से मालिक आज इन्कार करने लगे हैं। यह कागज की चीजें निकाल कर सरकार श्रमिकों का सही हित देखे वर्ना जो अधिकारी न्याय के लिये रखे जाते हैं उनका पेट भरता है और मजदूरों का भला नहीं होता। मजदूर के भले की ही नीति सरकार को सोचनी चाहिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––अधिष्ठाता महोदय, श्रम सम्बन्धी जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस देश की आजादी के बाद जो-जो सुविधाएं मजदूरों को दी गई हैं उन सब की प्रशंसा और सराहना करते हुए अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो यह हमको बताएं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना एम्पलायमेंट पोटेन्शियल हमारे प्रदेश में बढ़ा है। मुझे याद पड़ता है, जिस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी थी तो यह अन्दाज था कि हम उसके

अन्त तक प्रदेश के ८–१० लाख नये आदमियों को रोजगार दे सकेंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं पुस्तिका में, उनसे यह मालूम होता है कि सन् १९५६ और १९५८ के अन्दर कोई विशेष अन्तर आप के नियोजित कर्मचारियों की संख्या में नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ इस पुस्तिका से यह भी स्पष्ट है कि कानपुर में जो औसत आमदनी है मजदूरों की वह एक-दो प्रदेशों को छोड़कर सारे देश में सबसे कम है। मैं मान सकता हूं कि कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं कि यू० पी० के वह कारखाने कितना फायदा करते हैं। लेकिन फिर भी देखने की बात है कि क्या कारण है जो हमारे यहां कानपुर में औसत आमदनी मजदूरों की कम है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने लेबर वेलफेयर सेन्टर्स खोले और उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, आपके ये सेन्टर्स बहुत पापुलर नहीं हैं। माननीय मंत्री जी और विशेष तौर से उपमंत्री जी जो श्रम के मामले में मंजे विशेषज्ञ समझे जाते हैं, वह इस ओर देखने की चेष्टा करें कि इसके क्या विशेष कारण हैं।

इस बात की तो तारीफ करता हूं कि आपने राज्य बीमा योजना चालू की, लेकिन वह सिर्फ ३९ उद्योगों में ही है, जैसा कि आपके आंकड़ों में है। आपने प्राविडेंट फंड की योजना भी कहीं-कहीं चालू की है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कह सकता हूं कि कोशिश की जाय ताकि यह और भी ज्यादा व्यापक हो सके।

मजदूरों को सुविधाएं आपने दीं, तरक्की भी की, लेकिन जो समाजवाद की स्थापना की आपने घोषणा की है, मैं यह जानना चाहूंगा कि पूंजीवाद में जो पूंजीपति और मजदूर का सम्बन्ध होता है और जो समाजवाद में होना चाहिये उस ओर हम कितने, और किस हद तक बढ़े। मुझे याद है कि कई बार केन्द्र की तरफ से और हमारे प्रदेश में भी इस बात की इच्छा की गई कि जो मैनेजमेंट हैं उसमें मजदूर का बराबर का हिस्सा हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने कारखाने हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनके अन्दर मजदूरों को प्रबन्ध के अन्दर हिस्सा दिया गया है। यदि नहीं, तो उसमें क्या कठिनाई है? यही नहीं, जो आपके सरकारी कारखाने हैं उनके अन्दर मजदूरों को कहां तक उसके मैनेजमेंट के साथ शामिल किया है? मजदूरों की हालत मैं जानता हूं। आप अभी क्या, आने वाले २५–४० साल तक उनको अमेरिकी मजदूर से बेहतर नहीं बना सकते। मगर अमेरिका में समाजवाद तो नहीं है। इसी प्रकार और भी पूंजीवादी देश हैं जहां मजदूर की हालत अच्छी है। तो हम जब कि समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और यह घोषणा की है तो उम्मीद की जाती है कि जो मजदूर भाई हैं उनके सम्बन्ध भी कारखाने के मालिकों से उसी प्रकार के हों। इस घोषणा के बाद जिसको हम सही माने में कार्यान्वित करना चाहते हैं, उस तरफ क्या प्रगति हुई, यह माननीय मंत्री जी बतावें। आपने आंकड़े दिये हैं कि २०,००० के करीब मकान बने हैं जिनमें से १५,००० आपको मिले और उनमें से १४,००० का अलाटमेंट कर दिया गया है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना को जिन छोटी तनख्वाहों के मजदरों के लिये बनाया गया था वे उनमें नहीं गये हैं। मुझे मालूम है कि ऐसे लोग इन मकानों में गये हैं जिनका कोई सम्बन्ध कारखानों व सम्बन्धित उद्योगों से नहीं है। दूसरे विभागों के लोग गये हैं। यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति से आप ने किराये को कुछ कम किया है। लेकिन आज भी जो १० रुपया उनका किराया है उसको मजदूर नहीं दे पा रहे हैं। इसके दो माने हो सकते हैं। या तो मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या और कोई कमी है। अगर मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि सरकार सोचे, क्योंकि जब आप चाहते हैं कि मजदूरों को अच्छे मकान मिलें तो चाहे उनको आप सबसीडाइज करें या जिस उद्योग में वे काम करते हैं वह इन्डस्ट्री सबसीडाइज करे ताकि मजदूर उन मकानों में रह सकें। मैं यह भी नहीं जानता कि जो इस वक्त मकानों में रह रहे हैं उनसे आप मकान खाली करा सकेंगे या नहीं, अगर मजदूर वहां रहना भी चाहें तो।

[श्री नवल किशोर]

ऊदल जी ने शिकायत की कि मजदूर अपना मुकदमा जीत जाते हैं, उसके बाद भी कारखाने वाले उसको कार्यान्वित नहीं करते हैं। यह दुख की बात है और मैं समझता हूं मजदूरों के जीतने के बाद सरकार की मारल ड्यूटी हो जाती है कि उसे कार्यान्वित कराये।

जहां यह कहा गया कि सरकार की नीति है कि एक कारखाने में एक ही यूनीयन हो इससे ज्यादा नहीं और दो साल से कम पुरानी न हो, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। यही नहीं बल्कि एक कदम आगे जाना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्री के लिये एक ही यूनियन होनी चाहिये। यह आक्षेप किया गया कि दूसरी यूनियन्स जो दूसरी पोलिटिकल पार्टीज से सम्बन्धित होती हैं उनको रजिस्ट्रर्ड नहीं किया जाता है मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता मगर यह तो स्पष्ट है कि जनतन्त्र में अधिकतर एक ही तरीका हो सकता है कि जिसके यूनियन के सदस्यों की संख्या अधिक हो उसी को मान्यता मिलनी चाहिये। जो लोग मजदूरों को पोलिटिकल वेपन्स बनाते हैं और प्रोफेशनल्स हैं उन पर सरकार का थोड़ा बहुत नियन्त्रण आवश्यक है।

मान्यवर, प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के बारे में उप-मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे यह मालूम हुआ कि १९५८ तक वहां कोई यूनियन नहीं थी, वर्क्स कमेटी थी जिस में आधे नुमाइंदे मजदूरों के और आधे मैनेजमेंट के थे। लेकिन वहां पर जब कुछ समस्यायें रखी गईं, मैं नहीं जानता कहां तक मेरी मालूमात सही है, मैनेजमेंट के लोगों ने उसको पसन्द नहीं किया। इसके बाद नवम्बर, १९५८ में उन्होंने अपनी एक यूनियन कायम की, उसके पदाधिकारियों का चुनाव किया और उसको आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बद्ध करा लिया। मुझे बताया गया है कि यूनियन बनने के बाद मैनेजमेंट का ऐटीट्यूड अच्छा नहीं रहा और उसने एक-एक करके उन पदाधिकारियों को हटाया और जो आदमी जिन मशीनों पर काम करते थे उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह रखा गया। अगर मेरी मालूमात गलत हों तो मंत्री जी मझे सही कर दें। मुझे मालूम हुआ है कि श्रम विभाग उस यूनियन का पक्षपाती है जो मैनेजमेंट की तरफ से वहां स्पांसर की गई है। अगर यह सही है तो दुःख की बात है और सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ बातें कही गईं। मैं समझता हूं वह बहुत सही बातें हैं। हमारे यहां कारखानों में बहुत कम मजदूर हैं। प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ी समस्या खेतिहर मजदूरों की है। भूमि बटवारे की बात कही जाती है, यह भी की जाये या सीलिंग की बात की जाय या कुछ भी कहा जाय लेकिन आप जब तक खेतिहर मजदूरों के लिये मिनिमम स्टेन्डर्ड आफ लाइफ की गारन्टी नहीं करते, उनकी आर्थिक स्थिति सही माने में सुधर नहीं सकती है। यह सही है कि आपने कानून बनाया और मंत्री जी कह सकते हैं कि यह कानून बना हुआ है, लेकिन जो कानून काम में न आये और केवल बनाने का गौरव आपको प्राप्त हो तो यह कुछ मुनासिब नहीं है। यह भी सही है कि कठिनाइयां हो सकती हैं। संगठन भी हमारे खेतिहर मजदूरों का नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि हमारी तरफ से भी उदासीनता रही है और उस तरफ कोई विशेष कदम भी नहीं उठाया गया है।

मैं समझता हूं कि जिस देश के अन्दर ७५ फीसदी इंसान खेती पर अपनी जिन्दगी काटते हैं और उनमें बहुत बड़ी संख्या खेतिहरों की है, ऐसी स्थिति में जहां पर केवल ८, ९ परसेंट लेबर ही मुश्किल से आर्गनाइज्ड लेबर हो सारे प्रदेश के लेबर के अनुपात में और हम संतोष कर लें कि मजदूरों के लिये हमने कुछ किया है तो वह काफी नहीं है। मैं चाहूंगा कि जब आप चारों तरफ से कृषि के विकास की बात कर रहें हैं तो मैं अपने आपको इस समय केवल खेतिहर मजदूर तक ही सीमित रखना चाहता हूं। खेतिहर मजदूर के लिये जो भी आपने कानून बनाया है उसको आप कम से कम इस बात का आश्वासन दे दें और चेष्टा करें कि उतना तो उसको मिल ही जायेगा, यदि इतना भी हो सके तब भी मैं यह समझूंगा कि आपने एक कदम उठाया है।

जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है. यह सही बात है और मैं इस बात को मानता हूं जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आपने इन ८, १० सालों में इस बात की चेष्टा की है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ें, अस्पताल वगैरह की सुविधायें बढ़ें। बहुत से काम भी हुए और साथ ही साथ आपका विभाग भी बढ़ा। लेकिन इसके बावजूद यह चीज महसूस होती है कि श्रमिकों के अन्दर जो अपना इनिशियेटिव पैदा होना चाहिये अपने आपको संगठित करने का, वह चीज हम उनमें अभी पैदा नहीं कर सके हैं। मैं सरकार का ध्यान इन चन्द बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी इच्छा है कि हमारे माननीय मंत्री जी किसी पार्टी पालिटिक्स को छोड़ कर मेरी बातों की तरफ गौर करें, क्योंकि "अपोजीशन" लफ्ज अनगाडली वेस्ट का दिया हुआ है, हमारे यहां का नहीं है। हम उनके हितैषी हैं, खैरख्वाह हैं, वेल विशर हैं और हमारे यहां के नीति शास्त्रों ने कहा भी है 'पुरुषाः बहवो राजन् सततं प्रिय वादिनः। अप्रियस् यतु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः' सच्चा दोस्त वह है जो ऐब सामने रखता है और मित्रता इसी तरह से बढ़ती है कि जो खामियां हों वे निकल जांय।

मैं बड़े विनम्र शब्दों में माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वेजेज के मामले में जो डिस्पैरिटी है वह खत्म की जाय। हमारे यहां गवर्नमेंन्ट का जो रुड़की वर्कशाप है, वहां के मजदूर यू० पी० भर के मजदूरों से कम तनख्वाह पाते हैं, उनका इतवार काट लिया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट का इतवार नहीं काटा जाता, लेकिन उन गरीबों को चार इतवारों की रोजी से महरूम रहना पड़ता है और रात को ८, १० घंटे काम उनसे लिया जाता है, लेकिन उसके लिये उन्हें कोई एक्सट्रा भत्ता नहीं दिया जाता। इस डिस्पैरिटी को खत्म किया जाय।

मैं बड़े विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि यह खतरा साफ दिखलाई पड़ रहा है कि अगर आपने एकस्प्लायटेड मासेज के साथ इंसाफ नहीं किया, लेबर के साथ न्याय नहीं किया तो मैं साफ कहता हूं जिस तरह पाकिस्तान को आप अपने भाषणों से नहीं रोक सके थे उसी तरह से कम्युनिज्म को भी आप अपने भाषणों से नहीं रोक सकेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि छोटे मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाय।

मैं आपसे यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं जैसा कि माननीय रामदास जी ने कहा कि देहात के मजदूर की मुसीबत बढ़ रही है। चकबन्दी की वजह से गांव के मजदूर की मुसीबत बढ़ी है। सारा चकबन्दी का कानून उठा कर देख लीजिये, कंसालिडेशन के ला में कृषि के मजदूर को एक बछड़ा तक खड़ा करने की जमीन नहीं दी गयी। चकबन्दी के पहले उसे आजादी थी कि वह खेतों में मवेशी ले जा सकता था, आज यह आजादी छीन ली गई है। चक-बन्दी से जो लोग आत्महत्या कर के मरे हैं उनके सम्बन्ध में रेवेन्यू के बजट पर निवेदन करूंगा और उस दिन सब बातें आपके सामने रखूंगा। मेरी अर्ज यह है कि अगर इस शोषित जनता की रोजी का इलाज न हुआ, इनको अगर आप ३० या २७ रुपये माहवार में खरीदते रहे तो कम्युनिज्म की आंधियां यहां आ कर रहेंगी।

कितने लेक्चर दिये गये थे ईसाई मिशनरियों के खिलाफ, लेकिन १ करोड़ ईसाई हिन्दुस्तान में हो गये। अगर वह बाइबिल की टीचिंग्स की वजह से या हजरत ईसा मसीह की लाफ्टी टीचिंग्स की वजह से ईसाई हुये होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह हरिजन मजदूर लोग ईसाई हुये हैं जिनके पास खाने को नहीं था पहिनने को कपड़े नहीं थे। ईसाई लोग आये, उन्होंने उनके वस्त्र और भोजन का इन्तजाम किया और इस सब का नतीजा यह हुआ कि आज इस देश में १ करोड़ ईसाई हो गये। आज इस देश में १ करोड़ जैन नहीं हैं, १ करोड़ बौद्ध नहीं हैं, १ करोड़ आर्यसमाजी नहीं हैं, एक करोड़ सिक्ख नहीं हैं, लेकिन

[श्री यशपालसिंह]

१ करोड़ ईसाई हो चुके हैं, सिर्फ रोटी और कपड़े की दिक्कत की वजह से और आप फिर इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं।

"तायरों पर सहर है, सय्याद के इकबाल का
अपनी मिनकारों से हलका कस रहे हैं जाल का"

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जब ऐसा कोई स्टेटमेंट दें तो वह सबूत के साथ होना चाहिये। मैं भी एक ईसाई हूं। माननीय सदस्य को ऐसे लफ्ज नहीं बोलने चाहिये जो किसी जमात के लोगों को ठेस पहुंचायें। यह गलत है बगैर प्रूफ के कहना कि सब खाने-पीने के लिये ही ईसाई हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता—आपको समय मिलेगा तो आप उस समय उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त—स्वीपिंग स्टेटमेंट हाउस में देना किसी मेम्बर के लायक नहीं है। हो सकता है कि बाज हुये हों, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी जमात के लोगों पर इस तरह से इल्जाम लगाया जाय कि ये सब रुपय पैसे के लालच में ईसाई हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता—आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने किसी एक के ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने एक जनरल बात कही है, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं किया। इसलिये मैं समझता हूं कि आपको शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री एस० जी० दत्त—उन्होंने कहा कि १ करोड़ आदमी इसलिये ईसाई हो गये, इसलिये मैंने कहा।

श्री अधिष्ठाता—आपको मौका मिलेगा तब जवाब दे दीजियेगा।

श्री यशपालसिंह—मेरे माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गयी है। मैंने यह कहा था कि अगर बाइबिल पर ईमान ला कर वे ईसाई हुये होते तो कोई बात न थी और यह बात मैं ही नहीं कहता, बल्कि दातार साहब और पंडित पंत जी जैसे लोग जो सेन्टर के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ७५ करोड़ से ज्यादा रुपया ईसाइयत के प्रचार के लिये बाहर से आया है और इसकी चर्चा पार्लियामेंट में भी चल रही है। मैं कोई इल्जाम की बात नहीं कहता हूं बल्कि सदाकत की बात कहता हूं। अगर भूख की वजह से ईसाई न हुये होते तो बहुत से सवर्ण भी ईसाई हुये होते, लेकिन आमतौर से सिर्फ हरिजन ही ईसाई हुये हैं। कायस्थों, ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों जैसी सम्पन्न बिरादरी में से ईसाई नहीं हुये। चमार, भंगी कहे जाने वाले लोग ही अधिकतर ईसाई बने हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैं यशपाल जी से कहना चाहता हूं कि यह श्रम का अनुदान है। अगर इसको ध्यान में वह रखें तो दूसरों को शिकायत नहीं होगी।

श्री यशपालसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े अदब से यह वह देना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा था उसका ताल्लुक श्रम से ही था और मेरे कहने का मतलब यह था कि हरिजन जो लैंडलेस लेबर है और जो श्रम करता है अगर उसकी तनख्वाह को नहीं बढ़ाया गया, उसके स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं किया गया तो कम्युनिज्म किसी समय भी आ सकता है।

दूसरा प्वाइंट मुझे यह कहना है कि एक तरफ तो हमारे देश में लाखों आदमी बेकारी का शिकार हो रहे हैं, हजारों आदमी सबेरे फावड़ा ले कर चलते हैं मगर उनको काम नहीं मिलता और दूसरी तरफ श्रमदान के नाम पर प्रोफेसर, फिलासफर और साइन्टिस्ट से फावड़े का काम कराया जाता है। जो आदमी दो हजार रुपये रोज कमा सकता है उससे बारह आने रोजाना का श्रमदान कराना कहां की अक्लमंदी है। इंजिनियरिंग यनिवर्सिटी

रुड़की है, जहां पर मुझे भी कुछ ड्यूटीज मिली हुई हैं, उसके वाइस-चांसलर अमेरिका गये थे और सरकारी बैंक ने उनके ऊपर एक हजार रुपया रोज खर्च किया है। जो लोग देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं उन लोगों से श्रमदान कराना देश की सर्विस नहीं है बल्कि डिस सर्विस है। मेरे अपने जिले ने जो श्रमदान किया है वह यू० पी० के किसी भी आदमी से छिपा हुआ नहीं है। वहां खून की नदी बही थीं, श्रमदान के नाम पर नाबालिग बच्चों का बलिदान किया गया था नहर को चौड़ा किया गया और बीस हजार आदमियों ने वहां काम किया। लेकिन वहां पर कोई भी इंजीनियर मार्ग दर्शक नहीं था। इसलिये नतीजा यह हुआ कि नहर चौड़ी की गई तो पटरी संकरी हो गई, यानी पटरी बहुत छोटी हो गई। जिस समय इलेक्शन के बैलट बाक्सेज ट्रक में नहर के किनारे-किनारे पटरी पर से जा रहे थे तो दो चपरासी जो बक्सों के ऊपर बैठे हुये थे वह शीशम के पेड़ पर ही टंगें रह गये और रात भर बरफ में तड़पते रहे। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पता लगाया कि दो चपरासी इस तरह से श्रमदान की भेंट हो चुके हैं। उन्हें वापस मंगाया गया।

श्री अधिष्ठाता—बेहतर होता यदि आपने खेतिहर मजदूरों की बात शुरू की होती। उनके लिये क्या किया जाय, यह फरमाइये।

श्री यशपालसिंह—मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं अपने इस बजट को लगातार दो-तीन रोज से बराबर देख रहा हूं कि गुड़ की इंडस्ट्री पर जहां पांच लाख आदमी काम करते हैं उनके लिये कोई नई स्कीम इस बजट में नहीं है, कोई नया आयोजन उनके लिये इस बजट में नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कानपुर में मिल मालिकान की वजह से जहां केवल ४० हजार मजदूर काम करते हैं,उनके लिये यूनियन बनती हैं, उनके लिये गवर्नमेंट ग्रांट दी जाती हैं और उनकी शिकायतें भी सुन ली जाती हैं. लेकिन गांवों के खेतिहर मजदूर जो हल के साथ काम करते हैं उनके लिये कभी कोई सरकार से किसी तरह का आयोजन नहीं किया जाता है और न उनके लिये किसी तरह की ग्रांट दी जाती है।

इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि देश के हित में और देश की बहबूदी के लिये जो खेतिहर किसान हैं उनके लिये जमीन का, मवेशियों का, गाय का औरभैंस का इंतजाम किया जाय और चकबन्दी कानून में भी यह चीज ढ़ाई जाय। वाकई देश के मजदूरों के लिये यह चीज बहुत जरूरी है और अगर हम इसको नहीं कर सके तो मैं चूंकि आपका हितैषी हूं इसलिये बताये देता हूं कि कम्युनिज्म को कोई रोक नहीं सकेगा।

अभी दो महीने पहले की बात है कि सहारनपुर में एक मिल के मैनेजर ने किसी मजदूर के साथ ज्यादती की तो उसी मजदूर ने मिल मैनेजर के तीन टुकड़े कर दिये मैंने देखा कि इतना बड़ा अनर्थ हुआ। लेकिन जब मजदूर यह कातिलाना काम करके जेल में गया तो उसके जुलूस में ५ हजार आदमी थे। इससे जनता जनार्दन की उस मनोवृत्ति का पता लग सकता है कि आज वह पैरासाइट ग्रोथ आदमखोर इंसान को किस निगाह से देखती है। इसलिये देश की बहबूदी के लिये जरूरी है कि मजदूरों का स्तर ऊंचा उठाया जाय। लेकिन आपके बजट में गुड़ की स्कीम पर केवल ८,००० रुपया बढ़ाया गया है और शायद वह भी इसपेक्टरों वगैरह की तनख्वाहों पर बढ़ाया गया होगा। उसमें से गरीबों के लिये एक पैसा भी नहीं पहुंच सकता है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन् अभी तो मेरे तीन मिनट बाकी हैं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, आपका समय हो गया।

श्री यशपालसिंह—मेरी इच्छा है कि इन खेतिहर मजदूरों के लिये और रकम दी जाय।

*श्री एस० जी० दत्त--सिर्फ मजदूर ही है जिसके सिर के ऊपर सारी दुनिया का कारोबार चलता है। मजदूर को खूब पीटा गया, खून चूसा गया और जो जमींदार तबका था उसने अच्छी तरह से खून चूसा है। वह मजदूर के बारे में क्या जाने कि मजदूर की दिक्कत क्या होती है। वह तो यही कहेंगे कि ईसाई लोगों ने रुपया दे कर ईसाई कर लिया। इसके सिवा यह कुछ नहीं जानते कि मजदूर की स्थिति क्या है।

श्री यशपालसिंह--मैंने आपसे ज्यादा मजदूरों में काम किया है।

श्री एस० जी० दत्त--आप सब से सुनते रहिए। चूंकि यशपालसिंह जी ने कहा, इसलिये मुझे कहने की आवश्यकता हुई। मुझे अफसोस है कि मजदूर के ऊपर तो तकरीर करने चले और ले गये मजहबी रंग पर। तो आप समझ सकते हैं कि वह मजदूर को कितना समझते हैं। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। मजदूर का ऐसा वर्ग है जिसके अन्दर कोई मजहब की चीज ही नहीं। मजदूर न नैशनेलिटी पहचानता है और न देश। वह पहचानता है मजदूर को। जिन्होंने मजदूरों में काम किया है वह जानते हैं कि मजदूरों की क्या दिक्कतें हैं। वही अपने दिल से बात कर सकते हैं। जो मजदूर की हालत सुधारना चाहते हैं, और मजदूरों के हमदर्द हैं उनकी जिन्दगी ऐसी होनी चाहिये कि एक नमूना हो ताकि मजदूर की जिन्दगी बेहतर हो जाय। यही ट्रेड यूनियनिस्ट का तरीका होना चाहिये। वह ईमानदारी और सच्चाई से ऐसा काम दिखाये जिससे मजदूर की भी जिन्दगी बेहतर हो जाय और उसकी माली हालत में सुधार हो, उसके बच्चों की अच्छी तालीम हो। ट्रेड यूनियन का यही एक मकसद है।

हिन्दुस्तान में जब ट्रेड यूनियनिज्म शुरू हुई तो हमने मजदूर को यह सिखाया कि जहां आप को तकलीफ होती है वहां स्ट्राइक कर दो, मालिक को मारो और इसमें ज्यादातर हिस्सा कम्युनिस्टों का रहा। उन्होंने ज्यादातर मजदूर को स्ट्राइक की ही तालीम दी है। दूसरे मैंने यह देखा कि ट्रेड यूनियनिस्ट मजदूर को बहकाने के लिये यह कहता है कि तुम्हारे लिये पक्के मकान बनवा दूंगा, तुम मिल के मालिक हो जाओगे। तुमको यह कर दूंगा वह कर दूंगा, महज पार्टी प्रोपेगैंडा के लिये। अगर किसी ट्रेड यूनियनिस्ट ने पार्टी प्रोपेगैंडा किया तो वह सही ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं है। ट्रेड यूनियनिस्ट का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिये। मालूम तो होता है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट बढ़ गया है, लेकिन मॉरली वह गिर गया है। मजदूर की हालत भी खराब हुई, हर तरह से उसको नुकसान हुआ। ऐसे-ऐसे ट्रेड यूनियनिस्ट्स को मैं सोचता हूं कि अपना सुधार करना चाहिये, अपनी लाइफ में सुधार करना चाहिये। ऐसी जगहों पर वह मजदूरों को न ले जांय जिससे कि उनका नुकसान हो। बल्कि कांस्टीट्यूशनल तरीके अख्तियार करें जिससे कि उसका फायदा हो।

मैं यह सोचता हूं कि मजदूर वर्ग जो है उसके सुधार के लिये सबसे पहले यह जरूरी है कि उसका मारल कायम हो ताकि मिल मालिकों पर असर हो या जिनसे उनका मुकाबिला हो उन पर असर हो। यह ठीक है, मिल मालिकों ने भी खून चूसा, उन्होंने उतनी मजदूरी नहीं दी, ज्यादा काम लिया, बेगार भी ली, सब तरह से उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे पहले एक नेशनल फीलिंग होनी चाहिये। जब नेशनल फीलिंग नहीं है तो फिर आप अपने भाई की कैसे मदद करेंगे? जब यशपाल सिंह जी जैसे आदमी यह सोचने लगते हैं कि यह ईसाई इस तरह से काम करते हैं, आखिर हम किसी तरह से भी ईसाई हुए हों, लेकिन हैं तो इसी देश के, कोई इंग्लिस्तान में तो जाकर नहीं बस रहे हैं? ये जनसंघी रोज कहते हैं कि हम तलवार से तुमको मारेंगे जब हमारा राज्य होगा, तो यह चीज गलत है तरीके के खिलाफ है। हममें एक नेशनल हमदर्दी होनी चाहिये। जब कोई मजदूरों के अन्दर काम करता है तो उसके अन्दर यह नेशनल फीलिंग होनी चाहिये। एम्प्लायर भी हमारे मुल्क का है और मजदूर भी हमारे मुल्क का है। अगर एम्प्लायर गलती करता है तो उसको किसी तरह से समझाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ऐसा तरीका अख्तियार कीजिये कि जिसका उसके ऊपर असर हो। मैं समझता हूं कि हर इन्सान के दिल में कुछ न कुछ हमदर्दी का असर होता है और हमदर्दी होती है और अगर वह तरीका अख्तियार किया जाय तो मैं समझता हूं कि सफलता हो सकती है और मैं ऐसा ही तरीका अख्तियार करता हूं।

थोड़ी-सी चीज मैं और कहना चाहता हूं –जो कानपुर के बारे में है। कानपुर में दो मिलें बन्द हो गई थीं। एथर्टन वेस्ट मिल को तो लगा दिया है सरकार ने, लेकिन कानपुर काटन मिल के लिये मैं इस्तदुआ करूंगा कि सरकार जल्द से जल्द उसके लिये भी प्रयत्न करे जिससे कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार मिले। सुनने में आया है कि दो मिलें और बन्द होने वाली हैं। एक तो शायद विक्टोरिया मिल के लिये कहा जा रहा है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्द से जल्द ऐसा प्रबन्ध करे कि वह मिल बन्द न हो और मजदूर बेरोजगार न हों।

एक बात की तरफ मैं और सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इंडस्ट्रिअल पीस सन ५९ में ठीक से रही नहीं। गिर गई, मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रिअल पीस को कायम रखने के लिए सरकार को फैक्ट्रियों में वर्क्स कमेटीज फिर से मुकर्रर कर देनी चाहिए और मैं सोचता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह अवश्य कहना है कि वर्क्स कमेटीज फैक्ट्रीज में होनी चाहिएं जिससे कि डिस्प्यूट वहीं का वहीं खत्म हो जाय और बढ़ने न पाये।

दूसरी बात एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के लिये मैं कहना चाहता हूं। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज काम तो कर रहा है बाकायदा, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि नौकरी तलाश करने वाले ज्यादा हैं और नौकरियां कम हैं। इस वास्ते गवर्नमेंन्ट को इस तरफ तवज्जह करनी चाहिये कि बेरोजगारी जो मजदूरों में है वह ठीक हो। मैं गवर्नमेंन्ट की सराहना इस तरीके से करता हूं कि गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं जो बड़े अच्छे-अच्छे काबिल आदमियों के हाथ में हैं, जिसकी कि मेरी परसनल नालेज है और वह हर शहर में खोले गए हैं। इससे जो हमारे मजदूर हैं और उनके बच्चे हैं उनके हाथ में एक आर्ट आ जाता है ताकि वह बेकार न रह सकें। मैं सोचता हूं कि इस मद में सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है और सरकार को चाहिये कि और ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल दे।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूर जिसका जिक्र हमारे मित्र ने किया था, उनकी हालत बड़ी खराब है। खेतिहर मजदूरों को वही रियायत मिलनी चाहिये जो कि एक इंडस्ट्रियल मजदूर को मिलती है।

अन्त में फिर यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और जिन्होंने अनुदान पेश किया है वह सब मिलकर, हम सब मिलकर एक ऐसा अपना जिन्दगी का मियार कायम करें जिसका कि मजदूरों के ऊपर असर हो और मजदूर वैसे ही उस असर को लेकर ऐसी जिन्दगी अख्तियार करे जिससे कन्ट्री का भला हो और उत्पादन ज्यादा हो और सरकार का भला हो और सब लोगों का भला हो। क्योंकि बकौल एक शायर के मैं यह कहना चाहता हूं कि "चूं कुफरअज काबा बरखेजद कुजा मानद मुसलमानी" अगर काबे से ही कुफर उठेगा तो फिर मुसलमानी कहां रहेगी ? अगर हमारी जिन्दगी अच्छी रहेगी तो उसका असर आगे होगा। मैं अपने दोस्त पांडेय जी से यह कहूंगा कि कटौती का प्रस्ताव जो उन्होंने पेश किया है उसको हटा लें और अनुदान को पास होने दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—कटौती का प्रस्ताव बहुत ही सुन्दर है और हर प्राणी को इसका समर्थन करना चाहिये। मैं इस समय श्रम विभाग के आंकड़ों की ओर जाना पसन्द नहीं करूंगा। केवल एक तरह से यह चाहूंगा कि सरकार और इस सदन के सम्मानित सदस्य जितने यहां पर बैठे हुये हैं वे मूलरूप से इस प्रश्न पर विचार करें कि आज मजदूरों के प्रश्न क्या हैं। मजदूरों को प्राथमिकता है, श्रम को प्राथमिकता है या कैपिटल को

[श्री राजनारायण]

प्राथमिकता है ? वस्तुतः पूंजी को प्राथमिकता है । हमारे कुछ कम्युनिस्ट दोस्त भी यहां पर होंगे । मैं पहले उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने मार्क्स के सिद्धान्त पढ़े हैं- मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने पढ़े हैं या नहीं--और उसमें कैपिटल का अध्ययन करेंगे तो मार्क्स ने लिखा है कि, "Value is the crystallization of labour power", मूल्य श्रम शक्ति का समुच्चय है । तो वैल्यू क्या है ? पण्य (commodity) विनिमय की वैल्यू वह श्रम है जो श्रमिक ने इस्तेमाल किया है । जो पण्य पैदा होते हैं आखिर उसमें मूल्य कैसे पैदा होता है, तो उसकी परिभाषा दी है । उसमें यह बताया है कि जो श्रमिक अपनी श्रम शक्ति लगाता है वही श्रम शक्ति साकार रूप में होकर वस्तु (पण्य) बनती है जो विनिमय में प्रयोग होती है । एम० सी० एम० यानी मनी, कमोडिटी फिर मनी, श्रम शक्ति (पूंजी फिर पण्य फिर बढ़ी हुयी पूंजी) । पूंजी बदलती है पण्य में पण्य बदलत है फिर बढ़ी हुयी पूंजी में । बढ़ी हुयी पूंजी में मजदूर की श्रमशक्ति समायी हुयी है । इस श्रम शक्ति में आवश्यक श्रम तथा अतिरिक्त श्रम दोनों हैं । अतिरिक्त श्रम ही पूंजीपति का मुनाफा होता है । यह क्रम भी फैक्टरी में लागू होता है ?

अगर इस सिद्धांत को कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त अध्ययन करेंगे तो उनको मालूम होगा कि कहीं न कहीं कोई दोष है । उस दोष को मैं लेनिन के कोटेशन से भी सिद्ध करना चाहता हूं :

"Imperialism is the last phase of capitalism."

यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का आखिरी चरण है । अगर साम्राज्यवाद पूंजीवाद का आखिरी चरण था तो मेरा निवेदन है कि फासिस्ट व्यवस्था कैसे आयी ? वह रूप नहीं था । मेरा कहना यह है कि लेनिन की व्याख्या गलत है और मेरा यह भी कहना है कि मार्क्स की लेबर थ्योरी में श्रम सिद्धान्त को परिमार्जन और संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे अच्छी तरह से देखें कि हिन्दुस्तान पहले उपनिवेश बना और अगर हिन्दुस्तान उपनिवेश न बना होता तो लंकाशायर की मिलें इस तरह से विकसित न हुयी होती । इस प्रकार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद साथ-साथ चलते हैं, जुड़वा बच्चे हैं । मेरा कहना है कि अगर राजनीतिक आधिपत्य (पोलीटिकल डोमीनेशन) हिन्दुस्तान के ऊपर न हुआ होता, श्रमिकों का शोषण न हुआ होता, हिन्दुस्तान के कच्चे माल को सस्ता लेकर उसको इंगलिस्तानी पक्का बनाकर ऊंचे दामों पर न बिकवाया गया होता और उसे हिन्दुस्तान में न खपाया होता, तो आज मजदूरों की यह हालत न हुई होती । इन बातों को लोगों को हृदयंगम कर लेना चाहिये । अगर आप इन बातों को हृदयंगम कर लेंगे तो आप इस नतीजे पर न पहुंचेंगे कि आखिर जो मजदूर है उसका स्तर क्या होना चाहिये और जो पूंजी है उसका क्या स्तर होना चाहिये । सभी को मालूम होगा शायद जब सन् १९४२ में महात्मा गांधी जेल गये थे तो उन्होंने भी मार्क्स के कैपिटल का अच्छी तरह से अध्ययन किया था और जब वे जेल से छूटे थे तो उन्होंने बराबर इस बात को माना था कि श्रम का महत्व पूंजी के ऊपर होना चाहिये । इस बात को गांधी जी ने निर्विवाद ढंग से माना है ।

जहां तक कम्युनिस्ट का ताल्लुक है, वे बुद्धि-विभ्रम-जन्य भ्रान्ति में विचरना चाहते हैं । जिस तरह का समझौता केरल की सरकार ने बिड़ला से किया है, क्या कोई अन्य सरकार उस तरह का समझौता कर सकती है ? बोनस की लड़ाई के लिये माननीय झारखंडे राय जी तथा दूसरे कम्युनिस्ट अकसर लड़ा करते हैं किन्तु क्या उन्होंने बिड़ला से इस तरह का कम्प्रोमाइज नहीं किया था ?

"The Bonus will not be related to the Companies' profits or earning but where found necessary by the Company, will only be related to and paid on efficiency and productivity according to the schemes which may be formulated by the Company from time to time"

यह कहा गया है कि बोनस का सवाल अब कंपनियों के मुनाफे से और उसकी कमाई से नहीं होगा, बल्कि मिल मालिक समय-समय पर जो स्कीम पेश करें उस स्कीम के मुताबिक मजदूरों की कार्य-कुशलता पर मुनहसर होगा । यह राजीनामा इन्होंने बिड़ला से किया ।

श्री अधिष्ठाता—मुझे डर है कि कहीं आपका सारा समय केरल के मसले पर ही न निकल जाय ?

श्री राजनारायण—ठीक है, किन्तु श्रीमन्, हमें तो आप थोड़ा-सा समय देंगे ही ।

तो मैं यह कह रहा था कि आजकल अक्सर मैं बहुत दिनों से यह देख रहा हूं कि यहां पर कुछ कहा जाता है, पब्लिक मीटिंग्स में कुछ कहा जाता है, मजदूरों के बीच में कुछ कहा जाता है और अन्त में मिल मालिकों के सामने नतमस्तक होने का तरीका अपनाया जाता है । आखिर यह कैसे खत्म होगा ? कब इसका अन्त होगा ? हमको श्रीमन्, यह बताया जाय कि कम्युनिस्ट पार्टी, या कांग्रेस पार्टी, या अन्य किसी पार्टी की मजदूर नीति क्या है ? माननीय बहुगुणा जी, जो इस समय मजदूर नेता के रूप में नहीं हैं, उनके हाथ में श्रम विभाग है, उनकी मजदूरों के बारे में नीति क्या है, वे इसको घोषित करें ।

(इस समय ३ बजकर २४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मैं यह चाहूंगा कि वे सांप को रस्सी और रस्सी को सांप न कहें । सांप को सांप और रस्सी को रस्सी ही कहना चाहिये और अगर सांप को रस्सी कहकर जनता को भ्रम में डाला गया तो परिणाम बड़ा भयंकर होगा । हमें जयप्रकाश नारायण जी के वाक्य याद हैं । एक बार उन्होंने भी कहा है कि—"मैं देखता हूं कि जो बड़े-बड़े मजदूर नेता हैं जब वे मजदूरों के मुकदमें करने के लिये जाते हैं तो फर्स्ट क्लास की गाड़ी में जाते हैं, फर्स्ट क्लास होटल में ठहरते हैं, फर्स्ट क्लास खर्चा करते हैं, आखिर क्यों ?" कहां से उनको पैसा मिलता है और कैसे वह इन तमाम कामों को करते हैं इस पर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा और जब तक यह नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता । यह स्थिति है ।

अब सरकार की ओर देखा जाय । माननीय बहुगुणा जी अक्सर हमारे वाराणसी में चले जाया करते हैं और इनकी जब स्टैंडिंग कमेटियां हुआ करती हैं तो जैन के बंगले में साहूपुरी में । साहूपुरी बन गया और हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे वाराणसी में भी एक फैक्टरी आ गई है । फैक्टरी आई ठीक है, लेकिन उस फैक्टरी के कारण कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने किसानों का नुकसान हुआ है, कितने गरीबों का नुकसान हुआ है, इसका भी आखिर कोई अन्दाजा होगा और इसका अन्दाजा लगाया जाना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि कुछ और बुनियादी बातों को आपके सामने रखूं । चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, मैं जानना चाहता हूं कि अगर सारे मजदूर संगठन एक हो जायं और यह सुझाव हो कि मजदूरों में राजनीतिक चेतना न हो, या मजदूरों पर राजनीतिक दलों का प्रभाव न हो तो क्या यह धोखा नहीं है, यह भ्रम नहीं है । इसलिये मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मजदूरों के अन्दर राजनीतिक चेतना पैदा करनी चाहिये । जो लोग कहते हैं कि मजदूरों के अन्दर राजनीतिक चेतना नहीं जागृत करनी चाहिये और केवल वर्स्टाइन के सिद्धान्त के अनुसार मजदूरों के अन्दर इकनामिज्म की थ्योरी अर्थात् मजदूरों की तनख्वाह के मामले में, उनके काम के मामले में, मांगों को सामने रखना चाहिये तो निश्चित है कि हम उसको अर्थवादी नीति में ही फंसाये रहेंगे और उसका लाभ नहीं हो पायेगा । यह बिलकुल निश्चित बात है कि प्रत्येक इकनामिक स्ट्रगल इज ए पोलिटिकल स्ट्रगल । हर इकानामिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, यद्यपि हर राजनीतिक लड़ाई इकनामिक लड़ाई नहीं है । मार्क्स ने इसलिये कहा था कि हर एकनामिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है । मालूम नहीं दत्त जी कब से राजनीतिक दलों में काम करने लगे हैं, मजदूरों में कब से काम करने

[श्री राजनारायण]

लगे हैं, इनकी समझ में कैसे आ सकता है कि राजनीतिक चेतना मजदूरों में अवश्य जगनी चाहिये ।

श्री एस० जी० दत्त--मैं आपसे पहले से मजदूरों में काम करता हूं और आपको पढ़ा सकता हूं कि राजनीति क्या चीज होती है ।

श्री राजनारायण--मुझको इसकी बड़ी खुशी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बहुत से आदमी रहा करते हैं लेकिन एक खास प्रकार के ही आदमी होते हैं जो दिल्ली में रहकर भी अपने ही ढंग का काम करते हैं । तो मैं आज डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि मजदूरों का पोलिटिकलाइजेशन होना चाहिये, मजदूरों के अन्दर राजनीति का समावेश होना चाहिये और उसको हम कराने के लिये तैयार हैं ।

जो लोग पूंजीवाद के पोषक हैं वह दूसरी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या आप चाहते हैं कि सरकार इसके लिये कोई ऐक्ट बनावे ?

श्री राजनारायण--जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन आपके इस कहने का मतलब क्या है ?

श्री राजनारायण--मान्यवर, जब आप यहां नहीं थे तब माननीय दत्त जी ने कहा था कि मजदूरों को राजनीति के चक्कर में नहीं आना चाहिये और राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव में नहीं आना चाहिये । अगर राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव में मजदूर न आयें, किसान न आवें, विद्यार्थी न आवें, व्यापारी न आयें, अध्यापक न आयें, यहां के सदस्यगण न आयें तो आखिर राजनीतिक पार्टी है किस लिये ? राजनीति क्या कोई पाप है, क्या कोई खेल है और सब लोग उसमें परेशान हैं । राजनीति से सम्बद्ध मजदूर समस्याओं का आये नहीं, तो फिर आखिर क्या राजनीति भ्रष्टाचार का अड्डा है या चोरबाजारी की दूकान है या क्या है ? आप लोग राजनीति से डरते हों पर महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि कि राजनीति शुद्ध नीति है और जिस घड़ी और जिस क्षण में देखूंगा कि हमारी राजनीति अपवित्र हो गई है तो मैं राजनीति से अपने को अलग कर लूंगा । इसलिये दोस्तो, डरो मत, अगर राजनीति सही है तो डरो मत । जिन लोगों का कहना है कि मजदूर राजनीति से प्रभावित न हों, ऐसे लोगों के लिये मैं कहना चाहता हूं और ऐसी सरकार के लिये कहना चाहता हूं कि जो जनतंत्र से कम स्तर पर चलने वाली सरकार होगी वही ऐसी बात कह सकती है । उसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज यह उत्तर प्रदेश की सरकार घोषित करे, माननीय मुख्य मंत्री जी या जो कोई भी सरकारी पक्ष का उत्तर देने वालें हों वह घोषित करें कि मजदूरों का स्थान, उसके कुछ बुनियादी अधिकार, उनकी सुरक्षा क्या होगी । उसके लिये काम का अधिकार होना चाहिये, आराम का अधिकार होना चाहिये । अपनी इच्छाओं के मुताबिक काम की शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिये । संगठित होने का अधिकार होना चाहिये, उद्योग का इन्तजाम करने का अधिकार होना चाहिये, बुढ़ापे, रोग और दूसरी तरह की असमर्थता में सरकारी मदद अवश्य मिलनी चाहिये। हड़ताल करने और शांतिमय ढंग से पिकेटिंग करने का अधिकार होना चाहिये । क्या सरकार यह अधिकार देने के लिये तैयार है ? जिस शासन में यह अधिकार मजदूरों को प्राप्त नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि वह सरकार समाजवादी नहीं, जनतंत्रवादी नहीं, पापी सरकार है । अगर मजदूर को यह मालूम हो जाय कि हमारी फैक्टरी है, हम इसके मालिक हैं, हम इसके प्रबन्धक हैं, हम इसके मुनाफे में साझीदार हैं तो मजदूर खून को पसीना बनाकर काम करेगा, ज्यादा माल पैदा करेगा । लेकिन अगर उसको यह मालूम हो कि हम जो पैदा कर रहे हैं उसका सारा मुनाफा मिल मालिक लेगा और दूसरे लग्गू लोग लेंगे तो वह मजदूर निश्चित रूप में कम काम करता है, यह खुली हुई बात है ।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर मालिक चाहे वह सरकार हो, अर्द्ध-सरकारी रूप में हो या कोआपरेटिव के रूप में हो या व्यक्तिगत मालिक के रूप में हो उन पर मैं एक प्रतिबन्ध की मांग करता हूं, सरकार उसको अवश्य लगाये कि वह किसी अस्थायी मजदूरी को अनियमितता, स्त्री या अन्य किसी प्रकार का बहाना बनाकर स्थायी मजदूरों से कम मजदूरी न दें और अगर यह नियम सरकार बना दे तो सदा के लिये इस बात का झगड़ा खत्म हो जाय। ठेकेदारी और गैर-ठेकेदारी का झगड़ा खत्म हो जाय। इसीलिये यह झगड़ा है कि उनको पैसा कम देना पड़ता है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि सरकार निश्चित रूप में कानून बनाये जिससे यह बातें खत्म हो जायं।

साथ ही मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं। निम्न मजदूरी कैसे तय हो, इस बारे में बोर्ड बनाये जाते हैं। बोर्ड बनें तो क्या करें? वह मौजूदा आवश्यक चीजों की कीमतों का संकलन करें और ऐसे आधार बनायें जिससे कम से कम तीन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तीन व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये जितनी सामग्री की जरूरत हो उतनी मजदूरी कम से कम होनी चाहिये। खेतिहर मजदूरों के लिये भी मेरी यही मांग है कि उनके लिये भी यही नियम लागू होने चाहिये। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि बीमा कराये गये मजदूरों के घर के और दूसरे सदस्यों के लिये भी दवा-दारू की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त जिन्दगी भर रहने वाली बीमारियों और दूसरे संक्रामक रोगियों के लिये अलग अस्पताल की व्यवस्था करनी चाहिये, उनके आराम की भी व्यवस्था होनी चाहिये। क्या सरकार ने इसको किया है? अबतक अगर किया होता तो उद्योग का विकास होता। स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम की व्यवस्था पूर्ण रूप से मजदूरों के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में हो। हर मालिक मजदूरी पर खर्च किये हुये धन का साढ़े ८ प्रतिशत विशेष फंड के रूप में रखे ताकि मजदूरों के रिटायर होने के समय हर साल पर एक महीने की मजदूरी के हिसाब से ग्रेचुएटी दी जाय। हर मालिक जो १०० मजदूरों से अधिक से काम लेता हो उस पर पूंजी कर लगाया जाय और उससे मकान बनवाये जाय और उसका किराया आर्थिक किराये के रूप में न हो बल्कि उन मकानों की मरम्मत के लिये जितनी जरूरत पड़ती हो उसके मुताबिक किराया तय किया जाय।

इसके अलावा कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स जो निकाला जाता है, मेरा तर्क है और मैं चाहता हूं कि इसको निकालने के लिये एक न्यायिक समिति बनाई जाय जो सरकार से बिलकुल अलग हो। आज कास्ट आफ लिविंग क्या होता है, कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी है, इसका ठीक ढंग से पता नहीं लग पा रहा है जिससे बहुत ही परेशानी हो जाती है।

यहां पर अभिनवीकरण का बहुत नाम आया है। वह है क्या? सरकार ने इसके नाम पर मजदूरों के काम के घंटों को बढ़ाया है। जिस शासन में अभिनवीकरण के नाम पर मजदूरों की छटनी होती हो, घंटों की बढ़ोत्तरी होती हो, उस सरकार की क्या संज्ञा होगी? न समाजवादी न जनतंत्रवादी बल्कि पापी, रावणशाही या कंसशाही या जो कुछ भी कह लिया जाय। मेरा कहना यह है कि :

"इस अभिनवीकरण में इन्तजामी व्यवस्था का ढांचा, बिक्री नीति, उद्योगों का आर्थिक ढांचा और उन पर मजदूरों का नियंत्रण आदि सभी बातें शामिल की जानी चाहिये। उद्योगों के इन्तजाम में मजदूरों के नियंत्रण को वास्तविक बनाने के लिये आवश्यक है कि—

(क) व्यवस्था में मजदूरों के प्रतिनिधि को कम्पनी का हिसाब-किताब देखने की सारी सुविधा हो, और उसका निरीक्षण वे अपनी पसन्द के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की मदद से कर सकें।

(ख) ऐसी विशेष अदालतें बनें, जो मजदूर प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित विषयों पर उठाये गये विवादों का निर्णय करें —

(१) कमीशन, बोनस, तनख्वाह और इन्तजामी कर्मचारियों की संख्या को तय करने में मालिक या प्रबंधकों के अधिकारों में कमी,

[श्री राजनारायण]

(२) कच्चे और तैयार माल की खरीद व बिक्री,

(३) मजदूरी और बोनस के एक उपयुक्त स्तर पर न पहुंच जाने तक डिविडेंड बढ़ाने पर रोक,

(४) जहां मजदूरों को उचित मजदूरी के स्तर से कम मजदरी मिलती हो, उन कारखानों में निम्नतम मजदूरी से पांच गुने से अधिक वेतन किसी भी इन्तजामी कर्मचारी को न मिले और जहां मजदूरी का स्तर उचित तो हो, पर साधारण जीवन स्तर से कम हो, वहां यह अनुपात दस गुने से अधिक न हो जाय।"

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या यहां पढ़ा जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---भाषण तो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने सुझाव के प्वाइन्ट्स नोट कर रखे हैं, उनको वे पढ़ रहे हैं, रटे हुये नहीं हैं ।

श्री राजनारायण---भाषण पढ़ा नहीं जा सकता, मंत्र स्मरण नहीं रखे जा सकते और तमाम बातें कही नहीं जा सकतीं तो क्या आप इस सरकार का केवल हमसे भ्रष्टाचार ही सुनना चाहते हैं ? इन शब्दों के साथ मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की यह श्रम नीति ढोंग पूर्ण है, इसको सरकार को बदलना होगा ।

*श्री सीताराम शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं इस बजट को लाने के लिये । जिस वक्त यह बजट पेश हुआ मुझे वह वक्त याद आया जब हम लोग साथ जेल में थे और सन् ४२ के आन्दोलन में बड़े-बड़े कार्य किये थे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में जो इस प्रकार आपने बंटन किया है कि एक सरकारी पक्ष का बोले और एक विरोध पक्ष का, तो क्या ऐसे सदस्यों को विरोधी पक्ष का समझा जाता है जो सरकार के अनुदान के लिये सरकार की प्रशंसा करते है ? क्योंकि वे विरोधी पक्ष के नहीं हैं इसलिये सरकार के पक्ष में उनकी गिनती होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय शुक्ल जी को न तो मैं विरोधी पक्ष का समझता हूं और न सरकारी पक्ष का, उनका एक विशेष स्थान है । (हंसी)

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे दिल की बात कह दी । वाकई में मैं न इधर का हूं और न उधर का । मुझे विरोधी पक्ष का मानना एक ताज्जुब की बात होगी और गवर्नमेंट की गलती के कारण तो मैंने कांग्रेस ही छोड़ दी । राजनारायण जी को गलतफहमी हो गयी कि मैं बड़ाई कर रहा हूं । अगर मुझे बड़ाई करनी आती तो शायद मैं कहीं ऊंची जगह पहुंच गया होता । मैं एप्रीसियेशन करता हूं जिसके लिये लोग जान देते हैं । रुपये के लिये जान नहीं देते । इज्जत के लिये लोग जान पर खेल जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---एप्रीसियेशन को शायद उर्दू में दाद देना कहते हैं ?

श्री सीताराम शुक्ल---शुक्रिया है आपका, आपने उसको साफ कर दिया । मैं इस बजट के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं और बजट बनाने वालों को भी बधाई देता हूं । लेकिन इस बजट से मुझे एक शिकायत है । वह यह कि उधर से स्पीचेज होती हैं कि बजट बहुत अच्छा है और इधर से स्पीचेज होती हैं कि बजट बहुत खराब है । वाकया यह है कि इसमें बड़ी मेहनत की गयी है । लेकिन इसमें इस बात पर गौर नहीं किया गया कि हड़तालें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो रोज होती हैं उनको कैसे रोका जाय। तनख्वाह बढ़ा देने से हड़तालें नहीं रुकेंगी। तनख्वाह बढ़ाते जाइये और हड़तालें भी बढ़ती जायंगी—

न जातुकामः कामानां उपभोग्येनशाम्यतिः !

कहते हैं कि काम की काम से तृप्ति नहीं होती। हवन में जितनी आहुति डालिये उतनी आग अधिक जोर से प्रज्वलित होती जाती है। इससे काम नहीं चलेगा। दलीलें देनी होंगी, रीजन्स देने होंगे और बतलाना होगा। हमारे एक माननीय दोस्त जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने के सि सिले में यह फरमा दिया कि मजदूरी न बढ़ने से बहुत से लोग ईसाई होते जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि कितने ऐसे गरीब हैं जो अपनी रोटी के लिये मजहब छोड़ कर चले गये ? सभी इस बात को जानते हैं बहुत से हिन्दू जो अपना मजहब बदल देते तो पाकिस्तान में बने रहते, और उसी तरह से बहुत से मुसलमान भी चाहते तो अपना मजहब बदल कर यहां रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने मजहब के लिये वे अपने स्थान को छोड़ कर चले गये। इसलिये मेरी गुजारिश है कि कोई भी आदमी रोटी के लिये या पैसे के लिये अपने मजहब को नहीं बदल सकता है, चाहे उसे भूखों मरना ही क्यों न पड़े। ईसाई को हक है अपने प्रचार करने का, प्रोपैगेन्डा करने का, उसी तरह से हिन्दू और मुसलमानों को भी अपने मजहब का प्रचार करने का हक है, लेकिन यहां तो मुख्य बात यह है कि मजदूरों की गरीबी दूर होनी चाहिये। इस बात को कहते समय लोग भूल जाते हैं कि जब मुसलमान सेपरेट एलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे तो इसाइयों ने जाईंट एलेक्टोरेट की मांग की थी। ईसाइयों ने हमेशा सेपरेट एलेक्टोरेट को अपोज किया। इस बात को भूल नहीं जाना चाहिये।

मैं अर्ज करूं कि यहां स्पीच तो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये दी जाती है, लेकिन मान लीजिये कि कल को आप यहां बैठ गये तो फिर कहां से पैसे लाकर उनकी तनख्वाह देंगे ? इस प्वाइंट आफ व्यू से यहां स्पीच देने की जरूरत नहीं है कि उससे आपको वोट मिले। मैं इस सूबे के दो बड़े आदमियों को जानता हूं जो कि लोगों के ट्रांसफर, नौकरी दिलाने तथा लाइसेंस दिलाने में उनसे रुपया लिया करते थे। उनमें से एक को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जाने के लिये ७ वोट भी नहीं मिले। इसी तरह से दूसरे सज्जन भी पिट गये। तो अब लोगों को घूस दे कर वोट नहीं मिल सकता है। अब तो उपदेश देकर ही वोट हासिल किया जा सकता है। वोट लेने के लिये तनख्वाह बढ़ाने की बात कहना गलत है क्योंकि नामुमकिन है तनख्वाह बढ़ाना। श्रीमन्, इस वक्त स्टेट बैंक में जो हड़ताल चल रही है उसमें ५०० रु० तनख्वाह पाने वाले भी हड़ताल कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी तनख्वाह कम है। अगर उनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो फिर थानेदार की तनख्वाह क्यों न बढ़े जो बन्दूक लेकर डाकुओं के मुकाबले के लिये घूमता रहता है ? सिपाहियों की तनख्वाह क्यों न बढ़ायी जाय, क्लर्कों की तनख्वाह क्यों न बढ़ायी जाय ? खेतहर मजदूर जो ४ आने रोज, ८ आने रोज या एक रुपया रोज पर काम करते हैं उनकी मजदूरी क्यों न बढ़ायी जाय ? अगर आप किसी की तनख्वाह बढ़ा भी दें तो वे दे कैसे सकेंगे ? आपके पास पैसा नहीं होगा तो कहां से लावेंगे ? यह सही है कि मजदूरी कम है, लोग गरीब हैं और उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिये। लेकिन यह भी सोच लें कि जब ड्राइवरों ने कहा कि हमारी तनख्वाह कम है इसलिये वह बढ़ायी जाय तो बड़े आदमियों ने अपने हाथ से ही मोटर चलाना शुरू कर दिया और बाद में अपने लड़कों को भी सिखला दिया तथा ड्राइवरों को जवाब दे दिया। आज मिडिल क्लास की औरतों ने अपने हाथ से ही बर्तन मांजना शुरू कर दिया है क्योंकि जिसके पास जितना पैसा होगा उसी के अनुसार तो वह खर्च करेगा। जब पैसा न होगा तो कहीं से चोरी करके लाकर तो देगा नहीं। मालिक को जब मुनाफा होगा तो जरूर उसमें से मजदूरों को भी दिया जायगा, लेकिन जब मुनाफा नहीं होगा तो कहां से दिया जा सकता है ? अगर सब की तनख्वाह बढ़ानी ही है तो

[श्री सीताराम शुक्ल]

बजट से इस आइटम को निकाल दीजिये और फिर जिस तरह से चाहिये उसे खर्च कीजिये। आखिर रुपया कहां से आयेगा, कहां से कर्जा लिया जाय ?

अगर मैं मजदूरों का केस यहां पुट अप करूं तो मेरा दावा है कि आधे से अधिक सदस्य रोने लगेंगे। इसी तरह से अगर गरीब किसानों का केस मैं यहां पुट-अप करूं कि किस बुरी हालत में वे अपनी गुजर कर रहे हैं तो आधे सदस्य रोने लगेंगे। क्योंकि मैं तो किसानों में रहा हूं और उनकी हालत को अच्छी तरह से जानता हूं कि उनको क्या-क्या दिक्कतें हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा बीमार होता है और बाप की आंखों के सामने पैसे की कमी से इन्जेक्शन न लगाने से वह मर जाता है। उसी तरह से सरकार चाहती है कि गरीब मजदूर तथा किसानों की सहायता करे जिससे वे आराम से रह सकें। कौन ऐसा होगा जो न चाहेगा कि गरीब मजदूर किसान आराम से न रहें। इसलिये मेरी गुजारिश है कि गलत तरीके से केस को सामने न रखा जाय। मेरा दावा है कि जो यह पार्टी हुकूमत चल रही है इस से अच्छी कभी नहीं बन सकती, लेकिन मैंने एक किताब लिखी है, उसमें एक स्कीम है उस से भी एक अच्छी पार्टी बन सकती है और वह हुकूमत चला सकती है बशर्ते कि वह पब्लिक की हुकूमत हो . . .

श्री उपाध्यक्ष—शुक्ल जी ने मुझे भी एक किताब प्रेजेन्ट की है।

श्री सीताराम शुक्ल—कोई मजनून हो, मेरे भाई कम्युनिज्म ले आने की बात करते हैं। अफसोस की बात है कि हमारा किसान पढ़ा-लिखा नहीं है, वह सोशलिज्म लाना इसलिये नहीं चाहता कि बहुत से कर लगेंगे, वह जानता है कि यह सोशलिज्म वाले उस के मुंह में डंडे डालकर उस की खबर लेंगे। मीटिंग नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। स्वतन्त्रता भी खत्म हो जायगी। वह कहते हैं कि विषमता नहीं होनी चाहिये, वाकई में विषमता खटकती है अगर ज्यादा है, लेकिन समझना यह है कि विषमता तो रहेगी। उसी से दुनिया बनी है, विषमता ही मिट जाय तो संसार का नाश हो जाय। कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं नीचा है, कहीं उंचा है, कहीं गर्मी है, कहीं बरफ है। अगर सब को बराबर करेंगे तो संसार खत्म हो जायगा। विषमता तो होगी, लेकिन जहां जरूरत है वहां होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि:—

"विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि।
शुनि चैवश्वपाके च पंडितः समदर्शिनः।।"

जो जिस काम के लिये फिट होगा उस को उसमें लगाया जायगा, जिसको चिट्ठी लिखने की तमीज नहीं उस को जज नहीं बनाया जा सकता। लोग कहते हैं कि १०० की और १,००० की विषमता हो, ज्यादा से ज्यादा हजार हो और कम से कम सौ हो। अगर हम आप की बात ही मान लें तो क्या सौ और हजार पर लाकर विषमता मिट जायगी ? जरा-सा भी फर्क होगा तो विषमता मालूम होगी। किसी को एक कुरसी पर बिठा दीजिये और किसी को बेंच पर बिठा दीजिये चाहे वह दोनों बराबर ऊंचाई की ही क्यों न हों कुरसी और बेंच में फर्क तो होगा ही, बेंच वाला बुरा मालूम होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रियों के वेतन में कोई अन्तर नहीं है, उन के बंगले और भत्ते में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन हर मंत्री मुख्य मंत्री बनना चाहता है और जायज तरीके से ही नहीं बल्कि नाजायज तरीके से भी। क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या शिकायतें नहीं होतीं ? भंडारनायक का कत्ल किया गया और लंका में इसी पर मुकदमा चल रहा है। मैं अर्ज करता हूं कि यह फर्क नहीं मिट सकता, वह रहेगा। जो ज्यादा फिट है, तेज है उस को हम रखेंगे लेकिन चिट्ठी लिखने की तमीज नहीं और यहां आकर कोई बैठ जाय, इसको कोई बरदाश्त नहीं करेगा। जो योग्य है, वह यहां बैठे ? इस में कोई पक्षपात नहीं, वह इन्साफ है। जो योग्य नहीं है वह न बैठे, उन दोनों का बराबरी का दर्जा नहीं हुआ, लेकिन वह फर्क नहीं है।

हमारे दोस्त जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बातें कहते हैं, श्री ख्रुश्चेव साहब अमरीका गये और वहां वह जाकर अमरीकन्स को प्रमाणपत्र दे आये कि रूस से अमरीका का रहन सहन अच्छा है, जो खाना कपड़ा और रहन-सहन वहां के लोगों का है वह रूस का नहीं है। मैं मार्क्स की किताबें पढ़ने वाले भाइयों से अर्ज करूंगा कि वह भागवत के इस श्लोक को समझें, जिसमें लिखा है कि:--

"यावत भ्रियते जठरम तावतं स्वत्वंति देभिनाम
अधिकम योभिमन्मेत संस्तेनो दन्ड भरससि ।।"

मतलब यह है कि जितने में पेट भरे उतना ही लेने का अधिकार मनुष्य को है। यदि वह उससे ज्यादा लेता है तो वह चोर है, उसको सजा देना चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि यह चीज प्रैक्टिस में कैसे आये? मतलब यह है कि जहां के लिये जो चीज फिट है वह होनी चाहिये। किसी के पास पैसा आना बुरी बात नहीं है। जो पैसा लेकर पब्लिक के काम में लगा देता है वह खजाने का मालिक है, लेकिन परोपकार के लिये है। 'विद्या विवादाय धनम् मदाय, शक्तिःपरेषां परपीडनाय। खलस्यसाधोः विपरीत मेतत ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय।' अगर कोई बुरा आदमी विद्वान् हो गया तो शास्त्रार्थ करके दूसरों को हराना चाहता है।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरों के ऊपर बातचीत सुन रहा हूं। बड़ी देर हो गई, लेकिन यह नहीं मालूम पड़ता कि मजदूर किसे कहते हैं? जिसे तनख्वाह मिलती है उसे ही कहते हैं, महीने के महीने, १५ दिन बाद या रोज की रोज जिसे तनख्वाह मिले, वही मजदूर है या हम सब मजदूर हैं जो २०० रुपया और फर्स्ट क्लास का किराया और थर्ड में बैठना यह तो बायें हाथ का खेल हो गया है। सब लटके चले जायेंगे।

श्रीमन्, चाहे अमरीका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंगलैन्ड हो, हर जगह आपको शासन मजदूर का ही मिलेगा। वही यहां पर है। यहां देखो चाहे दिल्ली में देखो। या तो वकील का लड़का होगा, बैरिस्टर का होगा, डाक्टर का होगा या जज का होगा। बड़ा मगर होगा तो छोटे मगरों को जरूर खाता रहेगा। वकीलों के लड़के होते हैं, वह मजदूरों से खाते हैं किसानों से खाते हैं, सेठों से खाते हैं, हर तबके से खाते हैं। जब तक किसान और मजदूर बराबर का यहां नहीं आयेगा तब तक मजदूर और किसान का भला नहीं हो सकता।

कहते हैं समाजवाद। समाजवाद कहां है? आकाश तो ऊपर को चला जा रहा है और पाताल नीचे को धंसा जा रहा है---यह है इनका समाजवाद। एक आदमी मोटर में घूम रहा है, दूसरा भूखा मर रहा है। एक को ८ आना रोज मिलता है और दूसरा मुतंजन, कबाब और टोस्ट खाता है।

साढ़े ७ सात सौ आदमी जिले में आजादी की लड़ाई लड़े और वह भूखे मरते हों उनका कोई नाम नहीं लेता है।

स्वतंत्रता संग्राम में आगे हम, हमसे पीछे बहुत रही तू,
चक्की पीसी डंडे खाये आगे मरने को न गई तू।
देशभक्त सच्चे वीरों के घर मिलने को न गई तू,
को तेरा और तू किनकी, जिनकी हाती ही तिनकी न भई तू।
माता नपूती हो गई, बहन बिना भैया के रह गई, स्त्रियों का सुहाग चला गया।

तिनके दरवाजे पर मौखादि करे नहीं गये, तुम गरीबों का भला करोगे।

कहते हो समाजवाद हमसे सीख करके और जनता को पढ़ाने लगे धोखे की पट्टी है।

[श्री टीकाराम पुजारी]

बिना मौत मार डाले टैक्स लगा करके जनता का खून जले कांच की सी भेंट भट्टी है।
देश के दुलारे जो सपूत सच्चे भारत के, जिनकी कर दीनी जो पलीते आगे मिट्टी है।
कहत पुजारी कांग्रेस का समाजवाद, जान गयी जनता सब धोखे की टट्टी है।"

ऐसे समाजवाद में गरीब का भला होगा ? यह वकीलों, बैरिस्टरों और बड़े आदमियों की सरकार है। इसमें गरीबों का भला नहीं होगा। खेतिहर मजदूर मार डाले गये, कई लाख मार डाले गये। पहले किसान का और मजदूर का चोली दामन का साथ था, सब साथ रहते थे और उसकी गुजर के लिये अपनी सामर्थ्य भर किसान खेतिहर मजदूर को जमीन दे दिया करता था। लेकिन अब कोई जमीन नहीं देता क्योंकि सरकार का कानून ऐसा है कि जिसने जमीन पर हल चलाया वह उसी की हो जायगी। तो इस सरकार ने तो हमारी पुरानी सहकारिता को खत्म कर दिया, इसलिये आज की सहकारिता में एक भी खेतिहर मजदूर जिन्दा नहीं रहेगा।

"आजादी लैला पर आशिक हो कर जान दई अपनी है,
चकोर चन्द्रमा पर फिदा हुआ था अब तक एक मिसाल बनी है,
पतंगा आशिक हुआ दीपक पर, सही मुसीबत बहुत घनी है,
आशिक से माशूक बड़ा है देख रहा सब की करनी है,
मैं आशिक माशूक हमारी यह कांग्रेस सरकार बनी है,
आशिक को खुदा यर्दजानी पर्द जमीं कर दे,
आशिक का कहना है माशूक कहा कर दे।"

अब तो मेरा कहा कर दो, गरीबों का भला करो। नौ पूंजीपतियों के पास तो ५५ फीसदी और ४५ फीसदी में ३६ करोड़ जनता, तो इस तरह से समाजवाद नहीं आ सकता। इस तरह से खेतिहर मजदूरों का ही भला हो सकता है। जब तक हम सबल नहीं होंगे, सरकार सबल नहीं होगी तब तक सरकार न किसानों का भला कर सकती है और न मजदूरों का ही भला कर सकती है और इसका परिणाम सन् ६२ में समझ लेना क्या होगा। अब समय आ गया है।

श्री मदन पांडेय---उपाध्यक्ष महोदय, लगभग डेढ़ दर्जन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है और उसमें करीब-करीब सभी ने, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, शब्दशः अथवा भावना से उसका समर्थन किया है। एक फर्क जरूर रहा है, इधर से उठने वाले माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुमोदन करने का शब्द कहते हुये अपने भाषण का अन्त किया और उधर के लोगों ने अनुदान का समर्थन करते हुये अपने भाषण को प्रारम्भ किया। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने इस दौरान में अपने विचारों को व्यक्त किया ह मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं।

इसमें दो एक बातों की तरफ जरूर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनके लिये जवाब देना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। माननीय नवल किशोर जी ने जिन बातों का जिक्र किया उनके सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री जी स्वयं जवाब दे देंगे। लेकिन एक चीज के सम्बन्ध में संभवतः उनको गलतफहमी हो गई है कि एक उद्योग में एक यूनियन हो यह निर्णय उन्होंने इस सरकार का समझ लिया है और विरोधी दल की तरफ से जो इस सम्बन्ध में जिक्र किया गया उसको शायद उन्होंने यह समझा कि हम लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय नवल किशोर जी को यह विदित कराना चाहता हू कि यह मांग सदा से अपोजीशन की तरफ से रही है कि एक व्यवसाय में एक ही यूनियन होनी चाहिये। इस मांग का समर्थन यद्यपि सभी करीब-करीब करते रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस चीज को भंग किया हमारी मौजूदा सरकार ने। मुझे यह बताते हुये थोड़ा दर्द व दुख होता है कि आई०एन०टी०यू०सी०, जिसका जिक्र इस सदन में बार-बार आया है, उसकी नींव चीनी मिल मजदूरों में या और जो बड़े उद्योग हैं उनमें डालने का श्रेय हमारी मौजूदा श्रम मंत्री महोदय को ही है। सन् ४८ में खड्डा में एक

प्रान्तीय चीनी मजदूरों का सम्मेलन करके उसका उद्घाटन माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने ही किया था और इस तरह से एक व्यवसाय में दो यूनियनों की स्थापना की जो सबसे पहले शुरूआत हुई वह ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से हुई। इसलिये इस गलतफहमी को माननीय नवल-किशोर जी दूर कर लें।

आंकड़ों के सम्बन्ध में हमारे एक भाई ने श्री रामेश्वर का जवाब बड़े सुन्दर शब्दों में दिया। हम जब किसी से तुलना करने बैठते हैं तो हमें जो पुस्तिका दी हुई है, उसमें तुलनात्मक आंकड़े दिये हुए हैं कि और प्रदेश के मुकाबले में हमने यह प्रगति की है तो हम जो उसमें सबसे अच्छे आंकड़े हैं उन्हीं से तुलना करेंगे, भले ही इस सरकार को शोभा दे या जिस दल के सदस्य हैं माननीय रामेश्वर जी उन्हें यह शोभा दे कि अफ्रीका के जो अधिक पिछड़े हुये देश हैं उनसे तुलना करके अपने को गौरवशाली समझ लें, लेकिन हम विरोधी दलों के लोग जब तुलना करने बैठेंगे तो प्रगतिशील देशों के साथ ही तुलना करेंगे और उसी कसौटी पर हमने आंकड़े पेश किये हैं और जो इल्जाम सरकार पर लगाये हैं वे अपनी जगह पर सही हैं और जवाब देते वक्त माननीय श्रम मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे।

अब मैं कुछ और जरूरी प्वाइंट जिनका जिक्र कर रहा था उनको सदन के सामने रखते हुये अपने कटौती के प्रस्ताव का प्रेस करूंगा। मैंने बोनस का जिक्र किया था, लेकिन इस प्वाइंट पर माननीय उग्रसेन जी ने बड़ी योग्तापूर्वक उद्योग मंत्री के सामने कुछ फैक्टस रखे थे। मैं बताना चाहता हूं कि केवल लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ही नहीं, बल्कि ४७-४८ में प्रोडक्शन बेसिस पर बोनस बांटा जा चुका था चीनी उद्योग में। स। ४९ की प्रगति पुस्तिका उद्योग विभाग से जो बांटी गई थी उसको उलटते समय मैंने देखा कि उसमें जो १० लाख मन तक का गन्ना पेरने वाली मिलें हैं वे ४ आने मन के हिसाब से चीनी उत्पादन का बोनस दें और शायद यही रिवाज निम्बकर साहब ने भी प्रतिपादित किया था और लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी सन् ५१ में फैसला करते वक्त उसी चीज को अपहोल्ड किया था और यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि उत्पादन के आधार पर ही बोनस निश्चित होना चाहिये। आज एक कमेटी बनाकर समझौते के नाम पर जो मजदूरों का गला काटा जाता है यह अन्याय की बात है, इसका हर आदमी ने विरोध किया है। उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री जी को मैं वाजह करन चाहता हूं कि इस गलती को स्वीकार करें और जो प्रोडक्शन बेसिस पर लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला है उसी के हिसाब से बोनस दिलाने की कृपा करें।

तीसरी बात रिटेनर के सम्बन्ध में कहनी है। बार-बार इस चीज का जिक्र किया जाता है, मगर उत्तर यह दिया जाता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक के लिये शेल्व कर दिया गया है। लेकिन बिहार में इस बीच में भी जिस प्रकार रिटेनर देने की व्यवस्था की गई है अगर उस लाइन पर यहां देने के लिये तैयार नहीं हैं तो एक श्रमिक सम्मेलन बुला कर रिटेनर की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि क्या हमारे श्रम मंत्रालय को और माननीय श्रम मंत्री को कोई जिद्द हो गई है कि जो श्रमिक संगठन बार-बार पछाड़े जा चुके हैं उन्हीं के प्रतिनिधियों को सरकारी कमेटियों में स्थान दिलाया जाय? मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो केन्द्रीय चीनी श्रमिक बोर्ड बना है उसमें भी चीनी उद्योग के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिये श्री काशी नाथ पांडेय को नियुक्त किया गया है। यह वही हैं जो सन् ५० में जब मतगणना हुई थी तो ५० हजार वोट से हराये गये थे। चीनी मिल मजदूरों ने एक स्वर से फैसला किया था कि वह हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं।

एक सदस्य—श्री शिब्बनलाल भी तो कई बार हराये गये।

श्री मदन पांडेय—ठीक है, लेकिन जहां वह हराये गये हैं वहां वह नहीं बैठते हैं और इसीलिये इन्साफ़ की मांग है कि जहां काशीनाथ पांडेय हराये गये हैं, आई० एन० टी० यू० सी० हरायी गयी है वहां उसके प्रतिनिधि को नहीं भेजना चाहिये।

[श्री मदन पाँडेय]

अब मैं ऐडजुडिकेशन की तरफ़ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे गवर्नर गिरि साहब, जो कम्पलसरी ऐडजुडिकेशन के ऐडवोकेट हैं, उन्होंने बार-बार इस तरफ ध्यान दिलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप के जो आंकड़े इस रेफ़रेन्स के सम्बन्ध में हैं उसी की बेसिस पर आपने जो विवरण पुस्तिका दी है उसमें सन् १९५९ में ५,८२९ विवाद मजदूरों के सम्बन्ध में थे जिनमें से ४,६३७ कंसीलियेशन बोर्ड को भेजे गये। इनमें से ६८८ में समझौता हुआ और ५२९ लेबर कोर्ट में भेजे गये और फैसला केवल ४८२ का हुआ। अब ५,८२९ में जो विवादों की संख्या थी उसमें से ५२९ लेबर कोर्ट्स में भेजे गये और ४८२ का फैसला हुआ। इसको देखें कि क्या परसेंटेज पड़ता है। ८५ फीसदी मुकदमे वैसे ही खारिज कर दिये जाते हैं और मामूली मुकदमे ही रिफर किये जाते हैं। इसलिये सरकार ने जो कम्पलसरी ऐडजूडिकेशन को ताक पर रख कर मजदूरों का गला घोटने का प्रयास किया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको समाप्त किया जाना चाहिये। आई० एन० टी० यू० सी० के आंकड़े तो उनके पास होंगे और वह बतायेंगे, लेकिन जो विरोधी दल के यूनियन हैं उनकी आम मजदूरों की शिकायतें हैं। इसलिये इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

अब आप के जो एवार्ड्स हुये हैं उनको देखिये। ९२ एवार्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग है। एक में मालिक ने अपील की है। तीन निर्णयों के बारे में मतभेद हो गया ह, इसलिये रुके हुये हैं। १६ में मालिक का इम्प्लीमेंट करने का रुख ही नहीं है और यह हमारी सरकार तमाशा देख रही है। ११ के बारे में यह है कि यह इम्प्लीमेंट हुये या नहीं इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को नहीं मिला है। एक में जिसके ऊपर एवार्ड हुआ उसके पास फण्ड्स की कमी है, इसलिये लागू नहीं हो सका है। तीन के बारे में यह है कि वे कंसर्न ही बन्द हो गये हैं और ५५ जांच के अधीन हैं कि वह लागू किये जायं या न किये जायं। अगर यही प्रगति है तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह समाजवाद की तरफ मुल्क को नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि मजदूरों का तथा देश का गला घोंटने जा रहे हैं।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि डिफाल्टर्स कौन-कौन हैं। माहेश्वरी जूट मिल्स कानपुर है। इसके मालिक लखपती हैं। इसमें ७ एवार्ड्स १५ महीने से पड़े हुये हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। म्योर मिल, कानपुर है। इसमें इंश्योरेंस का मनी है, प्रावीडेंट फण्ड का मनी है और अर्न्ड वेजेज का ५ लाख रुपया है और इसमें प्ले आफ कम्पेंसेशन पिछले दो साल का है। कुर्की वगैरह यह सब गरीबों व मजदूरों के लिये ही है, लेकिन लखपतियों के लिये कुछ भी नहीं है। इसी तरह से एथर्टन वेस्ट मिल में १५ लाख रुपया प्ले आफ कम्पेंसेशन का बाकी है। यद्यपि अथोराइज्ड कंट्रोलर मिल चला रहा है, लेकिन फिर भी वह वापस नहीं दिलाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप की यह श्रम नीति है...

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

[श्री मदन पांडेय—मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करके उदारता का परिचय देंगे।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अनुग्रहीत हूं कि इस बार, पहली बार श्रम विभाग के बजट पर सदन ने पूरा दिन देने की कृपा की है। बड़े सवाल इस सदन में उठाये गये हैं और इसलिये यदि मैं सब सवालों का जवाब न दे सकूं तो समय ही उसका कारण होगा। यह मैं नहीं मानूंगा कि उनके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिये समय की सीमा के अन्दर जितना मैं कर सकता हूं उतना करूंगा।

मान्यवर, आज की बहस दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक तो वह उसूलों की बुनियाद जो माननीय राजनारायण जी ने उठाई। और दूसरी वह जो वाकयात के सिलसिले में

दूसरे साहबान ने पेश की। जहां तक राजनारायण जी का इस उसूल का सिलसिला था, सवाल उन्होंने उठाये और वह काफी तेजी में बोल रहे थे। मैंने उनको नोट डाउन करने की कोशिश की। उनके सम्बन्ध में दो चार बातें कहना चाहता हूं। कांग्रेस की नीति क्या है और हमारी श्रम नीति क्या है? इस बुनियादी सवाल को उन्होंने पूछा और पेश किया। मान्यवर, मैं उनको करांची कांग्रेस के प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हूं जब शायद राजनारायण जी और हम कितने दिन पहले पैदा हुये होंगे। मैं राजनारायण जी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वह घुटने चलते रहे होंगे। कांग्रेस ने एक उसूल तय किया था जो मौलिक प्रस्ताव की शक्ल में आया था करांची में, जिसमें एसोसिएशन की स्वाधीनता, ट्रेड यूनियन की स्वाधीनता, काम करने न करने की स्वाधीनता और फ्रीडम टू बारगेन और उनके साथ-साथ उनके झगड़े में पंच फैसले का एक सिलसिला था। यह साफ तौर से करांची के प्रस्ताव में स्वीकार किया हुआ सिद्धांत है। कोई नया सिद्धांत नहीं है। जो आवश्यकता उस समय देश में पैदा हुई उससे पैदा होने वाला यह सिद्धांत है। इसलिए कांग्रेस जैसी पुरानी संस्था से यह बार-बार प्रश्न करना आवश्यक नहीं है। यह बात जरूर है कि हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं या नहीं, यह मैं जब वाकयात की दुनिया में आऊंगा तो बताऊंगा कि जो अवस्था है उसमें हम कहां तक इस दशा में अग्रसर हुए हैं। मेरा यह कतई दावा नहीं है कि मजदूरों का वह स्वर्ग हम इस देश में ले आये हैं जिस को पाने की मजदूरों के और हमारे हृदय में कामना है। मेरा यह भी दावा नहीं है कि हमने गरीबी को इस प्रदेश से मिटा दिया है और हम प्रदेश को समाजवाद की उस सीढ़ी पर ले आये हैं जिस पर चढ़ कर हमें समाजवाद का पूरा दृश्य मिल जाता है। लेकिन अगर हम उस दिशा में आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें अपने कामों को आशा की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से देखना चाहिये और अगर हम पीछे गये हैं तो स्पष्ट है कि हम अपने सिद्धान्तों से भटक कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसलिये जहां तक बुनियादी सवालों का ताल्लुक है वह अपनी जगह पर मौजूद हैं।

एक चीज जरूर राजनारायण जी ने उठायी कि क्या मजदूर को हड़ताल करने का अधिकार है? हमारे विधान निर्माताओं ने विधान में यह कह दिया है कि राइट टु वर्क फंडामेंटल राइट है। हमारे न्यायालयों ने इसका जो इंटरप्रिटेशन किया है वह यह किया है कि राइट टु वर्क प्रिसपोजेज, राइट नाट टु वर्क; हमारे नेता जवाहरलाल जी ने हाल में कई बार इस बात को कहा है। उन्हीं के शब्दों को मैं रखना चाहता हूं। डाक्टर बलजीत सिंह ने एक लेख लिखा है, "Changing Philosophy of Industrial Relation,' उसमें उन्होंने उनके विचारों का इस तरह उद्धरण दिया है—

"Referring to the traditional conflicts between labour and capital in industry and to strikes and lock-outs as measures of resolving them, he pointed out that though he did not want to come in the way of labour's right to strike or other collective action, he thought the world had arrived at a stage when such methods could no longer be useful. 'I do not myself see" admitted Pandit Nehru, "any way except the association of workers'. etc. etc."

स्पष्ट है कि हड़ताल का जो बुनियादी अधिकार मजदूर का है, उससे इन्कार करने का न हमारा इरादा रहा है और न है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उस अधिकार के इस्तेमाल से देश और प्रदेश को जब खतरा होना शुरू होता है और वह अधिकार लाइसेंस बनने की तरफ जाता है, तो उसको रोकने का हमारा पक्का इरादा है और रहेगा, जब तक इस प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जिस दिन दूसरों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयेगी, और जब इस हद तक स्वतंत्रता हो जायगी कि अधिकार और कर्त्तव्य का कोई समन्वय नहीं रह जायगा, तो जैसा वह करना चाहेंगे करेंगे। लेकिन जिस दिन तक यह सरकार है उस दिन तक हम एक बात से बंधे हुये हैं—हड़ताल का अधिकार उनको है, लेकिन जिस दिन और जहां हड़ताल लाइसेंस बनने लगेगी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

वहां उसका मुकाबला किया जायगा और महज़ इसलिए उनके साथ मुरव्वत नहीं की जायगी कि उसको गरीबों ने किया है, दबे हुये लोगों ने किया है। उस समय यह नारा अशोभनीय हो जायगा क्योंकि हड़ताल दोहरी छूरी की तरह काम करती है। उन्हीं के अधिकारों को जब हड़ताल खत्म करती है तो उस हड़ताल को खत्म करना गरीबों की मदद करना हो जाता है।

एक भाई ने, यशपाल सिंह जी ने, एक बात और उठायी। उन्होंने कहा कि जब मजदूर परेशान होता है तो हत्या कर बैठता है। उन्होंने एक खतरे की तरफ इशारा किया। उन्होंने चाहे जिस भावना से इसको कहा हो, लेकिन जो सरकार पर इसका असर हुआ वह मैं बताना चाहता हूं कि हम इस तरह के मजदूरों की हरकतों को कोई क्वार्टर देने वाले नहीं हैं।

It shall have no quarter in this State. इस तरह से मजदूरों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की कोई भी बात होगी तो उसका मुकाबला हम करेंगे, उस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हिंसात्मक भावना की प्रवृत्ति को कोई भी माननीय सदस्य बढ़ावा देना न चाहेगा क्योंकि न तो वह प्रदेश के हित में है न औद्योगीकरण के हित में है, न उन लोगों के हित में है जिनके हित की बात सोची जाती है।

एक बात और कही गई कि मजदूरों की शांतिपूर्ण पिकेटिंग को क्या आप मजूर करते हैं या नहीं? मैं मान्यवर, कोट नहीं करना चाहता फिगर, नाम नहीं बताना चाहता सस्थाओं के, लेकिन जहां पर हड़ताल नियोजित रही है, कायदे के अन्दर रही है, नियमानुकूल रही है, अवैधानिक नहीं हुई है, औचित्यपूर्ण रही है, वहां पर जब कभी पिकेटिंग हुई तो हमारे पास इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं कि हमने उसमें दखलन्दाजी नहीं की। लेकिन पिकेटिंग जहां पर संघर्ष का वातावरण पैदा कर देवे, जहां वह जोर-जबर पर आ जावे, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की पिकेटिंग न चल सकती है और न कभी चल सकेगी, हम ऐसी चीज़ को कभी चलने नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि इससे यह चीज स्पष्ट हो गई कि एक दिशा तक तो हम और राजनारायण जी चलते हैं साथ-साथ लेकिन उस दिशा के बाद जहां से माननीय राजनारायण जी लाइसेंस को भी अधिकार मानने लगते हैं, वहां से हमारा और माननीय राजनारायण जी का रास्ता अलग-अलग हो जाता है।

एक बात उन्होंने और कही कि अस्थायी और स्थायी मजदूरों का भेद भाव मिटाने के लिये जरूरी है कि सब मजदूरों को एक ही काम का, एक ही काम करने के लिये एक ही कारखाने में एक ही वेतन मिले। मैं समझता हूं कि बहुत मुनासिब बात है, इस सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन मैं इतना ही इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक अस्थायी काम करने वाला मजदूर हैं कहीं कहीं उसकी यह हालत है जैसे बिजली में ही ले लीजिए, अस्थायी लाइन में जो कि एक महीने या दो महीने के लिये मजदूर होता है उसकी तनख्वाह होती है साढ़े सात रुपये रोज जब कि जो स्थायी होता है उसकी तनख्वाह होती है ८० रुपये से लेकर ११० रुपये तक। अब यहां बराबर वेतन की बात कहें तो उसको जो ज्यादा मिलता है उसमें और कुछ घपला हो सकता है। हां, यह अगर कहा जाय कि किसी उद्योग में मिनिमम वेजेज से कम किसी को न मिले तो एक मुनासिब बात होगी और इस किस्म की जहां कहीं बात हमारे सामने आयेगी उस को देखने की हम कोशिश करेंगे।

शुगर इंडस्ट्री की और कांटैक्ट लेबर की बात बहुत कही गयी। शुगर इंडस्ट्री की बाबत हम खुद चिन्तित थे, हमें खुद चिन्ता थी कि इस समस्या से कई परेशानियां उठ रही हैं। इसलिये हमने त्रिदलीय सम्मेलन के सामने इस मामले को प्रस्तुत किया। उस त्रिदलीय सम्मेलन में एच० एम० एस० के प्रतिनिधि भी थे, आई० एन० टी० यू० सी० के भी प्रतिनिधि थे, सरकार के भी थे, और मिल मालिक भी थे। उन्होंने अपनी एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने यह मामला भेज दिया है। उनका विचार और उनकी सिफारिश जब आ जायगी तो उस मसले को हम हल करने में, और अच्छी तरह से हल करने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

एक सदस्य--वह कब तक हो जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मेरी दिक्कत सिर्फ यही है कि मैंने जो सबक सीखा था वह यह कि ठंडा पके तो मीठा हो। कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि उनके मुंह से निकले और सृष्टि की रचना हो जाय। तो ब्रह्मा भी यह नहीं कर पाये। होते-होते आज यह सृष्टि इस रूप में बना पाये। इसलिये मेरे पास वह चीज नहीं है कि जिससे सैकड़ों वर्षों की खराबियों को दो चार दिन में मैं ठीक कर दूं। यह मामला साल, सवा साल हुआ उनके पास गया है। फिर अभी उस कमेटी ने अपनी सिफारिश भी नहीं दी। जब वह कमेटी अपना फैसला देगी तब हम उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे जहां तक सम्भव होगा। एक बात और मान्यवर, कह दूं .....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--एक सेकेण्ड में यह जानना चाहता था कि यह सीजन तो खत्म हो जायगा .....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, एक सीजन खत्म होगा, दूसरा आयेगा, यह तो बराबर चलता रहेगा। सीजन पर सीजन आयेगा, घबड़ाने की कोई बात नहीं है।

एक बात मान्यवर, और उठाई गई, और वह आमतौर से उधर के माननीय सदस्यों ने कही, उसका भी मैं आम जवाब दे देना चाहता हूं। बात कुछ ऐसी कही गयी कि सरकार की नीति में आई० एन० टी० यू० सी० के लिये कुछ विशेष मुहब्बत है और मुहब्बत ही नहीं है, वह मुहब्बत दुश्मनी बन गई है शेष संस्थाओं से, उस मुहब्बत की वजह से शेष संस्थाओं के साथ दुश्मनी पैदा हो गई है। जाहिर बात है कि जिस दिन उधर के लोग इधर सरकार में आयेंगे तो वह अपनी मजदूर संस्थाओं को खत्म करके आने वाले नहीं हैं क्योंकि राजनारायण जी ने तो कह दिया कि उनकी थ्योरी दूर तक जाती है। उनका पोलिटिकल ऐक्शन खत्म नहीं होगा। जो काम वह करते हैं वह उनका काम जारी रहेगा। तो जाहिर बात है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उनकी जो मजदूर संस्थायें हैं वह खत्म नहीं होंगी। इसलिए उन मजदूर संस्थाओं के साथ उनका प्रेम रहेगा। यह ठीक है कि वे संस्थाएं उनके विचार की होंगी। इस लिये मैं कहूंगा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है, मदन पांडेय जी का सम्बन्ध है, इन लोगों ने जिस किसी संस्था के साथ गठबन्धन कर रखा है वह चलता रहेगा। तो उन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये।

हम लोग जो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं वह सब इस बात को मानते हैं कि यह पुरानी सस्था है और जब से इसकी नींव पड़ी है वह कुछ उचित रूप में है। देश के बड़े-बड़े लीडर, आचार्य कृपलानी और दूसरे दलों के विभिन्न नेताओं ने देश की परिस्थिति को देखते हुये बाध्य होकर इस नेशनलिस्ट ट्रेड यूनियन की अपने देश में स्थापना की और जिस उद्देश्य को लेकर यह संस्था बनाई गई है उस उद्देश्य के कारण इस संस्था से थोड़ा स्नेह है क्योंकि यह उन उद्देश्यों की प्रतीक है। वह मजदूर संगठनों में जाकर मजदूरों के हितों की रक्षा का खयाल करती है। इसलिये जो राजनीतिक विचार हैं उनके अनुसार हमारा उससे सम्बन्ध होना उचित है, क्योंकि राजनारायण जी ने खुद कहा था कि आज के युग में जो हमारे पोलिटिकल ऐक्शन हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये ट्रेड यूनियन पोलिटिकल पार्टी से बाहर हो जायं यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है। उन पार्टियों का अवसर उन पर रहेगा चाहे वे इधर की पार्टी हों, या उधर की पार्टी हों। उससे स्नेह होगा।

कहा गया कि आई० एन० टी० यू० सी० के आदमी रखे जाते हैं। यह ग़लत है। आई० एन० टी० यू० सी० को जितना मत प्राप्त है उतना और मजदूर संस्थाओं को प्राप्त नहीं है। हिन्द मजदूर सभा या चीनी मिल मजदूर संघ और दूसरी संस्था को जितना मत प्राप्त है और जितने इनके प्रतिनिधि हैं उनमें सब से अधिक प्रतिनिधि आई० एन० टी० यू० सी० के हैं। हिसाब लगाने पर अगर कुछ अधिक प्रतिनिधित्व इसको दिया गया तो मेरे खयाल में यह

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

कोई गलत बात नहीं है। किन्तु हमने फिर भी उदारता बरती कि जिस इंडस्ट्री में मजदूरों का मत है, किसी एक आदमी के लिये था, उस को हमने इसमें प्रतिनिधित्व दे दिया। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री के कुछ इस तरह के लोग थे उनको हमने प्रतिनिधित्व दे दिया। मदन पांडेय जी का यह कहना है कि उनको सन्तोष तब होगा जब उसके अन्दर शिब्बनलाल जी बैठा दिये जांय। मैं उनको वहां पर कैसे लाऊं जब कि इस तरह की वह संस्था नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जिस संस्था से उनका प्रेम है वह संस्था एक भानुमती का पिटारा है। उसमें तरह-तरह के लोग हैं। कई विचारधारा के लोग उसमें हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। इधर राजनारायण जी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। उधर शिब्बनलाल जी सक्सेना कहते हैं कि नहीं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, उधर ब्रजकिशोर जी कहते हैं कि मैं ज्यादा काम देखता हूं और ज्यादा आदमी मेरे साथ हैं। गणेशदत्त वाजपेयी जी कहते हैं कि और सब बेकार हैं मुझको समझाओ कि क्या करना है। मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूं कि कोई ग़लत बात सौ बार दोहराने पर भी सही नहीं बन सकती है। डेमोक्रेसी में इस तरह की बात नहीं चलेगी। मैं नहीं जानता कि उस वक्त किस ढंग से सेन्सस हो गया। उस सेन्सस में न केवल मजदूरों की संस्थाओं ने वोट दिया था बल्कि उन लोगों ने भी वोट दिया था जिनको कभी मेम्बरशिप का अख्तियार ही नहीं था। जिनको संगठन ने कोई मौक़ा ही नहीं दिया था उन लोगों ने भी वोट डाले। लेकिन इस सरकार ने आपको दावत दी कि आइये और आकर वर्क्स कमेटी बनाइये। हमने ४ आदमियों को चिट्ठी लिखी इसके लिये। तो उन ४ लोगों ने यह कहा कि इस संस्था का मां-बाप मैं हूं। श्रम सचिव ने चिट्ठी भेजी कि आप नाम भेजिये क्योंकि वर्क्स कमेटी का नामिनेशन करना था। एक चिट्ठी बृजकिशोर जी को लिखी, एक बी० जी० शुक्ला जी को लिखी, एक प्रोफेसर सक्सेना जी को भी लिखी। अब मैं तो यह नहीं कह सकता कि सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं, या शुक्ला जी अच्छे आदमी हैं या कौन अच्छा आदमी है। हां, पान्डे जी भले ही कह सकते हैं कि सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं, या फलां अच्छा आदमी है। तीनों को मैंने चिट्ठी भेजी। इसलिये जो संस्था यह टूटी है वह केवल उन्हीं लोगों के कारण टूटी है जो अपने हितों को बढ़ाने के लिये आगे बढ़े हैं। मान्यवर, जिस तरह से वह संस्था खत्म हो गयी उसके बाद उसके नाम भी बदले गये। यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और चीनी मिल फेडरेशन, और इस तरह से न मालूम कितने नाम बदले गये हमें इस सम्बन्ध में यह देखना चाहिये कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलेगा ट्रेड यूनियन के ढंग से, वह किसी माननीय सदस्य के अपने ढंग से नहीं चलेगा न कोई उसका इन्सटान्स हमारे सामने है।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी जरा सेन्सस करा कर तो देखें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सेन्सस होगी, लेकिन नान मेम्बर उस ट्रेड यूनियन के करेक्टर को डिटरमिन नहीं करेंगे "Non-members will not determine the representative characters of trade union". जो उसके रेगुलर मेम्बर हैं उन्हीं की गिनती होगी।

मान्यवर, अब दूसरी बात रही पक्षपात की। यह कहा गया कि केसेज आई० एन० टी० यू० सी० के बाहर रेफर होते हैं। मेरे पास उसके आंकड़े हैं। यह बात बार-बार यहां पर कही गयी है इसलिये मैंने सोचा कि इसके आंकड़े इकट्ठे किये जायं और मेरे पास उसके आंकड़े हैं। आप देखें श्रीमन्, कि पिछले साल आई० एन० टी० यू० सी० ने ५१२ केसेज फाइल किये और उसमें से जो केसेज रेफर हुये वे हैं २१६। इसका परसेन्टेज है, ५९ का, ४३.३। इसके मुकाबिले आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केसेज फाइल किये १९१ और रेफरेन्स हुआ उनमें से ९६ का जिसका परसेन्टेज है ५०.३६। हिन्द मजदूर सभा ने २०७ केसेज फाइल किये और उनमें से रेफर हुए १०० जिसका परसन्टेज है ४८.३। इसी तरह से ट्रेड यूनियन ने ४८ केसेज फाइल किये और १४ का रेफरेन्स हुआ। दूसरे लोगों ने तथा मवन

पांडेय जी ने, ६२१ मुकदमे दायर किये और उनमें से २५७ रेफर हुये और उसका परसेन्टेज है ४१.४। उनके आई० एन० टी० यू० सी० के पास मजदूरों का सब से बड़ा संगठन, उनके यूनियन की संख्या सब से ज्यादा, उनकी मेम्बरशिप सब से अधिक, लेकिन उनके उठाये हुये कंसेज का रेफरेल सब से कम। अगर यही पक्षपात है तो पक्षपात क्या नहीं है, यह बताया जाय। हां, अगर विचारों की दुनिया में ही पक्षपात है तो उसके लिये मैं क्या कर सकता हूं ?

अब माननीय नवलकिशोर जी ने कुछ बातें उठायीं। उनका कहना है कि कितने लोग मजदूर बन गये हैं जब कि इसमें ४, ६ हजार मजदूर भी नहीं आये। तो मैं एक बात आप से निवेदन कर दूं। हमारे पास जो फिगर्स हैं यह सिर्फ रजिस्टर्ड फैक्टरीज के सिलसिले में आंकड़े हैं।

श्री नवलकिशोर—मैंने पूछा था कि टोटल कितना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आपने जितना पूछा था वह सब मैंने नोट कर रखा है। सबका जवाब दे देंगे। इस किताब में जो कुछ है वह सब स्टेटिस्टिक्स हैं और वह उन कारखानों के हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब उन रजिस्टर्ड कारखानों में कितनी वृद्धि हुई है इसका हिसाब केवल सीधे-सीधे किताब के पढ़ने से नहीं मिलेगा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि पिछले साल हमारे कानपुर के उद्योग पर एक बहुत बड़ा धक्का आया था। वहां एक बड़ा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रेस हुआ। दो बड़े-बड़े कारखाने बन्द हो गये और एक कारखाना तो बन्द होते होते बचा। म्योर मिल बन्द होते-होते बचा। उसको चलाया गया, किसी तरह से चलाया गया, लेकिन अथर्टन वेस्ट में सन् १९५८ से और कानपुर काटन मिल में भी करीब ६ महीने से काम बन्द है। अब आप जब फिगर्स को पढ़ें तो देखेंगे कि इनमें ५ या ६ हजार मजदूर बेकार हुये और इधर ५ या ६ हजार मजदूर ज्यादा भी आये तो इस तरह से कुल १२ या १३ हजार मजदूरों को ज्यादा काम देना, जहां तक फैक्टरी सेक्टर का सवाल है पहले के मुकाबले में, इसके बारे में अब आप सोच लें कि हमने क्या किया है।

अब दूसरी बात यह कही गयी कि इस तरह से कारखाने जो बन्द हो गये उनके मजदूरों को तनख्वाह नहीं दिलाई गई। अथर्टन मिल और म्योर मिल की। लेकिन मैं यह कहता हूं कि भगवान ने चाहा तो महीने आध महीने में ही कानपुर की काटन मिल खुल जायगी और वह मिल चल पड़ेगी। उसमें काफी प्रगति हुई है। केवल बिजली वगैरह का काम बाकी रह गया है और उसके लिये मुझे आशा है कि कानपुर के श्रमिक नेताओं ने जो अब तक सहयोग की भावना दिखायी है वही गुडविल, वही सहयोग आगे भी चलेगा ताकि कानपुर काटन मिल चलने का जो प्रयास हुआ है वह सफल हो। चाहे वह किसी भी दल के हों, हमें सब से अथर्टन वेस्ट मिल के चलाने में, म्योर मिल के चलाने में सहयोग मिला है सिवाय कुछ साथियों के। जो बड़े-बड़े संगठन हैं उन सब का सहयोग हमें मिला है और आशा है भविष्य में भी उनका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलेगा। अगर किसी को संतोष न हो तो जो कुछ हमने वहां कानपुर में किया है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह जनता में जायं और देखें कि वहां पर जो कुछ किया जा रहा है वह उसकी इच्छा के मुताबिक है या नहीं। मदन पांडेय जी ने शिकायत की है उसका जवाब मैं इसलिये नहीं देना चाहता। सही जवाब है उसका कानपुर के मजदूरों का संतोष जिसे हम उनको प्राप्त करा चुके हैं और कराते जा रहे हैं। कानपुर का मजदूर जानता है कि हम जितना कुछ कर सकते थे उतना कर चुके हैं और हम कर भी रहे हैं।

एक बात, मान्यवर, पूछी गयी कि हमने दूसरी पंचसाला योजना में कुल कितने लोगों को रोजगार दिया। मेरे पास इस वक्त इसके आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अगर इस पुस्तिका को पढ़ें तो एक बात बड़ी स्पष्ट दिखलाई पड़ती है कि हमारे छोटे-छोटे उद्योग बढ़ रहे हैं, एक सौ से कम मजदूरों के जो कारखाने हैं वे कारखाने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उनके मुकाबले में जो बड़े-बड़े कारखाने हैं वे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। छोटे-छोटे उद्योगों का हमारे प्रदेश में फैलना यही हमारी सफलता का द्योतक है और इसी से सफलता दिखलाई पड़ती है।

एक बात यह कही गई कि हम कमेटीज तो बैठाते हैं, लेकिन आगे करते कुछ नहीं। यहां पर निम्बकर कमेटी और बिन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी की भी चर्चा की गई। निम्नतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत जो कमेटी बैठाई गई उसकी भी चर्चा की गई। निम्बकर और बिन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटीके बारे में तो वाकयात ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो डिसीजन्स लिये उससे ज्यादा ऐसे सर्कम्सटांसेज में हो ही नहीं सकता था। हमने कहा था कि इन उद्योगों की क्षमता मुनासिब ढंग से धीरे-धीरे अपने ढंग से बनने वाली है। वेजबोर्ड बैठा, उसकी रिपोर्ट अगर माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो देखेंगे, यद्यपि इंडियन लेबर कांग्रेस ने उसमें एक और क्लाज जोड़ दिया था कि "जहां देश में उद्योग की स्थिति को ध्यान में रख कर उसको ऐप्लाई करेंगे" और उन्होंने कहा कि "ऐसी स्थिति है कि ८ रुपये और ६ रुपये तरक्की देने से सारा काम हो जायगा।" टेक्सटाइल में दूसरी बात नहीं है। तो वेज बोर्ड ने जो किया उससे सिद्ध होता है कि इससे अधिक किया जाना सम्भव नहीं था। वेज-बोर्ड में हाईकोट के जज थे.....

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर। जिस समय इम्पार्टेन्ट विवाद हो रहा हो, मन्त्री जी बोल रहे हों, उस समय आपके सचिव (सहायक सचिव) आकर हम लोगों का दिमाग घुमा रहे हैं। जब एक प्रोग्राम पहले तय हो चुका था तो फिर उसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है?

श्री उपाध्यक्ष—आगे की मांगों पर विचार होने का सवाल है।

श्री राजनारायण—अगर इस तरह से आकर हमको परेशान किया जायगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपके विचारार्थ भेज दिया गया था कि आपको क्या कहना है। मैंने भेजा था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तो अभी जो वेज बोर्ड बैठा था टेक्सटाइल के लिये, उसने सिद्ध कर दिया कि निम्ब कर कमेटी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जहां तक टेक्सटाइल के उद्योगों का सवाल था, कोई गलती नहीं की। लेकिन पांडे जी चाहते हैं कि जो वह कहते हैं वह हो जाना चाहिये। उनको अपनी कही हुई बात ब्रह्म वाक्य लगती है, लेकिन मैं ब्रह्म वाक्य नहीं बोलता, जो एक तीसरा आदमी बोलेगा, उसको मैं सही मानता हूं। जस्टिस बिन्ध्यवासिनी प्रसाद की जानकारी के लोग बहुत कम होंगे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनको मजदूर और मालिक दोनों का विश्वास प्राप्त था। वह कहते हैं कि ५ परसेन्ट वेज बढ़ा दी जाय, लेकिन पांडे जी चाहते हैं कि २५ परसेन्ट का जो कागज शिब्बन लाल जी के दस्तखत से निकला वही होना चाहिये। जज के सामने ऐसी मांग नहीं की गई, सिर्फ यहीं हाउस में यह मांग है। ट्रिब्यूनल में लोग जाने की तकलीफ गवारा नहीं करते, क्योंकि वहां पर समय लगता और खड़े रहने में मेहनत पड़ती है। ट्रिब्यूनल में ८, ८ और १०, १० घंटे खड़ा रहना पड़ता है और मैं रहा हूं। इसलिये कहता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि ट्रिब्यूनल में कोई गया नहीं और मजदूरों के केसेज आई० एन० टी० यू० सी० के जिम्मे रह गये। जब समझौता कराने लगे तो हिन्द मजदूर सभा को भी हमने बुलाया। यह किसी पर एहसान नहीं है और न चीनी उद्योग वालों पर एहसान है। यदि मामले बाहर ही तय हो जावें तो अच्छा है।

गिरि साहेब का नाम लिया गया। उन्होंने बार बार कहा है कि चाहे २ पैसा या २ रुपया कम मिले लेकिन मालिक-मजदूर बैठकर आपस में समझौता करें बजाय इसके कि अदालत में जावें। गिरि साहेब का नाम अदालतबाजी के सम्बन्ध में न लें वरना उनको तकलीफ़ होगी।

एक बात कही गई कि हम बोर्डों की सिफारिशें लागू नहीं करते हैं। बिन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी के लिये कहा गया। मई सन् १९५७ में हमने रानीखेत में एक मीटिंग बुलाई थी ताकि उसकी रिपोर्ट पर बहस हो जाय। लेकिन उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास खत आया कि वह टैक्सटाइल इंडस्ट्री में वेज बोर्ड बैठाने वाले हैं और हमसे कहा कि फिलहाल बिन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी की सिफारिशों पर हम न चलें। हम रुक गये। हमने वेज बोर्ड के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि हम बिन्ध्यवासिनी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार शुरू कर दें और उनका उत्तर आते ही हम ऐसा कर देंगे और विभाग को हमने आदेश भी दे दिया है कि वह उस पर विचार करे।

एक बात भदोही कालीन मिल के लिये कही गई कि ६४ गलत लिख दिया, ८४ होना चाहिये। हमारे पास काम करने वाले आदमी ही हैं, देवता नहीं हैं। लेकिन मैं सन्तोष के साथ कह सकता हूं कि २४ फरवरी की राज आज्ञा प्रसारित कर दी गई थी और इस बात का इन्तजार नहीं किया गया था कि लेबर विभाग का बजट आने पर उग्रसेन जी हमको याद दिलावेंगे।

आमतौर से हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जो सम्भव न हो। कहा गया कि मजदूरों के मुक़दमों के फैसले करने में देर होती है। यह भी कहा गया कि शायद पता नहीं कि क्या परसेंटेज मजदूरों का रेफरेंस होता है। उस समय आंकड़े गलत दिये गये, इसलिये मैं अब देता हूं वरना कोई जरूरत नहीं थी। ३६.८ और ३६.२, १९५८–५९ में इस प्रकार के रेफरेंसेज की परसेंटेज आई है। जो मुकदमें एग्रीमेंट हुये हैं और विदड्रा हुए हैं वे अलग-अलग हैं। १९५८–५९ में कंसीलियेशन बोर्ड में ३,८४२ मुकदमें आये थे। पहले साल में आये थे ३,६४७। कोर्स आफ़ प्रोसीडिंग्स में १७.९ परसेंट केसेज एग्रीमेंट हो गये और दूसरे ६८८ केसेज में एग्रीमेंट गये, ६३८ केसेज रेफर हुये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोर्ट में। इनमें से विदड्रा हुये करीब १,१०० । १,१०० केसेज मजदूरों ने वापिस ले लिये।

अब यह देखना होगा कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव मुक़दमें कितने थे। उन सबको देखकर हमें करना पड़ेगा, और कलेक्टिव डिस्प्यूट्स को लेंगे। हमारे आर्डर्स साफ हैं कि बोनस के मुकदमें रिफरेंस में चले जाने चाहिये, डिस्मिसल के केसेज को कब का रिफरेंस में दिया जाना चाहिये। इसके बावजूद भी हम अपनी मशीनरी पर विचार कर रहे हैं कि क्या कोई और सुगम रास्ता निकल सकता है। उन सब बातों पर विचार किया जा रहा है। इसमें दिक्कतें भी होंगी, कठिनाइयां भी होंगी, लेकिन फिर भी हम उन पर विचार कर रहे हैं और कोई उचित रास्ता ढूंढ़ निकालना चाहते हैं।

लेबर हाउसेज के बारे में भी कहा गया। कहा गया कि उन मकानों में कोई नहीं रहता और अगर रहते भी हैं तो वे लोग रहते हैं जिनके जिनके लिये वे बने नहीं हैं। स्पष्ट बात है कि २० हजार के करीब वे बने हैं। जिनमें ७–८ हजार गवर्नमेंट आफ इंडिया के एम्पलाईज रहते हैं और उनमें ९० प्रतिशत ऐसे हैं जो फैक्ट्री ऐक्ट से गवर्न होते हैं। ट्रेड यूनियन ऐक्ट में जो वर्कमैन की परिभाषा है उससे वे कवर होते हैं, परन्तु वे गवर्नमेंट आफ इंडिया के मुलाजिमान हैं। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकार के भी कुछ छोटे मोटे कर्मचारी रहते हैं। उनमें भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो वर्कमैन की परिभाषा में न आता हो या ५०० रुपये से ऊपर पाता हो। २०० रुपये के अन्दर के वेजग्रुप के लोग हैं। १ प्रतिशत आदमी भी ऐसे नहीं हैं जो ५०० रुपया पाते हों। ४०० रुपया वेज ग्रुप के लोग ही इन क्वार्टर्स में रह रहे हैं। स्कीम में कहीं नहीं लिखा है कि १०० रुपये से नीचे के लोग ही इन क्वार्टर्स में रहेंगे। जिनको भी क्वार्टर्स दिये गये हैं, वर्कमैन की डेफीनीशन को ही देख कर दिये गये हैं। इस प्रकार इसमें हमने काफी प्रगति की है और काफी रुपया भी खर्च किया है। और यह हमारी साधुवादिता का नमूना है कि जब जब मजदूरों का रिट्रेन्चमेंट हुआ या उनमें बेकारी हुई तो हमने उन क्वार्टर्स का किराया भी नहीं लिया। इस प्रकार की चीज अथर्टन वेस्ट मिल, म्योर मिल्स, और कानपुर काटन मिल की तालाबन्दी के समय हुई। उसकी वजह से आज इस वक्त उनके ऊपर १ लाख ७२ हजार

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

रुपया बकाया है। जिस प्रकार से हम मिल मालिकों को छूट देते हैं, उसी तरह से मजदूरों को भी देनी चाहिये, इस वजह से हमने उनसे किराया नहीं लिया। इसलिये माननीय राजनारायण जी को संतोष होगा कि मजदूरों के साथ एक काम तो हमने वफादारी का किया।

एक बात यह कही गयी कि ट्रेड यूनियन्स की रजिस्ट्री बहुत देर में होती है। इस बारे में प्रश्नों के उत्तर के समय मैंने बता दिया था, लेकिन माननीय मदन पांडेय जी की तो आदत है कि वे बार बार एक ही प्रश्न को पूछते हैं। उनके कागजात में गलतियां होती हैं। अब उनको कौन ठीक करे। एक यूनियन तो ऐसी है जिसको ६ महीने तक चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखी जाती रहीं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारी तरफ से, अगर कागजात बिलकुल ठीक हों तो १९वें दिन तक उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ट्रेड यूनियन ऐक्ट में सरकार को तो अधिकार है नहीं कि वह दुरुस्ती कर ले, वह दुरुस्ती तो आपको ही करनी होगी।

एक भाई ने फरमाया कि बंगाल में ज्यादा यूनियन्स हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, कम हैं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने उस भ्रम को ठीक कर दिया। लेकिन मेरा खयाल तो यह है कि बजाय इसके कि ट्रेड यूनियन्स की तादाद ज्यादा हो अगर उनका व्यापक संगठन हो, यूनियन्स बड़े-बड़े बनें और मजबूत बनें तो ज्यादा अच्छा है। अगर ३०–३०, ४०–४० आदमियों की यूनियन्स बनेंगी तो उनसे न तो मजदूरों को ही लाभ होगा और न उन संगठन वालों को और न इस मजदूर आन्दोलन को ही उससे बल मिलेगा। अगर इन्डस्ट्रीवाइज ट्रेडयूनियन्स बनें, पार्टीवाइज न बनें तो ज्यादा अच्छा होगा।

इतवार की छुट्टी की बात कही गयी। शाप्स ऐक्ट इसीलिये बना है कि इतवार मिले। मिनिमम वेजेज ऐक्ट के द्वारा भी जो सुविधायें दी गयी हैं, उनको भी मैं गिनाना नहीं चाहता और इन सब को उन्होंने नहीं, हमने किया है। जहां तक बन्द मिलों को खुलवाने की बात है, उस तरफ हमने काफी प्रयास किया है चाहे माहेश्वरी जूट मिल हो, चाहे म्योर मिल हो, चाहे अथर्टन मिल हो और कानपुर काटन मिल की जो हम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर भगवान ने चाहा और सब की सहायता मिली तो बहुत जल्दी उसे भी हम खुलवाने में सफल हो जायेंगे। चाहे पत्रिका हो या प्रयाग पत्रिका हो, जो अब नयी निकल रही है, उसमें हमने बर्नलिस्टों को कितना सहयोग व सहायता दी है यह सबको स्पष्ट है। मोहिउद्दीनपुर की शुगर मिल हो या डोईवाला की हो या खड्डा की हो, उन सब मिलों को खुलवाने का हमारा प्रयास है और मुझे आशा है कि इसमें सब सदस्यों की हमको सहायता मिलेगी।

प्राविडेंट फंड की बात भी कही गयी। उस स्कीम को भी हम बढ़ाते जा रहे हैं और अब तो हमने इनश्योर्ड मेम्बर की पूरी फेमिली को उस स्कीम के अन्दर लाने का प्रयत्न किया है जिससे आशा है कि सब को सहूलियत हो जायगी।

माननीय प्रतापसिंह ने इम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में भी सवाल उठाया था। यह सही है कि अभी तक हमने सरकारी विभाग के एप्वाइंटमेंट में उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया है। उस सम्बन्ध में हमने एक्सपर्ट्स की राय से एक कमेटी बनायी है और उसकी सिफारिश आने पर हम उसके अनुसार कार्य करने में सफल हो सकेंगे, क्योंकि विभाग में भी बहुत से डिफाल्टर्स हैं। मैं आशा करता हूं कि उस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जायगा।

इसी तरह से कानपुर में हमने सेफ्टी म्यूजियम की एक योजना बनायी है और उसके लिये ३ लाख रुपये की लागत से ३५ एकड़ जमीन वहां पर हासिल कर ली है जहां पर इंस्ट्रक्टर्स ट्रेड किये जायेंगे जो वहां से निकलने के बाद क्राफ्ट्स वगैरह की ट्रेनिंग देंगे। मझे आशा है कि कानपुर में इस इंस्टीट्यूशन के बन जाने पर शिक्षा संस्थाओं का स्तर कुछ ऊंचा हो जायगा।

इसी तरह से अप्रेंटिसेज को ट्रेनिंग देने में भी हमको बहुत सी दिक्कतें और दुश्वारियां हैं जिनकी बहुत दिनों से मांग है। इस तरफ न तो प्राइवेट उद्योगों की तरफ से कुछ किया गया है,

व सरकारी उद्योगों की तरफ से ही कुछ किया गया है। मैं उम्मीद करता हू कि अगर सब का सहयोग व सहायता हमको मिली तो इस दिशा में भी हम कुछ करने में सफल हो सकेंगे।

इसी तरह से मिनरल्स को डेवलप करने का भी मुख्य प्रश्न है। मिनरल्स ऐक्ट के मातहत हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आज के युग में जब कि मिनरल्स की बहुत आवश्यकता है हम अपने यहां पहाड़ी जिलों में या और दूसरी जगहों में इसकी जांच करावें और हम चाहते हैं कि उस सिलसिले में भी कुछ हो जाय।

जहां तक वेलफेयर सेंटर की बात है उसके लिये भी हमने एक वेल विशिंग कमेटी बना दी है जो वेलफेयर सेंटर्स के सम्बन्ध में अपनी राय देगी कि कहां पर ठीक से काम हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है। उससे सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। यह तो स्पष्ट है कि सभी लोग प्रदेश का हित चाहते हैं।

आखिर में एक जरूरी बात मैं और कहना चाहता हूं।

हमें अपने प्रदेश के मिल मालिकों से यह शिकायत है कि श्रम सम्बन्धी कोई अदालती फैसला होने पर वे तुरन्त रिट में चले जाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उस फैसले को लागू होने में रुकावट पैदा करते हैं। मैं समझता हूं कि यह गलत दिशा में जाने की धारा है। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इससे न तो मजदूरों का हित हो सकता है और न मालिकों का ही हित हो सकता है। इससे केवल समाज विरोधी तत्वों को ही बल मिल सकता है या उसकी तरक्की हो सकती है। मिल मालिकों की यह नीति है कि वे मिसरेप्रेजेंटेशन करते हैं, रांग डाइरेक्शन देते हैं। इस सम्बन्ध में हमने एक वैल्यूएशन कमेटी बनायी है जिसमें मिलों के तथा मजदूरों के भी प्रतिनिधि होंगे। उसमें आई०एन०टी०यू०सी०, आई०टी०यू०सी० तथा एच० एम० एस० के प्रतिनिधि रहेंगे जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अपनी राय देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन से अपील करता हूं कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल पीस होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उद्योगों में तरक्की हो सकती है। मैं आशा करता हूं सदन मेरी इस मांग को स्वीकार करेगा तथा माननीय मदन पांडेय जी कम से कम अपने इस कटौती के प्रस्ताव को अवश्य वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––इस ग्रान्ट पर मतदान होने के बाद अभी कुछ घोषणा भी करना है इसलिये यदि आवश्यकता समय की होगी तो उसके लिये मैं अपने अधिकार से १५ मिनट का समय बढ़ाये दे रहा हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है

सरकार की श्रम-नीति में निम्नविषयक नीतियों का अननुमोदन :

प्रदेश के सभी उद्योगों में सरकारी नीति के कारण मजदूरों की संख्या में कमी तथा कार्यभार में वृद्धि, श्रमिक वर्ग के वेतन में वास्तविक कमी, आई० एन० टी० यू० सी० के प्रति सरकारी पक्षपात के कारण श्रमिक आन्दोलन को अपूर्णीय क्षति, श्रमिक विवादों को पंचनिर्णय के सुपुर्द करने में पक्षपात पूर्ण नीति तथा श्रम नीति निर्धारण कमेटियों के चयन में अवाञ्छनीय तत्वों का समावेश, श्रमिक हड़तालों में सरकार द्वारा मिल मालिकों का समर्थन, सूती, ऊनी, जट तथा चीनी मिलों के मजदूरों की छटनी, बरखास्तगी के समय मिल प्रबन्धकों के साथ पक्षपात आदि नीतियों का अननुमोदन प्रकट करने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमिक वर्ग के लिये उनकी भलाई के लिये सुझाव प्रस्तुत करना।

[श्री उपाध्यक्ष]

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३९,
विपक्ष में—१८०।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—श्रम—लेखा शीर्षक : ४७—प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १,३९,२४,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१८३,
विपक्ष में—४५।)

कार्य-क्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष—यह सदन को मालूम है कि ११ तारीख को सदन की बैठक होगी और ९, १० और ११ को सदन का एक, एक घंटे समय बढ़ जायगा।

अनुदानों के सम्बन्ध में ९, १० तथा ११ मार्च, १९६० का कार्य-क्रम जो आज सदस्यों को वितरित हुआ है उससे कुछ भ्रम हो जाने की सम्भावना है क्योंकि उसमें जिस प्रकार पहले से अनुदानों को लिये जाने का विचार था उसी क्रम में वह दी गई हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस दल के सचेतक से मालूम हुआ है कि उन्होंने विरोधी दल के नेताओं से परामर्श करके यह तय किया है कि कल से सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्बन्धी ४ अनुदान, अर्थात् अनुदान संख्या ३४, ३५, ३६ व ५० ली जायेंगी और उन पर विवाद १० तारीख को २ बजे तक चलेगा। १० तारीख को २ बजे के बाद सिंचाई सम्बन्धी अनुदान, अर्थात् अनुदान संख्या ४७, १० व ११ ली जायंगी और जिन पर विवाद ११ तारीख को २ बजे तक चलेगा और ११ तारीख के २ बजे से ११ तारीख के ६ बजे तक विद्युत सम्बन्धी अनुदान, अर्थात् अनुदान संख्या २७ और ५१ ली जायंगी और अनुदान संख्या १२ पर कोई विवाद नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, कल ९ तारीख के अनुदानों के विषय में निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के नेताओं की और उधर के सचेतक महोदय की बात हुई और यह भी सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल से पेश होता है, तो मेरा खयाल है कल के लिये पावर का अनुदान था, लेकिन विरोधी दल से बात होने के बाद सिंचाई अनुदान हुआ और उसी सिलसिले में विरोधी दल तैयार है..

श्री उपाध्यक्ष—कल सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनुदान है।

श्री प्रतापसिंह—मैं यही जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान किसकी राय से रखे गये?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)—उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जैसा प्रताप सिंह जी ने कहा इसके मुताबिक यह हुआ था कि ४ घंटे बढ़ जायंगे, १ दिन शनिश्चर का बढ़ गया और ५ बजे के बाद..

श्री उपाध्यक्ष—वह कार्य-क्रम पूछ रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—४ घंटे में पावर रखा गया था, और डेढ़ दिन पावर के लिये और डेढ़ दिन इरीगेशन के लिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उस बातचीत में मौजूद था और यह तय हुआ, राजनारायण जी ने कहा था कि उन को जाना है तो इरिगेशन को पहले रखा गया था उसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० था और फिर पावर था, वह ४ घंटे के लिए रखा गया था। अब अगर आप लोगों का यही समझौता है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---हमारा प्रश्न यह है कि अनावश्यक आपस में परस्पर अविश्वास क्यों हुआ? आचार्य लक्ष्मी रमण जी ने पहली मर्तबा यह मामला शुरू किया और उन्होंने कहा कि देखिये, पहली मर्तबा हम बात कर रहे हैं। यों हमने अपनी पार्टी के लोगों से पूछा भी नहीं था और अपनी सहमति दे दी थी, यद्यपि हमारे कुछ लोगों को एतराज था। १७ को सदन न बैठे इस में मेरा स्वार्थ नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आखिर आपको विष्ट जी ने गलत सूचना क्यों दी?

श्री उपाध्यक्ष---क्यों ऐसी सूचना दी गयी, मैं जानना चाहता हूं।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मेरा ऐसा विश्वास है कि इस में कुछ गलतफहमी हुई और कहीं कोई किसी प्रकार का मोटिव इस के पीछे नहीं है। सीधी बात है कि सिंचाई और सार्वजनिक विभाग में कोई अन्तर नहीं है, दोनों के लिए घंटे बराबर हैं। गलतफहमी हो गयी है और वह मेरी ही है। माननीय राजनारायण जी सहमत हो जायेंगे कि हमारा कहीं कोई इरादा खराब नहीं है। क्योंकि बातें मेरे सामने ही हुई थीं और मैंने यह खयाल किया कि पी० डब्ल्यू० डी० पहले सोचा गया था और इरिगेशन बाद में। यदि राजनारायण जी ऐसा कहते हैं, जैसा माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने कहा तो, मुझे कोई एतराज नहीं है। केवल गलतफहमी है और अगर कुछ है तो इसका दोष मेरे ऊपर है। मैंने ही पहले पी० डब्ल्यू० डी० कहा था और मेरा ऐसा ख्याल हुआ कि शायद पी० डब्ल्यू० डी० पहले सोचा गया था क्योंकि दोनों में एक ही समय था। इसलिए अन्तर नहीं मालूम होता था।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---एक बात मुझे यह कहनी है कि अभी दिल्ली से एक बुलावा आया है और जितने हमारे इरिगेशन के उच्चाधिकारी हैं जैसे चीफ इन्जीनियर और सेक्रेटरी, वे आज दिल्ली जा रहे हैं और परसों सवेरे आयेंगे। इस लिए कल के बजाय परसों इरिगेशन हो तो मुनासिब होगा।

श्री राजनारायण---यह नजाकत मैं पहले ही समझ रहा था। यह गलतफहमी नहीं थी, मोटिव था। मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री प्रतापसिंह---जैसा कि सिंचाई मन्त्री जी ने कहा कि मजबूरी है, मैं समझता हूं कि इस पर विरोधी दल को उन की बात मान लेनी चाहिए। उनके एक्सपर्ट्स सारे जब यहां से चले जा रहे हैं जिन की सलाह मशविरे से सरकार को बोलना पड़ता है तो हमें उन की बात स्वीकार है और मेरा सुझाव है कि मन्त्री जी की बात को विरोधी दल को मानना चाहिए।

श्री राजनारायण---अगर सिंचाई कल नहीं होगा तो हम भाग नहीं लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---नियमानुकूल विरोधी दल और सरकारी दल में समझौते का सवाल होता है और अन्य पार्टियों का नियमों में कोई स्थान नहीं है। इसलिए कल पी० डब्ल्यू० डी० रहेगा और परसों सिंचाई का अनुदान होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
८ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५४ पर)

तालिका

तालिका जिसमें वर्तमान सीजन में इस प्रदेश की वे कीनी मिलें जब से और जितना मूल्य प्रतिमन निर्धारित दर से अधिक देकर गन्ना खरीद रही है उसका विवरण दिया हुआ है ।

क्रम सं०	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	गन्ने की निर्धारित दर से अधिकतम दर जो चीनी मिलें गेट पर सप्लाई किये गये गन्ने के लिए स्वेच्छा से दे रही है	दिनांक जब से गन्ने का मूल्य अधिकतम दर से दिया जा रहा है	अभियुक्तियां
			रु० न०पै०		
१	मुजफ्फरनगर	मंसूरपुर ..	१.७५ प्रतिमन	१२–२–६०	रोड सेंटर्स पर ढुलाई व्यय की कटौती नहीं कर रहे हैं।
२	मुजफ्फरनगर	खतौली ..	उपरोक्त ..	१३–२–६०	
३	मुजफ्फरनगर	रोहाना ..	१.१२ प्रतिमन	१४–२–६०	
४	मुजफ्फरनगर	शामली ..	उपरोक्त ..	२१–२–६०	
५	सीतापुर ..	महोली ..	उपरोक्त ..	१–२–६०	
६	सहारनपुर ..	देवबन्द ..	१.१२ प्रतिमन	२०–२–६०	
७	शाहजहांपुर ..	रोसा ..	१.१२ प्रतिमन	१६–२–६०	
८	मेरठ ..	सखौतीटांडा	उपरोक्त ..	अज्ञात ..	गन्ने की कीमत बढ़ा दी है किन्तु उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है।
९	मेरठ ..	मवाना ..	१.१२ प्रतिमन	२३–२–६०	
१०	मेरठ ..	दौराला ..	उपरोक्त ..	उपरोक्त ..	
११	सहारनपुर ..	इकबालपुर ..	अज्ञात ..	अज्ञात ..	
१२	सहारनपुर ..	सहारनपुर ..	उपरोक्त ..	अज्ञात ..	उपरोक्त।
१३	फैजाबाद ..	मसोधा ..	१.६८ प्रतिमन	१६–२–६०	
			१.१२ प्रतिमन	१–३–६०	
१४	बाराबंकी ..	बुढ़वल ..	१.१२ प्रतिमन	२२–२–६०	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५८ पर)

पश्चिमी जिलों में शुमार किये जाने वाले जिलों की सूची

१—सहारनपुर
२—मुजफ्फरनगर
३—मेरठ
४—बुलन्दशहर
५—अलीगढ़
६—मथुरा
७—आगरा
८—एटा
९—मैनपुरी
१०—फर्रुखाबाद
११—इटावा
१२—कानपुर
१३—फतेहपुर
१४—इलाहाबाद
१५—बिजनौर
१६—मुरादाबाद
१७—बदायूं
१८—बरेली
१९—पीलीभीत
२०—शाहजहांपुर
२१—खीरी
२२—सीतापुर
२३—हरदोई
२४—लखनऊ
२५—उन्नाव
२६—बाराबंकी
२७—रामपुर
२८—रायबरेली

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५८ पर)

सीतापुर जिले की चार ड्रेनों के बारे में वांछित सूचना

योजना का नाम	ड्रेन की लम्बाई तथा स्थिति	कार्य शुरू करने के आदेश की तिथि	नवम्बर, १९५९ तक किया गया कार्य
१—कल्यानी नदी सुधार योजना	२८ मील ६ फर्लांग, जिला सीतापुर के परगना मनवा तथा बारी में (जिला बाराबंकी के परगना कुर्सी में)	८—१०—१९५९	
२—दौन्दिया ड्रेन	९ मील ५ फर्लांग (जिला सीतापुर के परगना भवना तथा बारी में)	८—३—१९५७	२ मील।
३—रामदाना ड्रेन	६ मील ५ फर्लांग (जिला सीतापुर के परगना भनवा तथा बारी में) ..	३०—३—१९५७	१ मील।
४—जिन्धौरा ड्रेन	४ मील ४ फर्लांग (सीतापुर जिले के परगना मनवा में) ..	३०—३—१९५७	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३-८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७२ पर)

द्वितीय योजना में बनाई गई सड़कें

	द्वितीय योजना में दिसम्बर, १९५९ तक बनाई गई सड़कों की लम्बाई मील फर्लांग
(क) चालू योजनायें	
सीमेंट कन्क्रीट ट्रैक्स—	
(१) सिसवा-हवेली	१ ४
कच्ची सड़कों को पक्का करना	
(१) महाराजगंज-निचलौल	१ ०
(२) फरेन्दा-नौतनवा	१६ ५
कच्ची सड़कों का नव निर्माण	
(१) नौतनवा-निचलौल-तुर्तीवारी	२३ ३
(ख) नई योजनायें	
कच्ची सड़कों को पक्की करना	
(१) रुद्रपुर-खजनी-उरवा-गोलाबाजार	२६ ६
(२) सिसवा-निचलौल-तुर्तीवारी	१२ ०
चीनी मिलों को जाने वाली सड़कों का निर्माण	
(१) घुघली-शिकारपुर	० ७
(२) पिपराइच-मजनाला	२ १
(३) चोरी चोरा-नकवार	१ ३
(४) नटवार सड़क कैमसियरगंज रेलवे क्रासिंग से करटरही तक	० ५

द्वितीय योजना में बनाये गये पुल

	कार्य की प्रगति
(क) चालू योजनायें	
१—गोरखपुर-फरेन्दा सड़क पर रोहिन नदी पर पुल	कार्य पूरा हो गया।
नयी योजना—२—नेशनल हाईवे नं० २८ पर राप्ती नदी पर बर्डघाट पर पुल	३१ प्रतिशत।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७२ पर।)

गोरखपुर जिले में निम्नलिखित तहसीलों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांव ऊंचे किए गए हैं और जो धनराशि व्यय हुई वह प्रत्येक के सामने दी है :

नाम तहसील	व्यय हुई धनराशि रुपया
(१) सदर	४५,५९,१९८.२९
(२) बांसगांव	११,७४,५३१.७१
(३) फरेंदा	११,०९,७७९.००
(४) महाराजगंज	४,३२,९००.००
योग ..	७२,७६,४०९.००

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७३ पर)

क्र० सं०	नाम ग्राम जो हस्तगत किया गया है	परिवार संख्या कुटुम्ब रजिस्टर के अनुसार	परिवार संख्या जिनको भूमि दी गई		पुनर्वासित करने का स्थान तथा भूमि जो वितरण हुई एकड़ों में	विवरण
			गृह निर्माण हेतु	कृषि हेतु		
			१९५८			
१	पिपरी ..	२१	१३	१३	किरवानी ८२ एकड़	
२	बदुरा ..	२८	१९	१९	खैराही १२५ एकड़	
३	लमरी ..	४४	२१	२१	खैराही गाढ़ा ७५ एकड़	
४	सेम्बुर ..	५४	५१	५१	खैराही ११२ एकड़ मकरा १७५ एकड़ चीतवार कुन्डमाटी ९२ एकड़	
५	पाथर खांड	७	२	२	खैराही २० एकड़	
			१९५९			
६	बैरियाडीह	१२१	८७	८७	सीसटोला नं० ३, २८९ एकड़	
७	कुसडन्ड	१८	३०	३०	धरतीडाढ १३० एकड़	
			५		महुधरिया १ एकड़	
८	कनेला ..	..	..	..		गैर आबाद।
९	पथरोडा	५०	४४	३	असनहर १५ एकड़	
१०	गजरी ..	७५	८	१	महुली ५ एकड़	
११	बेगर ..	१०५	१७	१७	इनजनी ६५ एकड़	
			९	९	लिलाडेवा २० एकड़	
			७८	१२	महुली ६० एकड़	
१२	खैरी ..	१६४	१३३	१३३	निमना डोडहर, ५५१ एकड़	
१३	पन्डरी ..	२५०	..	..	नधिरा ..	इस ग्राम का कोई भी आदमी भूमि लेने नहीं आया जब कि सूचना दी गयी।

क्र० सं०	नाम ग्राम जो हस्तगत किया गया है	परिवार संख्या कुटुम्ब रजिस्टर के अनुसार	परिवार संख्या जिनको भूमि दी गई — गृह निर्माण हेतु	परिवार संख्या जिनको भूमि दी गई — कृषि हेतु	पुनर्वासित करने का स्थान तथा भूमि जो वितरण हुई एकड़ों में	विवरण
		१९६०				
१४	मथुरहीया ..	..	..	..	..	गैरआबाद।
१५	विश्रामपुर ..	..	..	..	..	गैरआबाद।
१६	बिछी ..	१३	..	..	..	शायद इस ग्राम का कोई भी व्यक्ति भूमि लेने नहीं आया, सूचना दी गयी।
१७	चुरना ..	.	..	..	..	गैर आबाद।
१८	यसौडा ..	..	..	..	..	,,
१९	विधंरी खुर्द ..	..	..	..	..	,,
	योग ..	१,०३०	५१७	३९८	१,८१९ एकड़ ..	,,

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३१५ एल० ए०—१९६०—८४५।